खण्ड-309, अंक-9
सोमवार, 31 आषाढ़, शक संवत् 1896
(22 जुलाई, 1974 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 309 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २२ जुलाई, १९७४

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, अध्यक्षश्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६३

अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह, श्री
अठईराम, श्री
अनवार जमील, श्री (उर्फ जिमी मियां), (एडवोकेट)।
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां नशतर, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अवधेश कुमार, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रलाल, श्री
उदयनाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊबल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिला मिर्जापुर)
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
काली चरन, श्री
काशीनाथ मेहरोत्रा, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खूब चन्द, श्री
खयाली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गोविन्द सिंह, श्री (एडवोकेट)
चन्दर्नासिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्रभान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री

चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंगबहादुर, श्री (जिला बाराबंकी)
जंगबहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जय राज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथराम कोहली, श्री
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीनानाथ सेवक, श्री
दीपनारायन बन महन्थ, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (जिला फर्रुखाबाद)
धर्मवीर, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुवनारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम, श्री (जिला देवरिया)
पुरुषोत्तम लाल, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला एटा)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमदत्त, श्री
फजलुर्रहमान, श्री
फरजन्द अली, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री

बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ, श्री
भूप सिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनोराम, श्री
मंजूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, श्री (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान पाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्नू लाल द्विवदी, श्री
मुलतान सिंह, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द, श्री
मेघनाथ सिंह, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रफीउल्ला, श्री
रमा, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राधा चरण, श्री
राम अधार, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी लाल सेन, श्री
राम दुलारे, श्री

राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति बिन्द एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
रामलखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम सेवक यादव, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरनाथ चौबे, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूपराम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
विरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शफीकुलरहमान, बर्क श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री (जिला आगरा)
शिव प्रसाद, श्री (जिला आजमगढ़)
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामादेवी, श्रीमती
श्री नारायण, श्री (उर्फ भुल्लई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीश चन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन, श्री (उर्फ नब्बन)

सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार, श्री
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल, श्री (जिला रामपुर)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हूब राज, श्री
हेमराज सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट—लघु उद्योग मन्त्री, श्री इस्तफा हुसैन भी उपस्थित थे ।

उपाध्यक्ष के निर्वाचन के स्थगन का प्रस्ताव

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मान्यवर, मैं आपसे विशेष अनुज्ञा चाहता हूं कि आज उपाध्यक्ष के चुनाव के नामांकन का समय आज अपरान्ह तक है । यह चेष्टा हो रही है कि एक मत से चुनाव हो सके जो यहां की परम्परा है । इसलिये सम्मानित नेता विरोधी दल और नेता जनसंघ दल तथा अन्य साथियों से बातचीत के बाद मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:—

"दिनांक ३ जुलाई, १९७४ को विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आंशिक संशोधन में यह सदन निश्चय करता है कि विधान सभा के उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिये २३ जुलाई, १९७४ के लिये निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित करके उक्त निर्वाचन ९ अगस्त, १९७४ के भीतर कराया जाय ।"

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

मैं माननीय तिवारी जी के प्रस्ताव से सहमत हूं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मैं माननीय तिवारी जी की राय से सहमत हूं ।

***श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—**

मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं । उपाध्यक्ष के पद के लिये कोई एक मत कैन्डीडेट आये अभी तक इस सम्बन्ध में कोई प्रयास हमारे नेता विरोधी दल की तरफ से नहीं हुआ कि सब पार्टियों के लीडर्स को बुलाकर कोई कोशिश की जाती । आज कोई बातचीत हुई हो तो इसका मुझे या मेरे दल को पता नहीं है । यह उपाध्यक्ष का चुनाव कई मर्तबा टाला जा चुका है । सदन के कार्य में कितनी बाधा पड़ती है, आपको चार-चार, पांच-पांच घंटे बैठना पड़ता है, यह सभी को मालूम है । इसको टाला नहीं जाना चाहिये । आज ही इसका नामांकन होना चाहिये और चुनाव होना चाहिये । मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

यहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है । प्रश्न यह है कि दिनांक ३ जुलाई, १९७४ को विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आंशिक संशोधन में यह सदन निश्चय करता है कि विधान सभा के उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिये २३ जुलाई, १९७४ के लिये निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित करके उक्त निर्वाचन ९ अगस्त, १९७४ के भीतर कराया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २२ जुलाई, १९७४

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

डाक्टर डी० एन० शर्मा की अध्यक्षता में गठित 'कमेटी आन इम्प्रूवमेंट आफ हास्पिटल केयर' की रिपोर्ट

**१—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अस्पतालों के कार्य-कलापों की जांच के लिये गठित डा० डी० एन० शर्मा जांच आयोग की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो कब तथा उसकी मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं तथा उनको लागू करने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)—

डा० डी०एन० शर्मा की अध्यक्षता में गठित एक सदस्यीय "कमेटी आन इम्प्रूवमेन्ट आफ हास्पिटल केयर" की रिपोर्ट शासन को १ जुलाई, १९७४ को प्राप्त हो गयी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में अस्पतालों के प्रबन्ध, अस्पतालों के भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वाह्य रोगी विभाग, आपातिक/कैजुअल्टी सेक्शन, अन्तरंग रोगी सेवा, नर्सिंग केयर यूनिट, आपरेशन थियेटर, हास्पिटल इन्फेक्शन, क्रास इन्फेक्शन, मेडिकल केयर का मेडिको लीगल पहलू, स्टोर पर्चेज, वर्कशाप, हास्पिटल फार्मेसी, ड्रग कन्ट्रोल आर्गनाइजेशन, हास्पिटल लान्ड्री, हास्पिटल डाइट एवं किचिन, मेडिकल रेकार्ड, मेडिकल कालेज से सम्बद्ध अस्पताल पेरीफेरल मेडिकल सर्विसेज के सदर्भ में, स्पेशल हास्पिटल जैसे ई० एस० आई०, कैन्सर, इन्फेक्शस डिजीज, लेप्रोसी कन्ट्रोल, नेशनल ट्युबर क्लोसिस कन्ट्रोल प्रोग्राम, होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक अस्पताल, पहाड़ी क्षेत्रों में चिकित्सा और मेलों में चिकित्सा सुविधा के वर्तमान व्यवस्था के सुधारने हेतु अनेकों सिफारिशें की हैं । शासन द्वारा इन सिफारिशों का परीक्षण किया जा रहा है । उसके पश्चात् ही सिफारिशों के लागू करने पर विचार किया जायगा ।

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल—

मान्यवर, मंत्री जी ने तो अस्पतालों के विभाग गिना दिये हैं कि इस बारे में सिफारिश की गयी है । जो कमेटी अस्पतालों के विषय में जांच कर रही थी वह अस्पतालों के ही विषय में तो सिफारिश करेगी । वह कोई सार्वजनिक निर्माण विभाग या परिवहन विभाग के विषय में तो सिफारिश नहीं करती । मैं यह जानना चाहता हूं कि उस कमेटी की मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं, कोई रेडिकल सुझाव उन्होंने दिये हैं विशेष कर स्वास्थ्य केन्द्रों और अस्पतालों के विषय में ?

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, यह करीब ८०० पन्ने की किताब है, दो खंड हैं इसके, एक ५४३ पृष्ठ का है दूसरा २३९ पृष्ठ का है । हर आइटम के बारे में अलग-अलग सिफारिशें हैं, इसको डाइरेक्टर आफ मेडिकल एण्ड हेल्थ के पास भेजा है कि इसमें फाइनेंशियल खर्च कितना बढ़ जायगा आदि उसके बाद फिर उसको स्क्रूटिनाइज किया जायेगा । फिर वित्त विभाग में वह जायेगा जहां उसके वित्तीय पहलू पर विचार होगा । पहली जुलाई को यह रिपोर्ट प्राप्त हुई, तभी से यह सेशन भी चल रहा है सारे अधिकारी अन्य कामों में लगे हुए हैं । इसको अच्छी तरह से देख भी नहीं पाये हैं । रिपोर्ट मेरे सामने है । किसी खास बात के बारे में यदि माननीय सदस्य कुछ पूछना चाहें तो वह मैं बता सकूंगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

यह मोटी किताब हम लोग भी देख सकें और अपनी सिफारिशें सरकार को दे सकें, इसके लिये क्या सरकार इस किताब को सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, आपका आदेश होगा तो मुझे उसमें एतराज नहीं है, लेकिन अभी इसको रखने से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि अभी सरकार भी इसको अच्छी तरह से देख नहीं पायी है । इसमें कई करोड़ का खर्च आयेगा इसको देखना है, फिर अभी यह प्रकाशित भी नहीं हुई है । आप कहें तो आपके पास भेज दूं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

हो सकता है कि इसमें करोड़ों का व्यय हो, मगर हम ऐसे भी सुझाव इसको पढ़ कर दे सकते हैं कि आपका उतना खर्च न हो, एक ले मैन से संबंधित सुझाव भी उसमें हो सकते हैं । ऐसे सुझाव भी हम दे सकते हैं कि आपका रुपया भी बच जाय और सिफारिश भी स्वीकार हो सके तो सदन के पटल पर उसे रखने में क्या आपत्ति है अगर आपके पास भेज देंगे तो हम कैसे देख सकेंगे, फिर यदि कोई चीज पूछनी होगी तो क्या आप उसकी सूचना देंगे?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

जब तक रिपोर्ट छपी नहीं है, सदन के पटल पर कैसे रखी जा सकती है ?

श्री राजमंगल पांडेय--

जब पब्लिक डाकूमेंट होगा तभी रखा जा सकता है अभी तो यह छपा भी नहीं है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

इस पर श्रीमन्, आप व्यवस्था दें । कमीशन की रिपोर्ट क्या पब्लिक डाकूमेंट नहीं है ?

श्री अध्यक्ष--

सदन की कमेटीज की रिपोर्ट के बारे में मैं यह कह सकता हूं, लेकिन जो सरकारी प्रकाशन हैं, वे किस प्रकार के हैं, उसका कितना हिस्सा आपके पास आना चाहिये कितना नहीं इसका फैसला तो वे ही कर सकते हैं जो शासन में हैं । हां, अगर प्रकाशित हो जाये तब चाहे कितनी ही बड़ी किताब क्यों न हो, उसे सदन के पटल पर रखा जा सकता है ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

जो भी रिपोर्ट सरकार के पास आती है उसे सदन के पटल पर रखने की परम्परा है और रिपोर्ट सरकार को प्राप्त होते ही वह पब्लिक डाकूमेंट बन जाती है । इसलिये उस रिपोर्ट को आप सदन के पटल पर रखने के आदेश दें ताकि हम लोग भी उसको देख सकें और उस संबंध में अपनी सिफारिश दे सकें ।

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, रिकमेंडेशन जो हैं, जो लीगल पहलू हैं वह सब्जेक्ट मैटर आफ डिस्कशन हैं गवर्नमेंट इस पर माइन्ड एप्लाई करेगी । एक कमेटी है, कमेटी की रिकमेंडेशन है वह अन्डर कसीडरेशन हैं गवर्नमेंट पहले इस पर माइन्ड अप्लाई करेगी और सारी बातों के बाद इसका पब्लिकेशन होगा ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

मान्यवर, यह जो आयुर्वेदिक अस्पताल है और जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो विकास की दृष्टि से सिफारिशें हैं उस संबंध में कुछ बता सकेंगे ? तो क्या-क्या सिफारिशें हैं इनको बतायें?

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, मैं पहले ही कह चुका हूं कि गवर्नमेंट ने इस पर माइन्ड अभी अप्लाई नहीं किया है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गवर्नमेंट इस पर कब तक विचार कर लेगी ? दूसरी बात जितनी सिफारिशें गवर्नमेंट स्वीकार कर लेगी क्या उनको सदस्यों में वितरित करायेगी?

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, सदस्यों में वितरित करने का प्रश्न तभी होगा जब इस पर गवर्नमेंट विचार कर लेगी । दूसरे पहले सरकार विचार करेगी कि उनकी क्या सिफारिशें हैं और उनको कार्यान्वित करने में क्या दिक्कतें हैं । गवर्नमेंट ने इसको डायरेक्टरेट आफ मेडिकल ऐन्ड हेल्थ को भेजा है, इसके फाइनेंशियल कमिटमेंट पर विचार होगा तब यह फाइनेंस डिपार्टमेंट को जायेगी फाइनेंस डिपार्टमेंट इस पर एग्री करेगा या नहीं । यह सारी चीजें हो जाने के बाद यह फिर गवर्नमेंट के पास आयेगी। यह कम्बरसन प्रोसीजर है, मान्यवर, इसमें वक्त लगेगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं एक बात जानना चाहता हूं ? अभी मंत्री जी ने कहा कि यह रिपोर्ट आ चुकी है, अब यह फाइनेंस डिपार्टमेंट को जायेगी । फाइनेंशियल कमिटमेंट पर विचार होगा और फिर यह हमारे पास आयेगी । मान्यवर, टैक्सेशन इन्क्वारी कमेटी की रिपोर्ट ला कमीशन की रिपोर्ट और अन्य बहुत सी जो सरकार के पास हैं उनका कोई भाग इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, सारी रिपोर्टें पड़ी हैं और वह पब्लिक डाकूमेंट भी हो गयी हैं । इसी तरह से यह छप जाती हैं, पब्लिक डाकूमेंट हो जाती हैं और इन पर कोई विचार नहीं होता है । तो मान्यवर क्या इस पर विचार करने का मौका मिलेगा, इम्प्लीमेंटशन होने के पहले यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री राजमंगल पांडेय--

टैक्सेशन कमेटी की रिपोर्ट अलग चीज है और यह रिकमेंडशन अलग है । टैक्सेशन कमेटी की रिपोर्ट सारे प्रदेश और देश के टैक्सपेयर्स से सम्बन्धित होगी, इसलिये राय लेना जरूरी है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष--

जहां तक व्यवस्था का प्रश्न है, सदन से सम्बन्धित कमेटी है, तो प्रतिवेदन यहां रक्खा जाता है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन् ला कमेटी, सयानस कमेटी, आयंगर कमेटी पड़ी हैं, वह पब्लिक डाकूमेंट्स हैं, लेकिन इम्पलीमेंटेशन नहीं हुआ है ।

श्री अध्यक्ष---

इस पर मैं अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखता हूं, मैं अभी जल्दी में कुछ नहीं कहना चाहता हूं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

श्री मंगलदेव विशारद वाली कमेटी सरकार द्वारा निर्मित कमेटी थी, इस सदन की कमेटी नहीं थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट सदन को उपलब्ध कराई गई तो इस कमेटी की रिपोर्ट सदन को उपलब्ध कराने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री राजमंगल पांडेय---

नेगी जी का सवाल मैं समझ नहीं ।

श्री अध्यक्ष---

मंगल देव विशारद कमेटी भूमि व्यवस्था से सम्बन्धित कमेटी थी और उसकी रिपोर्ट इस सदन के पटल पर रक्खी गई थी ।

श्री राजमंगल पांडेय---

मैंने उसे अभी तक पढ़ा नहीं है कि उसमें क्या रिकमेंडेशन्स हैं ।

श्री अध्यक्ष---

सिर्फ यह कहना कि यह सरकार द्वारा निर्मित कमेटी है, काफी नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

इस बात को देखते हुए कि माननीय मंत्री जी ने उस रिपोर्ट को अभी तक पढ़ा नहीं है, तो उनको रिपोर्ट उपलब्ध कराने में क्या कठिनाई है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

क्या मंत्री जी ने इसलिये रिपोर्ट नहीं पढ़ी कि उनका विभाग नहीं है और विभाग के मंत्री बीमार हैं, इसलिये वह रिपोर्ट नहीं पढ़ी गई ।

श्री राजमंगल पांडेय---

यह बात बिल्कुल गलत है ।

नेशनल सीड कारपोरेशन लखनऊ के रीजनल, मैनेजर के विरुद्ध तस्करी का आरोप

**२---श्री काशीनाथ मिश्र---

क्या सरकार को पता है कि रीजनल मैनेजर, नेशनल सीड कारपोरेशन (उत्तर प्रदेश शाखा), लखनऊ (श्री पी०आर० चेट्टी) ने डेढ़ लाख रुपये के मूल्य के आलू का बीज मेसर्स साहा ऐंड कम्पनी के माध्यम से बेच कर कारपोरेशन के हिसाब में "कोल्ड स्टोरेज में डेढ़ लाख का आलू बीज सड़ गया" दर्ज किया और क्या यह भी सही है कि उन्होंने धान खाद्यान्न की

[श्री काशीनाथ मिश्र]

तस्करी बीज के रूप में कराने के लिये कलकत्ते की उक्त फर्म के साथ मिलकर नेशनल सीड कारपोरेशन का मार्का एन०एस०सी० की तरह एम०एस० सी० मार्का थैला बनवा कर उसके माध्यम से हजारों टन धान कलकत्ते को भेजा ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ।

खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी)—

नेशनल सीड कारपोरेशन केंद्रीय संस्थान है और श्री पी०आर० चेट्टी इसके कर्मचारी हैं इस संस्थान का संबंध केंद्रीय सरकार से है प्रादेशिक सरकार को इस विषय में कोई सूचना नहीं है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह कह देना कि चेट्टी साहब केंद्रीय कर्मचारी हैं या कि यह संस्था केंद्रीय है, ठीक नहीं है, क्योंकि उसके कार्यकलाप यू०पी० में हैं । यह बात तो उसी तरह हुई जैसे यदि कोई केंद्रीय कर्मचारी चोरी करे तो उत्तर प्रदेश का थानेदार कहे कि चालान कैसे करें । तो मैं जानना चाहता हूं कि जो मार्का थैले पर है वह कम्पनी कलकत्ते में थी और चेट्टी साहब वहां रीजनल मैनेजर थे । वहां भी वह गड़बड़ी करते थे और इस कारण कलकत्ते से यह तबादले पर भेजे गये । मेसर्स साहा कम्पनी को बदलकर थैले पर एम०एस०सी० मार्का उन्होंने बनवाया और उसका रंग और शक्ल उन्होंने बनवाई । उससे हजारों टन तस्कर व्यापार किच्छा और रुद्रपुर से हुआ है । इस तस्करी की पूरी योजना भी उन्होंने ही बनवाई है ।

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

जहां तक नेशनल सीड कारपोरेशन के द्वारा इस प्रदेश के बाहर सीड भेजने का सवाल है, उसके ऊपर तो कोई प्रतिबन्ध नहीं है और वह थैलियों में जाता है जिस बात के लिये माननीय सदस्य ध्यान दिला रहे हैं कि इस तरह से जो तस्करी होती है, वह उनकी वहज से होती है । तो इसके बारे में निवेदन है कि यह तो केंद्रीय सरकार की बात है, जिसके बारे में माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है कि वह यहां से वहां भेजे गये हैं । मान्यवर, जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं, उनसे हमारी सरकार का कोई संबंध नहीं होता, लेकिन यह बात जरूर है कि अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी है तो हम उसके लिये आंख नहीं मूंद सकते और जब यह प्रश्न हमारे सामने आया तो हमने केंद्रीय सरकार के संबंधित अधिकारी को अपने सेक्रेट्री से पत्र लिखवाया है कि कृपया यह बतायें कि फुल फैक्ट्स क्या हैं और जो ऐक्शन लिया जाय, उसकी सूचना स्टेट गवर्नमेंट को भेजी जाय । हम इस मामले में यूं ही नहीं चुप बैठेंगे । केंद्रीय सरकार का कोई कर्मचारी हमारे राज्य के अन्दर कोई भी ऐसी बात नहीं कर पायेगा ।

श्री काशी नाथ मिश्र—

मान्यवर, कृपया नत्थी 'ग' में माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा के प्रश्न २० का सरकार का जबाब देख लें । उसमें है कि मेसर्स साहा ऐंड कम्पनी को सरकार ने गेहूं की परमिट दी है । मान्यवर यह मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि साहा ऐण्ड कम्पनी बंगाल सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश तक तस्करी करती है और यह सरकार ऐसी कम्पनी को परमिट देती है । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस मेसर्स साहा ऐंड कम्पनी को परमिट देना बन्द करेंगे और जो यह साहा ऐंड कम्पनी बलजीत सिंह कम्पनी के साथ मिलकर काम करती है और यह बलजीत सिंह वाली कम्पनी नेशनल सीड कारपोरेशन के दफ्तर के बगल में ही है, तो क्या इस बलजीत सिंह कम्पनी को सर्च कराने की कृपा सरकार करेगी, क्योंकि इस कम्पनी में आज भी नेशनल सीड कारपोरेशन की थैलियों की नकल के बैग्स रखे हैं ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी--

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, यकीनन यह गम्भीर आरोप है और इसके बारे में केंद्रीय सरकार की नोटिस में इसे लाकर यह सरकार पूरी जांच करायेगी।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस बलजीत सिंह ऐंड कम्पनी का जिक्र अभी पंडित काशी नाथ मिश्र ने किया कि यह नेशनल सीड कारपोरेशन के कार्यालय के अगल बगल में ही है, तो क्या सरकार के पास इस बात की शिकायत है कि जो काश्तकार नेशनल सीड कारपोरेशन के पास बीज के लिये जाते हैं तो उनको एन०एस०सी० की जगह एम०एस०सी० का बीज दिया जाता है और इस प्रकार उत्तर प्रदेश के काश्तकारों को चीट किया जाता है । अगर ऐसा है, तो क्या मंत्री जी इसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, क्योंकि यह तो उनके अधिकार क्षेत्र में ही आता है ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी--

मान्यवर, अगर माननीय सदस्य इस बात को हमारे ध्यान में लाये हैं, तो जरूर इसकी जांच की जायेगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या इस सरकार की कोई ऐसी नीति है कि अगर कोई संस्था यदि वह केंद्रीय सरकार से संबंधित है और क्रिमिनल अफेंस इस राज्य में कर रही है, तो क्या केंद्रीय सरकार से पूछकर ही कदम उठाये जायेंगे या उस अफेंस को रोकने के लिये स्वयं यह सरकार भी कोई इनीशियेटिव लेगी ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी--

मान्यवर, अपनी इनीशियेटिव पर ही तो केंद्रीय सरकार से पूछा गया है और उनको नोटिस में लाया गया है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, जब तक ये केंद्रीय सरकार की नोटिस में लायेंगे तब तक सारी बोरियां उठ जायेंगी । कोई जरूरी है कि केंद्रीय सरकार से पूछकर किया जाय ? मान्यवर, ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में बात किसी हाई-रैंक से संबंधित है और उससे पूछकर ही कदम उठाये जायेंगे अन्यथा नहीं ।

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी--

मान्यवर, यह केंद्रीय सरकार के कर्मचारी से संबंधित है, जैसा कि मैंने पहले कहा था। जहां तक अन्य अनियमितताओं की बात है । इस पर हमारी सरकार भी कदम उठा सकती है और मैंने जैसा शुरू में भी कहा यों तो अभी तक यह रहा कि नेशनल सीड स्टोर कारपोरेशन की तरफ से सीड बेचा जाता रहा । उसके लिये अलग से परमिट की बात नहीं रहती थी । अब यह धांधली है अथवा मार्का दूसरा है इसकी जांच हम भी करायेंगे।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

यह छापा आज भी मारा जायगा या नहीं चौका देकर हटवाने के बाद होगा ?

श्री अध्यक्ष--

यह बतलाना उचित कैसे होगा ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद---

मेरा स्पष्ट प्रश्न है कि आज ही छापा मारा जायगा अथवा कुछ दिनों बाद मारा जायगा?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी---

माननीय सदस्य जो चाहते हैं उसको यहां एनाउन्स कर दें उनकी इच्छा पूरी नहीं होगी इसलिये इसे गुप्त ही रहने दें ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)---

यह जो आलू के बीज का घोटाला है क्या इसी प्रकार का घोटाला देवरिया जनपद में तथा कसिया में आलू के बीज का है?

श्री अध्यक्ष---

यह दूसरा प्रश्न हो गया ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

यह चेट्टी साहब कलकत्ता में थे । साहा ऐंड कम्पनी को तमाम कोल्ड स्टोरेज का आलू बेंचकर रजिस्टर में लिख दिया कि सड़ गया । इसी अपराध में वह ट्रांस्फर किये गये थे और उसकी इंक्वायरी हो रही है । साउथ इंडिया के अधीनस्थ कर्मचारी जो उनके साथ वहां काम करते थे उनको यहां भी ले आये हैं तो क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि ये कर्मचारी उनके साथ किन-किन केंद्र में रहे और उनके लिये तस्करी के साधन इकट्ठा करते हैं ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी---

इस सबकी जांच की जायगी ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

*१---श्री बाबू लाल वर्मा---

[८वें सोमवार के लिये स्थगित]

[श्री अध्यक्ष द्वारा पुकारने पर]

(नत्थी 'ग' ..... पर)

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)---

मेरा प्रश्न नत्थी "ख" में स्थगित कर दिया गया है । पूरे प्रदेश के लोग भूखों मर रहे है । क्या माननीय मंत्री जी भी उन भूखों की तरह भोजन नहीं करेंगे ? प्रदेश के लोग घास खाकर रह रहे हैं, त्राहि-त्राहि मची हुई है । यह स्थगित क्यों किया गया ?

श्री अध्यक्ष---

आप बैठें । आपका सवाल हमारे द्वारा स्थगित हुआ है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

स्थगित हो गया तो उनको बैठ जाना चाहिये था । लेकिन देखना यह भी है कि प्रश्न कितने महत्व का है ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्नों के उपरान्त वह कहें ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

मेसर्स राम सरूप खन्डेलवाल एण्ड कम्पनी, कानपुर द्वारा आयरन मैटीरियल को ब्लैक में बेचने की शिकायत

*१--श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को प्रश्नकर्ता का मेसर्स राम सरूप खन्डेलवाल एन्ड कम्पनी, कानपुर द्वारा उद्योग धन्धों के निमित्त मिले कई वैगन आयरन मैटीरियल को बाजार में ब्लैक में बेचकर लाखों रुपया नाजायज रूप से कमाने और इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट को धोखा देने के सम्बन्ध में दिनांक ६ जून, १९७४ का कोई शिकायती-पत्र मिला है ? यदि हां, तो उक्त फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

लघु उद्योग मंत्री (श्री इस्तफा हुसैन)--

जी हां । जांच कराई जा रही है ।

गुजरात राज्य की चोरी से चावल भेजने की जांच

*२--श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तारीख १० जून, १९७४ को निर्धारित प्रश्न संख्या १६ नत्थी (ख) के उत्तर के सन्दर्भ में बतायेंगी कि तीन वैगन चावल गजरात राज्य को भेजते वक्त पकड़ा गया था उसमें कितने लोग कहां-कहां के पकड़े गये और इसकी जांच केन्द्रीय ब्यूरो (सी०बी०आई०) को कब सौंपी गई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार इस सम्बन्ध में स्टेशन मास्टर मिलक श्री जी०सी० सक्सेना, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किये गये थे जिनकी जमानत हो गयी है ।

इस मामले की जांच सी०बी० आई० को १५ मार्च, १९७४ को सौंपी गई थी ।

ग्राम हठिगांव, आजमगढ़ में शुगर मिल के निर्माणार्थ अध्याप्ति भूमि का मुआवजा

*३--श्री भाभी (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या जिला आजमगढ़ की तहसील मोहम्मदाबाद गोहना के ग्राम हठिगांव में बन रही शुगर मिल के निर्माण हेतु जिन किसानों की भूमि ली गई है, उन्हें उसका मुआवजा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और क्या सरकार उन्हें तुरन्त मुआवजा दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

उक्त चीनी मिल के लिये अर्जित भूमि का २/३ प्रतिकर काश्तकारों में वितरित कर दिया गया है । जिसमें से कुछ काश्तकार अपनी रकम लेने नहीं आये । शेष १/३ प्रतिकर, भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा दिये गये अवार्ड पर आयुक्त गोरखपुर मंडल तथा राजस्व परिषद् द्वारा स्वीकृति प्राप्त होते ही वितरित कर दिया जायगा ।

श्री भार्गी--

क्या सरकार बतायेगी कि जिला आजमगढ़ में ग्राम सुरई छठिगांव तथा देवरिया के किसानों की जमीन कब अर्जित की गयी और दो तिहाई मुआविजा कब दिया गया और मुआविजे का रेट तथा आधार क्या है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जिला आजमगढ़ के ग्राम सुरई, छठिगांव तथा देवरिया के किसानों की संयुक्त भूमि लगभग ८४ एकड़ १८ सितम्बर, १९७३ को अध्याप्ति होकर हस्तांतरित की गयी और जहां तक मुआविजे का प्रश्न है वह दो तिहाई मुआविजा सूद सहित २,७१,९१८ रुपया है ।

श्री भार्गव--

अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी हमारी जानकारी को सही मानेंगे कि यह जो मिल में जमीन ली गयी है यह तीन मौजों की जमीन ली गयी है--छठिगांव ग्राम, देवरिया ग्राम और सुरई ग्राम । सुरई ग्राम और देवरिया ग्राम की जमीन बढ़िया किस्म की है। छठिगांव ग्राम की जमीन बड़े काश्तकारों ने खराब जमीन लिखा कर परती छोड़ रखी थी । यहां की जमीन का ज्यादा रेट रखा है और जो बढ़िया जमीन थी उसका कम रेट रखा गया है । क्या इस अन्याय को ठीक करने के लिये मंत्री जी जांच कराकर किसानों को सही मुआवजा दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां । और माननीय सदस्य लिखित रूप में सूचना देंगे तो अवश्य जांच करा लेंगे ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मेरा नीति से सम्बन्धित प्रश्न है । ऐसा देखा गया है कि जो जमीन एक्वायर की जाती है मेरा जाती तजुर्बा है, उनका आठ दस वर्ष तक मुआविजा नहीं दिया जाता है और न ही म्युटेशन से नाम बदलवाते हैं । क्या सरकार कोई समय निश्चित करेगी कि इस समय के अन्दर मुआविजा मिल जाना चाहिये और इसके साथ ही क्या सरकार अपने ऊपर यह भी दायित्व लेगी कि चूंकि सरकार स्वयं जमीन लेती है तो म्युटेशन करवा देगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जैसा कि माननीय नेता जनसंघ ने सुझाव दिया है इसी के अनुरूप जो नये संशोधन हुये हैं उसकी धारा ३२(क) के अधीन एवार्ड पारित होने में यदि विलम्ब होता है तो यह अधिकार दिया गया है कि २/३ रकम को मुआविजे के रूप में वितरित कर सकते हैं । इस धारा के आधार पर २/३ मुआविजा बांटने की कोशिश की जाती है । इसमें अन्तिम निर्णय शीघ्र नहीं हो सकता और अगर मुआविजा जमीन की किस्म के आधार पर ठीक नहीं दिया गया तो इसमें जांच कराना अनिवार्य है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

माननीय उद्योग मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित । उन्होंने बतलाया कि २ लाख ५० हजार रुपया मुआविजा यानी २/३ के करीब वितरित किया गया । यह कौन सा मुआविजा मान कर उसका २/३ दिया गया है । क्या यह मार्केट रेट है या और कोई दूसरा रेट है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

अधिनियम के अनुसार जो मुआविजा जिलाधिकारी ने प्रपोज किया उसके आधार पर दिया है । ७५ हजार तक का मामला कमिश्नर फाइनल कर सकते हैं और उससे अधिक का मामला बोर्ड आफ रेवेन्यू के यहां आता है । अब माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है तो दुबारा इसकी जांच होगी ।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)---

अध्यक्ष महोदय, एक बात साफ नहीं हुई । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि किसानों की जमीन ले ली गयी लेकिन मुआविजे का रेट क्या है ?

श्री अध्यक्ष---

इसका उत्तर आ चुका है ।

[२२ जुलाई, १९७४ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

पूर्ति निरीक्षकों की तदर्थ नियुक्तियां

*१---श्री मुहम्मद असरार अहमद, श्री पुरुषोत्तम कौशिक, श्री कृपा शंकर (जिला देवरिया), तथा श्री दीना नाथ सेवक (जिला रायबरेली)---

विधान सभा के द्वितीय सत्र के पहले सोमवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या ३० के उत्तर के सन्दर्भ में क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिन एक सौ पूर्ति निरीक्षकों को हटाया गया है उनके स्थान पर नियमित चयन किये बगैर नियुक्ति कैसे क्यों, किसने और कब की और ऐसी अनियमित नियुक्ति करने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

वर्ष १९७३-७४ में कार्य के हित में शासन ने आदेश दिये कि पूर्ति निरीक्षकों की तदर्थ नियुक्ति के लिये मंडलायुक्त सेवायोजन कार्यालयों से अभ्यर्थियों के नाम मंगाकर लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के द्वारा चयन कर लें । तद्नुसार चयन हो जाने पर इनकी नियुक्तियां जिलाधिकारियों द्वारा नियुक्ति अधिकारी की हैसियत से ४-४-७३ के बाद की गईं । कार्य की आवश्यकता को देखते हुये कुछ थोड़े से मामलों में ये नियुक्तियां जिला अधिकारियों द्वारा सीधे भी की गयी थीं । चूंकि ये तदर्थ नियुक्तियां शासन के आदेशों के अनुसार की गयी थीं अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगी कि ऐसी कौन सी आवश्यकता थी जिसकी वजह से ये गलत नियुक्तियां की गईं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

अध्यक्ष जी, आवश्यकता यह थी कि पिछले १ अप्रैल से गेहूं का अधिग्रहण किया गया था और आगे चावल को भी लेने का सवाल था और उस वक्त शासन के स्तर पर यह विचार किया जा रहा था कि ये नियुक्तियां की जायं । इन सब बातों को देखते हुये शासन की तरफ से यह आदेश हुये कि ये नियुक्तियां की जायं ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद---

साल भर के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन को क्यों भेजा गया ? आपने बताया कि गलतियां हुईं, तो शासन ने जानबूझ कर यह गलती क्यों की ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

मैंने तो नहीं कहा कि हमने गलती की, यह तो माननीय सदस्य कह रहे हैं । देखिये आप पहले का उत्तर ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

अध्यक्ष महोदय, पहले सवाल का जो जवाब दिया गया उसमें उत्तर में लिखा है कि गलत तरीके से नियुक्तियां हो गयीं थीं और अब आपने पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजा । उस गलती को छिपाने के लिये आपने अब भेजा । गलती तो पहले हुई और अब आप गेहूं और चावल के अधिग्रहण की बात कहते हैं । इस जुलाई में गेहूं का कहां सवाल उठता है । तो क्या सरकार बतायेगी कि किसी विशेष व्यक्ति को अपनी तरफ से उस जगह पर नियुक्त करने के लिये शासन ने ऐसे आदेश दिये ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष जी, न तो मैंने पहले प्रश्न में कहा था कि गलत नियुक्तियां हुई हैं और न इस प्रश्न में कहा । आप पुराने प्रश्न का उत्तर देख लें । अब माननीय सदस्य मुझ पर आक्षेप लगा रहे हैं कि किसी विशेष व्यक्ति को रखने के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन से १०० आदमियों की लिस्ट आयी । पब्लिक सर्विस कमीशन से जो लिस्ट आयी है उसके आधार पर ही हम नियुक्त कर रहे ह । मैं जानती भी नहीं हूं कि वे कौन-कौन से व्यक्ति हैं ।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, पिछली दफे जब यह प्रश्न दिया गया था तो उस समय गलत शब्द का तो इस्तेमाल नहीं किया गया था लेकिन "अनियमितता" शब्द का प्रयोग किया गया था कि अनियमितता के कारण आपने उनकी नियुक्तियां रद्द करके पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजा था ताकि नयी नियुक्तियां हो सकें । तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि वे कौन सी अनियमिततायें थीं जिनके कारण शासन को पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखना पड़ा ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मैंने स्पष्ट कर दिया कि सरकार गेहूं के थोक व्यापार को अपने हाथ में ले रही थी और अन्य विभाग के कार्य भी बढ़ गये थे । इसी आधार पर ये नयी नियुक्तियां की गईं ।

(श्री अध्यक्ष के प्रश्न संख्या २ एवं लघु उद्योग मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

माननीय, प्रश्न में मेरा नाम भी है । मुझे मौका दीजिये, प्रश्न करने का...

श्री अध्यक्ष—

दूसरे के प्रश्न में तो आप खूब हिस्सा लेते हैं लेकिन अपने प्रश्न में पीछे क्यों रह गये (हंसी)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या मंत्री जी बतायेंगी कि पूर्ति निरीक्षकों की जो तदर्थ नियुक्तियां हुई हैं वे इस समय ही पहली दफे हुई हैं या पहले भी कभी ऐसी नियुक्तियां हुई हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न इससे नहीं उठता ।

चमड़ा व पीतल के बर्तनों के लिये कारपोरेशन बनाने पर विचार

*२—श्री मुहम्मद असरार अहमद, श्री राजेन्द्र सिंह (जिला अलीगढ़) तथा श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में चमड़े एवं मुरादाबादी बर्तनों के उद्योगों के लिये अलग-अलग कारपोरेशन बनाने का सरकार ने निर्णय लिया है ? यदि हां, तो किस उद्देश्य और उसकी रूपरेखा क्या होगी तथा इसका केन्द्र स्थान कहां रखा जायगा ?

श्री इस्तफा हुसैन--

जी हां, इन कारपोरेशनों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य जूता तथा पीतल के बर्तन उद्योग में कार्यरत कारीगरों को कच्चे माल, वित्तीय सहायता, नये डिजाइन्स तथा मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध कराना है । इनका मुख्यालय क्रमशः आगरा व मुरादाबाद होगा ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

मंत्री जी से मैं यह जानना चाहूंगा कि यह कारपोरेशन कब तक बन जायेंगे और इनका रजिस्ट्रेशन अभी हुआ है या नहीं ?

श्री इस्तफा हुसैन--

कारपोरेशन्स बन गये हैं, रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, कुछ नियुक्तियां भी हो गई हैं । बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स भी नियुक्त कर दिये गये हैं ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस कारपोरेशन को सरकार द्वारा कितना रुपया दिया जा चुका है ?

श्री इस्तफा हुसैन--

इन कारपोरेशन्स को जो रुपया अभी तक सरकार द्वारा दिया जा चुका है वह इस प्रकार है ७३-७४ में दो लाख-दोनों को अर्थात् प्रत्येक को १ लाख रुपया तथा ७४-७५ में २६ लाख हर एक को दिया गया है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

इन कारपोरेशन्स के चेयरमैन और डाइरेक्टर्स कौन-कौन हैं ?

श्री इस्तफा हुसैन--

मान्यवर, जो लेदर कारपोरेशन है, उसके चेयरमैन सचिव, उद्योग हैं और उसके मैनेजिंग डाइरेक्टर उद्योग निदेशक हैं जो पीतल के बर्तन का कारपोरेशन है, उसके भी चेयरमैन इसी तरह से वह हैं ।

श्री शिव प्रसाद गुप्त (जिला आगरा)--

क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि इनमें कुल पूंजी सरकार की कितनी लगेगी और कितनी पब्लिक की लगेगी ?

श्री इस्तफा हुसैन--

इन दोनों कारपोरेशनों की अथराइज्ड कैपिटल १-१ करोड़ रुपये होंगे और उसमें सरकार का भी करीब हिस्सा इतना होगा--वर्किंग कैपिटल के रूप में होगा, जो दिया जायगा ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

जैसा मंत्री जी ने फर्माया इन कारपोरेशन के मैनेजिंग डाइरेक्टर वगैरह फलां-फलां होंगे, तो मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इनके सदस्य कौन-कौन हैं ? और यह भी जानना चाहता हूं कि मुरादाबाद और आगरा में जो कारपोरेशन होंगे उनको अलाहदा-अलाहदा कितना रुपया दिया जायगा ?

श्री इस्तफा हुसैन--

अभी यह निश्चित नहीं हुआ है । बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स की अगली मीटिंग जल्दी होने वाली है, उसमें तमाम बातें तय होंगी ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में कौन-कौन हैं मैनेजिंग डाइरेक्टर और चेयरमैन को छोड़ कर ?

श्री इस्तफा हुसैन--

उनके अतिरिक्त हमारे सेक्रेटरी फाइनेंस होंगे और डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस के पद के सिंह साहब थे, वह हैं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

इसमें कोई नान आफिशियल भी रखेंगे या नहीं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री सीखा लाल (जिला उन्नाव)--

मैं भी यही पूछे ले रहा हूं। कारपोरेशन के बोर्ड में सरकारी अधिकारी ही बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में रहेंगे या नान आफिशियल भी उसमें रहेंगे? क्योंकि हमारा जो 'एग्रो' का अनुभव है, क्या तदनुसार सरकार ने उस पर पुनर्विचार किया है कि इसके चेयरमैन या मेम्बर नान आफिशियल रहें ? इस संबंध में क्या नीति आपने अपनाई है?

श्री इस्तफा हुसैन--

इस संबंध में जो कोई फैसला नहीं हुआ है

श्री मुहम्मद असरार अहमद --

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में जो सरकारी सदस्य हैं उनकी क्या-क्या तजुर्बा है पीतल के बर्तन बनाने का या चमड़े के काम बनाने का ? एक फिल्म आधार पर बनाये गये हैं?

श्री इस्तफा हुसैन--

लेदर कारपोरेशन में एक मिस्टर यादव हैं जिनको मैनेजर की हैसियत से रखा गया है, वह लेदर का डिप्लोमा हासिल किये हुए हैं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

पीतल के संबंध में बताये।

श्री इस्तफा हुसैन--

जहां तक पीतल के कारपेरेशन की बात है इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं रखा गया है।

*३--श्री मुहम्मद असरार अहमद, श्री झिलमिट तथा श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

[८वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

स्वर्गीय श्री राम भजन सिंह, भूतपूर्व लिपिक, जिला उद्योग कार्यालय, गोंडा के परिवार को देय सेवा वृत्ति का भुगतान

*४--श्री त्रिवेणी सहाय--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि श्री रामभजन सिंह, भूतपूर्व प्रधान लिपिक, जिला उद्योग कार्यालय, गोंडा का देहांत दिनांक २४ सितम्बर, १९६९ को हुआ ? यदि हां, तो क्या उनके परिवार को पारिवारिक वृत्ति अथवा सेवा वृत्ति का भुगतान किया गया अथवा नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्री राम भजन सिंह भूतपूर्व प्रधान लिपिक, जिला उद्योग कार्यालय गोंडा का देहांत २४-९-६९ को नहीं बल्कि २६-९-६९ को हुआ था । उनके परिवार को पारिवारिक वृत्ति अथवा सेवा वृत्ति के भुगतान के लिये कार्यवाही की जा रही है। महालेखाकार की स्वीकृति प्रतीक्षित है ।

श्री त्रिवेणी सहाय--

महालेखाकार की स्वीकृति के लिए किस तारीख को भेजा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

पहली अगस्त, १९७३ को ।

डाक्टर जितेंद्र कुमार अग्रवाल--

रामभजन सिंह की मृत्य हुए पांच वर्ष हो गये, उनके मरने के बाद उनके परिवार को पांच साल तक बेसहारा छोड़ दिया गया, पांच साल तक सेवा-वृत्ति और पारिवारिक वृत्ति देने के क्या कारण है कि इतनी देर की गयी?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मुझे स्वयम् दुख है कि इस प्रकार देरी हुई है। यह हमारी प्रक्रिया का थोड़ा दोष है। इस संबंध में जिला उद्योग अधिकारी, गोंडा का स्पष्टीकरण मांगा गया है कि उनके यहां कागजात तैयार करने में देरी क्यों हुई । सामान्य आदेश भी निकाले जा रहे हैं कि किसी भी कार्यालय में इस प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिये । साथ ही साथ महालेखाकार से परामर्श कर रहे हैं कि महालेखाकार के कार्यालय द्वारा इस संबंध में जो लम्बा पत्र व्यवहार होता है उसे कैसे कम किया जा सकता है ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या माननीय मंत्री जी जो प्रक्रिया इतनी लम्बी और टेढ़ी-मेढ़ी बना रखी है उसको ठीक करके जल्द से जल्द पैसा दिलाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह जवाब दे चुके ।

श्री देवकुमार यादव (जिला बांदा)--

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसी तरह से अन्य विभागों में देरी होती है, ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिससे हर विभाग में देरी न हो?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

मैंने सभी विभागों के लिये कहा कि सामान्य आदेश दिये जा रहे हैं ।

श्री त्रिवेणी सहाय--

क्या माननीय मन्त्री मेरी जानकारी को सही मानकर कि इस व्यक्ति ने मरने के बाद कई दरख्वास्तें दीं (हंसी), इसके परिवार के लोगों ने, मेरी जानकारी है कि उसके मरने के बाद उसके परिवार के लोगों को बहुत तंग किया गया, माननीय मंत्री इस बात की जानकारी करवायेंगे और जो दोषी होगा उसको दंडित करेंगे?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

क्या तंग किया ?

श्री त्रिवेणी सहाय--

इस परिवार ने बड़ी कोशिश की, काफी लिखा-पढ़ी की लेकिन कुछ इसमें ऐसी बाधा रही, पैसा कमाने की, घूस खाने की, इसलिये पड़ा रहा, क्या इसकी कड़ाई से जांच करायेंगे और जो दोषी होगा उसको दंडित करने की कोशिश करेंगे?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैंने स्पष्टीकरण मांगा है, उसमें रेस्पांसिबिलिटी फिक्स की जायगी अगर देरी हुई होगी।

बिक्री कर के बकाये की वसूली

*५--श्री सत्यप्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

द्वितीय सत्र के पहले सोमवार दिनांक १० जून, १९७४ के तारांकित प्रश्न संख्या ६ के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बिक्री-कर का जिन लोगों पर बकाया पड़ा हुआ है उनमें से सबसे अधिक रकम जिन दस बकायादारों के ऊपर बाकी है उनके नाम क्या हैं तथा उनसे बकाया रकम वसूल करने की सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय--

मेरा प्रश्न १० जून का है। ४१ दिन हो चुके। माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे कि वर्तमान सत्र समाप्त होने से पूर्व इसका उत्तर मिल जायगा क्योंकि सारी वांछित सूचना राज्य सरकार के पास उपलब्ध होगी, क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे कि मेरे प्रश्न का उत्तर कब तक हो जायगा?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, कभी-कभी ऐसी मजबूरी होती है कि सूचना जो आती है उससे मैं संतुष्ट नहीं होता। मैं अपना संतोष करना चाहता हूं तो उत्तर जो आया था मैं उसमें संशोधन चाहता था ताकि ठीक उत्तर आये। इसमें माननीय अध्यक्ष द्वारा जारी किये हुए कारण हैं उसमें दो सप्ताह का निर्देश है। इससे पहले ही सूचना आ जाय मैं ऐसी कोशिश करूंगा।

*६--श्री हिम्मत सिंह--

[८वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या ५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उद्योग कार्यालय, हमीरपुर के स्थायी सहायकों का कथित निलम्बन

*७--श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)--

क्या यह सही है कि जिला उद्योग कार्यालय, हमीरपुर के स्थायी सीनियर सहायकों को दिसम्बर, १९७२ में निलम्बित किया गया था और सब जोनल आफिसर, झांसी-सब-डिवीजन द्वारा जून, १९७३ में ज्वाइंट डाइरेक्टर उद्योग विभाग, इलाहाबाद को प्रेषित जांच रिपोर्ट में उनके प्रति लगाये गये आरोपों को निराधार पाया गया? यदि हां, तो उनके निलम्बन को समाप्त करने में विलम्ब का क्या कारण है? और कब तक समाप्त कर दिया जायगा?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी नहीं।

अतः निलम्बन समाप्त करने में विलम्ब का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री गोपाल दत्त ओझा---

क्या सब जोनल आफिसर, झांसी सब डिवीजन में सीनियर सहायकों के निलम्बन के बारे में कोई रिपोर्ट दी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मझे खेद है कि यह सूचना नहीं है। हमीरपर का प्रश्न है। यदि झांसी सब डिवीजन के बारे में माननीय सदस्य कोई सूचना भेजेंगे तो उसकी जांच करा लूंगा।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी गढ़वाल)--

क्या इस प्रश्न से संबंधित जानकारी आपके माध्यम से प्राप्त की जा सकती है कि जिला उद्योग कार्यालय में जो सीनियर सहायकों के पद हैं तो क्या बांदा में भी ऐसे लोगों का निलम्बन हुआ है ? यदि हुआ है तो उनके विषय में जानकारी देंगे ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो दूसरे जिले का प्रश्न है।

*८--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

[वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त]

*९--श्री केशरी लाल--

[८वें सोमवार के लिये स्थगित]

फर्रुखाबाद शहर में साबुन के दुकानदारों के यहां छापे

*१०--श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या खाद्य एवं पूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, १९७४ में शहर फर्रुखाबाद में जिला प्रशासन द्वारा साबुन के दूकानदारों के यहां छापे मारे गये ? यदि हां, तो इन छापों के परिणाम स्वरूप कौन-कौन व्यक्ति गिरफ्तार हुए तथा उनके यहां से किस किस्म का कितना कितना साबुन बरामद हुआ ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जी हां। शहर फर्रुखाबाद में ७ जून, १९७४ को जिला प्रशासन द्वारा साबुन के दुकानदारों के यहां छापे मारे गये। इन छापों के परिणाम स्वरूप गिरफ्तार हुए व्यक्तियों तथा उनके यहां बरामद साबुन की किस्म तथा मात्रा की सूचना संलग्न सूची में दी गई है।

सूची

क्रम-संख्या	नाम व्यक्ति		बरामद साबन की किस्म	मात्रा
१	श्री मोहम्मद नसीम	..	लोकल साबुन धुलाई	५० दर्जन
			नहाने का साबुन (हेल्थ बांड (कानपुर मेड)	७ दर्जन
			बांड साबुन	६ दर्जन
			सर्फ मीडियम	६ दर्जन
			सर्फ इकनामी	१ दर्जन
			रिन्सो पैकेट	२५ दर्जन
			रिन्सो मीडियम	६ दर्जन

क्रम-संख्या	नाम व्यक्ति		बरामद साबुन की किस्म	मात्रा
२	श्री राधे श्याम	..	डेट मीडियम	२२ पैकेट
			मैजिक	२० पैकेट
			रिन्सो	१२ पैकेट
			बांड	१० १/२दर्जन
३	श्री श्याम मनोहर लाल गुप्ता	..	रिन	४४ बट्टी
			सर्फ मीडियम	१२ दर्जन
			सर्फ पैकेट	१७ पीस
			बांड	४५ दर्जन
				७ बट्टी
			लोकल साबुन धुलाई	२५८ पैकेट
			डेट मीडियम	१११ पकेट
			मैजिक	१९ पैकेट
४	श्री सतीश चन्द्र	.	रिन	३२६ केक
			लाइफ ब्वाय	४९ ,,
			डेट	१२९ ,,
			बांड	९६ ,,
			छोटा लक्स	४२ ,,
			सुपर ७७७	२ ,,
			लोकल साबुन धलाई	९७२ ,,
			सर्फ जाइंट	५ पीस
			सर्फ इकानामी	५ पीस
			सर्फ, डेट, रिन्सो (मीडियम)	१३१ पीस
५	श्री बनवारी लाल	..	सन्लाइट साबुन	१७२८ बट्टी

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि फर्रुखाबाद शहर में जो साबुन के बड़े-बड़े डीलर्स हैं जिनके यहां लाइफब्वाय और सनलाइट साबुन हैं, उनके यहां छापे न मार कर छोटे-छोटे दुकानदारों के यहां छापे मारे गये? क्या अधिकारियों ने इनके यहां छापे मारने की आवश्यकता नहीं समझी ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

जो सूचना प्राप्त हुई उसके आधार पर छापे मारे गये थे । अगर माननीय सदस्य कुछ नाम बतायेंगे तो उन पर भी कार्यवाही की जायेगी ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, जो सूचना संलग्न है उसमें आप देखेंगे कि एक व्यापारी बनवारीलाल है । वह साबुन नहीं बेंचता है उसके यहां से १७२८ बट्टी सनलाइट की निकली तो मैं जानना चाहता हूं कि कहां से माल आया और किस ने माल लाकर रखा था ? मुझे पता है कि को-आपरेटिव के लोगों ने चुराकर बह रखा था। क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

मिठाई की दुकान करता है, उनके यहां से इतना साबुन नहीं निकल सकता है ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मैं जानना चाहूंगा कि जो मिठाई का दुकानदार है, उसके यहां इतना साबुन जिस पर बहुत ब्लैक है कहां से आया, कौन सोर्स था ? कोआपरेटिव कंज्यूमर्स स्टोर से आया था ?

श्री अध्यक्ष--

उसके यहां से छापा मारने से निकला ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मान्यवर, इसकी जांच कराई गई । बनवारी लाल ने कहा कि यह साबुन का स्टाक उनके भांजे श्री सतीश चन्द का है जो मुन्नीगंज का साबुन बिक्रेता है । इसलिये बनवारी लाल के विरुद्ध भी एसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट की धारा ३ के अनुसार कार्यवाही की गई ।

*११--श्री शिव सम्पत्ति राम, श्री कल्याण सिंह तथा श्री अवधेश कुमार--

[८वें सोमवार के लिये स्थगित]

जिला जौनपुर सप्लाई आफिस द्वारा मोटर के टायरों का वितरण

*१२--श्री जफर आजमी तथा श्री ऊदल (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर सप्लाई आफिस से ट्रकों तथा मोटर बसों के कितने टायरों को रजिस्ट्रेशन कराकर दिया गया और उसको देने का आधार क्या है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जुलाई ६, १९७४ तक जौनपुर में ३५ टायरों का वितरण रजिस्ट्रेशन कराके किया गया वितरण कमेटी द्वारा मोटर आपरेटरों के पंजीकृत प्रार्थना-पत्रों के क्रमानुसार तथा उपलब्ध साइज के टायरों की मांग के अनुसार टायरों का वितरण किया जाता है

श्री ऊदल--

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि कितने ट्रकों और बसों का रजिस्ट्रेशन हुआ है ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न टायर के सम्बन्ध में हुआ है ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

इसकी सूचना नहीं है । ६ जुलाई तक रजिस्टर्ड प्रार्थना-पत्रों की संख्या ९९ थी ।

श्री ऊदल--

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि अभी तक सिर्फ ३५ टायर ही दिये गये हैं तो क्या ऐसी व्यवस्था करेंगी कि जल्दी से जल्दी लोगों को टायर मिल जायें ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

टायर मैन्यूफेक्चरर स्वयं अपनी तरफ से अलग-अलग जिलों में एजेन्ट निर्धारित करते हैं और अपने हिसाब से लोगों को देते हैं । शासन की तरफ से यह आवंटन नहीं होता है ।

श्री ऊदल--

जो डीलर्स हैं यह ज्यादातर टायर ब्लैक में बेच देते हैं इसलिये सरकार सभी टायरों को अपने कब्जे में लेने पर विचार करेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

टायरों में काफी ब्लैक की शिकायत थी इसलिये जनवरी में यह निर्णय लिया गया है कि जिलाधीश इसके वितरण की व्यवस्था करेंगे, जो रजिस्ट्रेशन होता है उसकी एक कमेटी है १० परसेंट जिलाधीश करता है। कमेटी में जिलाधीश भी रहता है। इस तरह से इनका आवंटन जिलाधीश द्वारा होता है।

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल--

क्या सरकार टायरों का आवंटन जिलों की आवश्यकता के हिसाब से करेगी ?

श्री अध्यक्ष--

आपने व्यापक बना दिया।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, यह पालिसी का सवाल है। सरकारी गाड़ियों को भी नहीं मिलते हैं। रोडवेज को भी नहीं मिल रहे हैं। पालिसी का सवाल है। उत्तर दिलवायें।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जैसा मैंने कहा जो भी उपलब्ध टायर हमारे यहां हैं, छोटे-२ जिलों में टायर दिए जा सकें, इसलिए १२ जुलाई को यह दूसरा निर्णय लिया गया है कि जिन जिलों में टायर की कमी है जिलाधीश दूसरे जिलों से आवश्यकतानसार मांग कर सकते हैं और उस पर विचार किया जायेगा।

*१३--श्री मधुकर दिघे--

[८वें सोमवार के लिये स्थगित]

गोंडा जिले में स्थापित लघु उद्योग

*१४--श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)--

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गोंडा जिले में कौन से लघु उद्योग हैं और कहां-कहां चल रहे हैं ?

श्री इस्तफा हुसैन--

वांछित सूचना संलग्न है।

[देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १०२६-१०२७ पर]

भोजीपुरा, जिला बरेली में गन्ना मिल स्थापित करने की मांग

*१५--श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली) (अनुपस्थित)--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बरेली में भोजीपुरा में सरकार कोई गन्ने का मिल लगाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह मिल कब तक लग जावेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी नहीं।

कानपुर नगर में वनस्पति का पकड़ा जाना

*१६—श्री जगदीश अवस्थी (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि माह अप्रैल या मई, १९७४ में कानपुर नगर के थाना कलक्टरगंज के क्षेत्र में चोर बाजारी से बिकने वाले बनस्पति बहुत बड़ी मात्रा में पकड़ा गया है ? यदि हां, तो पकड़े गये बनस्पति का मूल्य तथा बजन कितना है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां ।

५,५३,९५९.८८ रु० के मूल्य की ६५.६०७५ मैट्रिक टन बनस्पति १६ अप्रैल, १९७४ को पकड़ी गई । संबंधित फर्मों के प्रतिनिधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया । उनके पास पाई गई बनस्पति को जब्त कर लिया गया तथा फर्मों के लाइसेंस निलम्बित कर दिये गये । बनस्पति के भण्डार में से १२.३२५ टन उपभोक्ताओं में वितरित करा दिया गया तथा शेष ५३.२८२५ टन न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण वितरित नहीं कराया जा सका । संबंधित फर्मों के विरुद्ध स्थानीय न्यायालयों में मुकदमा चल रहा है ।

कस्बा घाटमपुर, जिला कानपुर में चीनी का पकड़ा जाना

*१७—कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपया बताने की कृपा करेगी कि जिला कानपुर के अन्तर्गत कस्बा घाटमपुर में दिनांक ८ जून, १९७४ को किसी व्यापारी के यहां बड़ी मात्रा में सरकारी कोटे की शकर पकड़ी गई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां । ८ जून, १९७४ को कस्बा घाटमपुर, जिला कानपुर में स्थित श्री किशन स्वरूप के गोदाम से ८ बोरा चीनी पुलिस द्वारा पकड़ी गई । उन्हें तथा एक अन्य व्यक्ति श्री जयनारायण को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा ३/७ के अन्तर्गत गिरफ्तार करके चालान कर दिया गया । मुकदमे की विवेचना जारी है ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

श्रीमन्, मैं इस सम्बन्ध में थोड़ा बता दूं । मैं स्वयं लखनऊ से घाटमपुर गया था तो पता चला कि खाद्य निगमों से शकर उठती है और खुले आम बेच ली जाती है । हमने स्वयं इत्तला किया । पुलिस ने ५ हजार रुपये लेकर जिसकी यह शुगर पकड़ी गई उसकी मर्जी के मुताबिक अपने गवाहों को रखकर एफ० आई० आर० लाज हुई । दूसरे दिन गवाहों ने हलफनामा दाखिल कर दिया और ३ हजार रु० कोर्ट को दे दिया गया और उन अभियुक्तों को जमानत कर दी गई । क्या माननीय मंत्री महोदया इसकी जांच करायेंगी कि आखिर जो इसकी मंशा थी ब्लैक खत्म करने की, जो पुलिस इन व्यापारियों से भी मिल गई तो माननीया मंत्री महोदया इस संबंध में क्या कार्यवाही करेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

सरकार ने इस पर कार्यवाही की है । श्री नरेन्द्र सिंह का अनुबन्ध-पत्र निरस्त कर दिया और श्री कल्लू सिंह की दुकान निलंबित कर दी गई ।

नोटः—तारांकित प्रश्न संख्या १७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*१८—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

[९वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कस्बा मुबारकपुर, जिला आजमगढ़ में सस्ते गल्ले की दुकानें

*१९—श्री विश्राम (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कस्बा मुबारकपुर, जिला आजमगढ़ में कितनी सस्ते गल्ले की दूकानें चल रही हैं, उनमें से कितनी व्यक्तिगत रूप में संचालित हैं और कितनी सहकारी संस्थाओं द्वारा संचालित हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

कस्बा मुबारकपुर, जिला आजमगढ़ में कुल ९ सस्ते गल्ले की दूकानें चल रही हैं। जिनमें ३ व्यक्तिगत रूप से तथा ६ सहकारी संस्थाओं द्वारा संचालित हैं।

*२०—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[१०वें मंगलवार में प्रश्न संख्या ३ पर स्थानान्तरित]

पश्चिम बंगाल को दिया गया गेहूं बीज का परमिट

*२१—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विगत वर्ष २२,००० क्विंटल गेहूं का परमिट बंगाल जाने के लिए दिया गया ? यदि हां, तो सरकार ने यह परमिट किस व्यक्ति या संस्था को किस के सिफारिश पर दिया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

विगत वर्ष ३,००० टन गेहूं बीज के परमिट पश्चिमी बंगाल सरकार की संस्तुति पर निम्नलिखित ५ संस्थाओं को दिये गये:—

(१) मेसर्स एम० साहा ऐंड कम्पनी।
(२) मेसर्स युनिवर्सल एग्रो केमिकल इंडस्ट्रीज।
(३) मेसर्स फारमेड।
(४) मेसर्स निस्तारनी सीड स्टोर्स।
(५) मेसर्स कृषिधर सुरेकना।

इन सभी परमिट में कनसाइनी, कृषि निदेशक, पश्चिमी बंगाल सरकार थे।

वनस्पति मिलों के उत्पादन में कमी

*२२—श्री त्रिवेणी सहाय, श्री वेद प्रकाश अग्रवाल (जिला फैजाबाद), श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी तथा श्री तीरथ राम कोहली (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार को पता है कि आजकल प्रदेश में वनस्पति घी निर्माता कारखानेदार अपनी पूरी क्षमता भर घी का उत्पादन नहीं कर रहे हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां।

वनस्पति मिलों पर भारत सरकार का नियंत्रण है अतः राज्य सरकार द्वारा उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

निर्वाचन क्षेत्र, अतरौली, जिला अलीगढ़ में सहकारी क्रय केन्द्रों द्वारा क्रय किया गया गेहूं

*२३—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र-अतरौली जिला अलीगढ़ में सरकार की वर्तमान गल्ला खरीद योजना के अन्तर्गत कहां के किसने कितना गेहूं दिनांक २० जून, १९७४ तक सरकार को बेचा है और उनके तथा उनके परिवार के नाम कितनी-कितनी भूमि है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, अतरौली, जिला अलीगढ़ में सरकार की वर्तमान गल्ला खरीद योजना के अन्तर्गत २०-६-७४ तक सहकारी क्रय केंन्द्र अतरौली, मलहपुर, तालिबनगर, हरदुआगंज एवं छर्रा पर क्रमशः २१०, ७३, १५, २२, २३ मीट्रिक टन गेहूं क्रय किया गया।

इसके अतिरिक्त अन्य एजेंसियों द्वारा खरीदे गये गेहूं की मात्रा, स्थान तथा कृषकों के तथा उनके परिवार के नाम भूमि से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है ।

इलाहाबाद जिले में सस्ते गल्ले की दुकानों को दिया गया खाद्यान्न

*२४—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि चाका ब्लाक, जिला इलाहाबाद तथा नगर महापालिका कक्ष नम्बर २७, नैनी, इलाहाबाद के अन्तर्गत कितनी सस्ता गल्ला की दूकान किन-किन स्थानों में चल रही हैं। कोटे दारों के नाम क्या-क्या हैं तथा १ दिसम्बर, १९७३ से ३१ मार्च, १९७४ तक उन्हें सरकार ने कितना-कितना बेजीटेबिल घी, चीनी एवं गल्ला दिया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

बांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १०२८-१०२९ पर)

जिला हमीरपुर में मौरंग-खदानों की नीलामी

*२५—श्री केशरी लाल (जिला कानपुर)—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हमीरपुर में जो मौरंग निकलती है उसका ठेका सरकार ने कब-कब उठाया है और इसका कितना रुपया ठेकेदारों के ऊपर बाकी है और कितनी जगह मौरंग का कार्य हो रहा है और क्या यह सत्य है कि फर्जी नामों से ठेके उठाये गये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जिला हमीरपुर की मौरंग खदानों का नीलाम वर्ष १९६८, १९७१, १९७२ तथा १९७३ में किया गया। वर्ष १९७३-७४ तक रुपये २,०१,१७३.८० बकाया था । मौरंग का कार्य तहसील हमीरपुर, मौदहा तथा चरखारी में हो रहा है । सूचनानुसार फर्जी नामों से कोई ठेका नहीं दिया गया ।

*२६—श्री अनवार जमील—

[दर्वे सोमवार के लिये स्थगित]

बहराइच जिले में उद्योग स्थापित करने की मांग

*२७—श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले में जूट, पटसन, जंगल की लकड़ी व कागज बनाने की घास आदि प्राकृतिक सम्पदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र में सरकार उद्योग खोलने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

श्री इस्तफा हुसैन—

जी हां । पांचवीं पंचवर्षीय योजना में बहराइच जिले में सार्वजनिक क्षेत्र में कोई उद्योग स्थापित करने की योजना नहीं है।

आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत वितरण हेतु आवंटित सीमेंट

*२८—श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत विकास खंड हरैंया, अजमतगढ़, घोसी तथा फतेहपुर महोबा को जनवरी, १९७४ से जून, १९७४ तक अलग-अलग प्रत्येक मास में कितनी-कितनी बोरी सीमेंट मिली है तथा बंटवारा का आधार क्या था?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

प्रश्नगत अवधि में आजमगढ़ जनपद के विकास खण्ड हरैंया, अजमतगढ़, घोसी तथा फतेहपुर मंडाव को निम्नलिखित मात्रा में सीमेंट जनता में वितरण हेतु आवंटित की गई :

क्रम-संख्या	विकास खंड का नाम	जनवरी ७४	फरवरी ७४	मार्च ७४	अप्रैल ७४	मई ७४	जून ७४	योग
१	हरैंया ..	१,९२०	४८३	४८३	४८०	२,३९५	७२०	६,४८१
२	अजमतगढ़ ..	७२०	..	२८३	३,०३६	७२३	८००	५,५६२
३	घोसी ..	१,४४०	३,०९१	..	४८०	२,४०३	१,२००	८,६१४
४	फतेहपुर मंडाव	१,२००	१,२४४	४८३	४८०	१,६८०	९६०	६,०४७

सीमेंट परमिट हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्र पंजीकृत किये जाते हैं और क्रमानुसार प्रार्थी आवश्यकता तथा परमिट की उपलब्धता देखते हुए सीमेंट का वितरण किया जाता है।

जिला गोरखपुर के अन्तर्गत सस्ते गल्ले व मिट्टी के तेल के विक्रेताओं के विरुद्ध कृत कार्यवाही

*२९—श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के क्षेत्र पाली, सहजनवां और खजनी में सरकारी सस्ते गल्ले के तथा मिट्टी के तेल के विक्रेताओं के विरुद्ध मार्च, १९७४ से २५-६-७४ तक शिकायतें आई है? यदि हां, तो उनके विरुद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जी हां । कृत कार्यवाही का विवरण निम्नलिखित है:--

१--सस्ते गल्ले/मिट्टी के तेल के बिक्रेताओं के विरुद्ध--

क्षेत्र	दूकान निरस्त की गई	दूकान निलम्बित की गई	जांच जारी है	योग
१	२	३	४	५
पाली ..	२	२	२	६
सहजनवां ..	१	३	२	६
खजनी ..	..	४	..	४
कुल योग ..	३	९	४	१६

२--मिट्टी के तेल के विक्रेताओं के विरुद्ध--

क्षेत्र	दूकान निरस्त की गई	दूकान निलम्बित की गई	जांच जारी है	योग
१	२	३	४	५
पाली ..	..	..	..	..
सहजनवां ..	२	२	१	५
खजनी ..	..	..	..	..
कुल योग ..	२	२	१	५

नोट:--सहजनवां क्षेत्र के उपर्युक्त दोनों प्रकार के एक-एक बिक्रेता, जिनकी दूकान निलम्बित की गई है, के विरुद्ध पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

क्रय केन्द्र बधैरा, झांसी द्वारा गेहूं की कथित खरीद

*३०--श्री भगवत दयाल (जिला झांसी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम पोस्ट बधैरा ब्लाक, चिरगांव, जिला झांसी में श्री भगवान दास का ४० कुंटल गल्ले का ३,६८० रु० विभाग क्रय केन्द्र बधैरा द्वारा नहीं दिया गया? यदि हां, तो कब तक मिल जाने की संभावना है ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

श्री भगवान दास का चालीस क्विंटल गेहूं क्रय केन्द्र बधैरा द्वारा नहीं खरीदा गया था, बल्कि इसे श्री बलराज सहाय श्रीवास्तव, कोआपरेटिव फार्मिंग सुपरवाइजर, इंचार्ज बधैरा केन्द्र ने गत वर्ष व्यक्तिगत रूप से क्रय किया था, जिसके मूल्य का उन्होंने अभी तक भुगतान नहीं किया है ।

श्री भगवान दास को लिखित रूप से सूचित कर दिया गया है कि वे इस व्यक्तिगत लेन-देन के लिये स्वयं अपने स्तर पर कार्यवाही करें ।

यूरिया खाद कारखाना, इलाहाबाद तथा सूत एवं शूगर कारखाना,मऊनाथ भंजन तथा जहानगंज, जिला आजमगढ़ की स्थापन में कृत कार्यवाही

*३१—श्री राम सुन्दर पांडेय—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यूरिया खाद कारखाना, फूलपुर (इलाहाबाद) त एवं शुगर कारखाना, मऊनाथ भंजन तथा जहांनगंज (सठियांव), जिला आजमगढ़ जिन की नींव माननीय प्रधान मंत्री द्वारा जनवरी, सन् १९७४ में पड़ी थी प्रगति क्या है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

खाद कारखाना फूलपुर (इलाहाबाद) के लिये पांच सौ एकड़ भूमि के अर्जन की कार्यवाही चल रही है। मऊनाथ भंजन जिला आजमगढ़ में सूत कारखाना के लिये कुल ६८.८४ एकड़ भूमि की आवश्यकता है। जिसमें ४०.२०० एकड़ भूमि रिज्यूम की जा चुकी है और २८.६४० एकड़ अतिरिक्त भूमि अर्जित करने की कार्यवाही की जा रही है। दिनांक २ जुलाई, १९७४ को भवन निर्माण संबंधी निविदा पत्र खोले गये और उनका अंतिम रूप देने की कायवाही की जा रही है। मशीनों के क्रय के आदेश दिये जा चुके हैं।

किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, सठियांव, आजमगढ़ के मुख्य फैक्ट्री भवन के निर्माण का काय प्रगति पर है। आवासीय भवनों का निर्माण भी साथ ही साथ चल रहा है। मुख्य सड़क एवं रेलवे स्टेशन से जोड़ने के लिये एप्रोच रोड पर कार्य चल रहा है। प्लांट तथा मशीनरी की सप्लाई सप्लायर द्वारा की जा रही है।

उत्तर प्रदेश हस्तकला योजना के अन्तर्गत प्रदर्शनी एवं प्रचार अधिकारी का पद

*३२—श्री खचेड़ू सिंह मोहरिया (जिला बुलन्दशहर)—

क्या उद्योग मंत्री को इस बात की जानकारी है कि गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट के अन्तर्गत कार्यरत प्रदर्शनी एवं प्रचार योजना ८ वर्ष पूर्व ही बन्द कर दी गई थी ? यदि हाँ, तो प्रदर्शनी एवं प्रचार अधिकारी के पद को न समाप्त करने का क्या कारण है ?

श्री इस्तफा हुसैन—

उत्तर प्रदेश हस्तकला योजना के महत्व को देखते हुये वर्ष १९५६-५७ में शासन ने प्रचार एवं प्रदर्शनी स्कीम स्वीकार किया था। इस स्कीम के अन्तर्गत एक प्रदर्शनी एवं प्रचार अधिकारी के पद को सृजित किया गया। वर्ष १९६७-६८ में बचत की दृष्टि से प्रचार एवं प्रदर्शनी स्कीम में तीन पदों को छोड़कर जिसमें प्रदशनी एवं प्रचार अधिकारी का पद भी शामिल है, अन्य पद समाप्त कर दिये गये।

राजकीय उत्तर प्रदेश हस्तकला योजना का उत्तर प्रदेश निर्यात निगम में हस्तान्तरित होने के कारण संस्था के अनिर्णीत मामलों को निपटाने हेतु प्रदर्शनी एवं प्रचार अधिकारी के पद को बनाये रखना आवश्यक समझा गया।

कानपुर शहर में वनस्पति विक्रेताओं के यहां छापे

*३३—श्री श्याम मिश्रा (जिला कानपुर)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शहर कानपुर में गत तीन माह में किन-किन वनस्पति विक्रेताओं के यहां छापे मारे गये ? कितना वनस्पति बरामद किया गया, कितने गोदामों को सील किया गया और कितने व्यापारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई तथा क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १०३०-१०३३ पर)

कानपुर के खाद्य विभाग में अधिक अवधि तक कार्यरत कर्मचारी

*३४--श्री श्याम मिश्रा--

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में खाद्य विभाग के ऐसे कौन-कौन से अधिकारी हैं जो पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से कानपुर में ही तैनात हैं और उनका स्थानान्तरण न करने का क्या कारण है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

कानपुर में खाद्य विभाग के निम्नलिखित ६ अधिकारी पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से कानपुर में ही तैनात हैं:--

(१) श्री डी० पी० सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी
(२) श्री सरवन लाल अग्रवाल,एरिया राशनिंग आफिसर
(३) श्री पी० पी० सक्सेना, ,,
(४) श्री डी० एन० बाजपेयी ,,
(५) श्री आर० एन० त्रिवेदी ,,
(६) श्री वासुदेव सिंह, उप-क्षेत्रीय हाट अधिकारी ।

उक्त ६ अधिकारियों की कानपुर में तैनाती तथा कानपुर से उनके स्थानान्तरण सम्बन्धी स्थिति निम्न प्रकार है:--

सर्वश्री डी० पी० सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी तथा वासुदेव सिंह, उप-क्षेत्रीय हाट अधिकारी, कानपुर में उनकी तैनाती की अवधि अभी तीन वर्ष से कुछ ही अधिक हुयी है। उन्हें कानपुर में तीन वर्ष के बाद भी प्रशासनिक कारणों वश रोका गया है ।

सर्वश्री सरवन लाल अग्रवाल एवं पी० पी० सक्सेना, जून, १९७३ से एरिया राशनिंग आफिसर के पद पर कार्यरत हैं । प्रोन्नति के पूर्व ये दोनों अधिकारी कानपुर में अराजपत्रित पद पर तैनात थे । इनके स्थानान्तरण के आदेश जारी हो चुके हैं ।

सर्वश्री डी० एन० बाजपेयी तथा आर० एन० चतुर्वेदी क्रमशः मार्च तथा अक्तूबर, १९७३ से एरिया राशनिंग आफिसर के पद पर स्थानीय प्रबन्ध में कार्य कर रहे हैं । इनके स्थानान्तरण सम्बन्धी आदेश भी जारी कर दिये गये हैं ।

*३५--श्री वीरेन्द्र वर्मा--

[८वें सोमवार के लिये स्थगित]

जफराबाद टाउन एरिया, जौनपुर की सस्ते गल्ले की दुकानों पर खाद्यान्न का आवंटन

*३६--श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव--

क्या खाद्य मन्त्री को यह जानकारी है कि जौनपुर जनपद की जफराबाद टाउन एरिया में पिछले कई महीनों से सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से कोई गल्ला नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र के लोगों को कब तक गल्ला मिलने लगगा ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जी हां। जफराबाद टाउन एरिया को सस्ते गल्ले की दुकानों से वितरण हेतु खाद्यान्न का आवंटन नहीं किया जाता है ।

*३७--डाक्टर प्रकाश नारायण गुप्ता--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

तस्करी के सम्बन्ध में मेन्टिनेन्स आफ इन्टरनल सेक्योरिटी ऐक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तारियां

*३८--डाक्टर प्रकाश नारायण गुप्ता (जिला आगरा)--

दिनांक २५ जून, १९७४ को सदन में खाद्य मत्री द्वारा तस्करी के संबंध में दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में सरकार कृपया बतायेगी कि जिन दो व्यक्तियों को मेन्टिनेन्स आफ इन्टरनल सेक्योरिटी ऐक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था उनके विरुद्ध आरोप क्या थे ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मेन्टिनेन्स आफ इन्टरनल सेक्योरिटी ऐक्ट के अन्तर्गत श्री वीरम चन्द्र, वाराणसी, श्री कृष्ण दत्त, आगरा, श्री बंगाली मल, आगरा, श्री ओम प्रकाश, मेरठ, श्री जगन्नाथ, मेरठ तथा श्री सत्य प्रकाश मेरठ, कुल छह व्यक्तियों के विरुद्ध किये गये। इनमें से श्री बीरम चन्द्र, वाराणसी के विरुद्ध अपने भाई, अवयस्क पुत्र तथा परिवार की एक महिला के साथ बड़ी मात्रा में बिहार को खाद्यान्नों की तस्करी का आरोप था। अन्य चार व्यक्तियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश खाद्यान्न व्यापारियों को लाइसेंस देने का आदेश, १९६४ तथा उत्तर प्रदेश तिलहन तथा तिलहन उत्पादन नियंत्रण आदेश, १९६६ की शर्तों का उल्लंघन, लेखा-जोखा सही न रखने तथा अनियमित रूप से खाद्यान्नों की खरीद फरोख्त करने के आरोप थे।

अन्तिम व्यक्ति श्री सत्य प्रकाश के विरुद्ध उत्तर प्रदेश खाद्यान्न व्यापारियों को लाइसेन्स देने का आदेश, १९६४ तथा उत्तर प्रदेश चावल तथा धान उगाही आदेश, १९६८ की शर्तों का उल्लंघन, लेखा-जोखा सही न रखने तथा अनियमित रूप से खाद्यान्नों की खरीद-फरोख्त करने के आरोप थे ।

*३९--श्री शारदा प्रसाद रावत--

[७वें सोमवार में तारांकित प्रश्न ३८ के अन्तगत स्थानान्तरित]

पेन्शनर्स एसोसियेशन की मांगें

*४०--चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ) तथा डाक्टर प्रकाश नारायण गुप्त--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के पेन्शनर्स एसोसियेशन ने केन्द्रीय तथा प्रादेशिक वेतन आयोगों की सिफारिशों के आधार पर अपनी कुछ मांगें गत वर्ष शासन को प्रस्तुत की हैं ? यदि हां, तो वे मांगें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

पेन्शनर्स एशोसियेशन से शासन को अपनी मांगें प्रस्तुत की हैं जिनका विवरण† संलग्नक में दिया गया है ।

उनकी मांगों में यथेष्ठ वित्तीय भार निहित है अतः शासन उन पर सम्यक् विचार करने के उपरान्त ही कोई निर्णय ले सकेगा ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १०३४ पर)

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में नयी चीनी मिलों को स्थापित करने की योजना और गोंडा में चीनी मिल लगाने की मांग

१—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने पूरे प्रदेश में ३२ सहकारी चीनी मिलें लगाने की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो ये चीनी मिलें किन-किन जिलों में लगाई जायेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

राज्य में अब तक २५ नई चीनी मिल स्थापित करने के लिये भारत सरकार से लाइसेंस प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से २१ चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में तथा ४ चीनी मिलें उत्तर प्रदेश चीनी निगम द्वारा स्थापित की जायेंगी । एक चीनी मिल के लिए प्रार्थना-पत्र भारत सरकार के विचाराधीन हैं । ये सब चीनी मिलें संलग्नक'क' में अंकित स्थानों में स्थापित की जायंगी ।

(देखिये नत्थी 'ङ आगे पृष्ठ १०३५ पर)

२—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या गोंडा शहर में सहकारी चीनी मिल लगाये जाने हेतु कोई प्रस्ताव प्रश्नकर्ता का भी सरकार को प्राप्त हुआ है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां।

न्याय पंचायत मरेना जिला शाहजहांपुर के चीनी के कोटेदारों के विरुद्ध शिकायत

३—श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जैतीपुर ब्लाक, जिला शाहजहांपुर में न्याय पंचायत मरेना के शक्कर के कोटेदारों के खिलाफ क्षेत्र समिति जैतीपुर द्वारा पारित प्रस्ताव मार्च-अप्रैल, १९७४ में जिलापूर्ति अधिकारी को मिला ? यदि हां, तो शिकायतें क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

जी नहीं ।

क्षेत्र विकास अधिकारी, जैतीपुर ने एक रिपोर्ट जिला पूर्ति अधिकारी को दिनांक ३१ मार्च, १९७४ को भेजी जिसमें उन्होंने लिखा कि ब्लाक प्रमुख जैतीपुर ने न्याय पंचायत मरेना के चीनी के कोटेदारों के विरुद्ध शिकायत की है कि उक्त कोटेदारों ने जनता में चीनी का वितरण नहीं किया है । शिकायतों पर तहसीलदार तिलहर द्वारा जांच की जा रही है।

उपाध्यक्ष ग्रामोद्योग खादी बोर्ड की कार की मरम्मत का खर्च

४—श्री राम सुन्दर पांडेय—

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामोद्योग खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष को नई विभागीय कार गत वर्ष दी गई है और क्या एक वर्ष के अन्दर ही ६ हजार रु० उक्त कार की मरम्मत में खर्च किया गया है ?

श्री इस्तफा हुसैन—

जी हां ।

इस कार की मरम्मत पर एक वर्ष के अन्दर ३,०५८.०६रु० खर्च किया गया है ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदेश को आवंटित आवश्यक वस्तुओं का कोटा

५—श्री वीरेंद्र वर्मा—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि अप्रैल, मई, जून, १९७४ के इन अलग-अलग महीनों में चीनी, बनस्पति, सीमेंट, डीजल आयल, मिट्टी का तेल तथा कोयला (दोनों प्रकार का) का कितना-कितना कोटा केंद्र द्वारा प्रदेश को आवंटित किया गया और कितना-कितना प्राप्त हुआ तथा १९७३ के इन्हीं महीनों कितना-कितना प्राप्त हुआ था ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

उपलब्ध सूचना*सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

खाद्यान्नों एवं आवश्यक वस्तुओं से संबंधित अनियमितताओं की रोकथाम के लिये पुलिस सेल की स्थापना

६—श्री त्रिवेणी सहाय, श्री ओम प्रकाश सिंह, (जिला गोरखपुर) श्री अवधेश कुमार तथा श्री वेद प्रकाश अग्रवाल—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गेहूं की वसूली करने जमाखोरी, कालाबाजार को रोकने हेतु विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किये जाने की कोई योजना सरकार द्वारा बनाई गई है । यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस संबंध में सभी जिला अधिकारियों को सूची भेजने के आदेश प्रसारित हो गये हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

प्रदेश में खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के संबंध में की जाने वाली अनियमितताओं तथा अपराधों को रोकने के लिये उप-पुलिस महानिरीक्षक के अधीन एक पुलिस सेल की स्थापना की गयी है। इस सेल की स्थापना गेहूं की वसूली हेतु नहीं की गई है । गेहूं की जमाखोरी करने वालों की सूची बनाने हेतु समस्त जिलाधिकारियों को आदेश जारी किये गये हैं ।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत चालान

७—श्री प्रेम दत्त (जिला फतेहपुर)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि १ मार्च, १९७४ से १ जून, १९७४ तक के बीच में कितने व्यक्तियों का चालान आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत हुआ और कितने मुकदमों में चार्जशीट अदालत में दी गई?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

प्रश्नगत अवधि में प्रदेश के ५२ जिलों में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत १,४०३ व्यक्तियों का चालान हुआ और ६४३ मुकदमों में चार्जशीट अदालत में दी गई ।

---

*छापी नहीं गई ।

परीक्षक स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश के सीनियर आडिटरों का स्थायीकरण

८—श्री ऊदल—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परीक्षक स्थानीय निधि लेखा उ०प्र० के कार्यालय के १० वर्षों से अधिक कार्यरत सीनियर आडिटरों को अभी तक स्थायी न किये जाने का क्या कारण है ? जब कि सीनियर आडिटरों के बीसों स्थायी पद रिक्त हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अधीनस्थ स्थानीय निधि लेखा परीक्षा सेवा नियमावली, १९४२ का पुनरीक्षण कर, नई अधीनस्थ स्थानीय निधि लेखा परीक्षा सेवा नियमावली, १९६९ लागू की गई है। नई नियमावली में चयन की प्रणाली भिन्न होने के कारण इन पदों पर परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उ०प्र० द्वारा स्थायीकरण नहीं किया जा सका है । यह विषय अभी शासन के विचाराधीन है और निर्णय होते ही परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, द्वारा स्थायीकरण संबंधी कार्यवाही कर ली जायगी।

कानपुर शहर में दिये गये राशन कार्ड की यूनिट संख्या तथा खाद्यान्न आवंटन

९—श्री श्याम मिश्रा—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि वर्तमान समय में कानपुर शहर में जनता को जो राशन कार्ड दिये गये हैं उनकी कुल यूनिट संख्या कितनी है और उनको इस समय कुल कितने यूनिट खाद्यान्न प्रतिमाह आवंटित किया जा रहा है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

वर्तमान समय में (३० जून, १९७४ तक) कानपुर शहर में जनता को जो राशन कार्ड दिये गये है उनकी कुल यूनिट संख्या १६,१३,८५३ है और वहां इस समय १५,६०,००० यूनिटों पर खाद्यान्न प्रति माह आवंटित किया जा रहा है।

१०—श्री ओम प्रकाश सिंह—

(निरस्त)

मिर्जापुर में तेंदू पत्ती मजदूरों को दिया गया गल्ला

११—श्री सूबेदार प्रसाद तथा श्री शिव सम्पत्ति राय (जिला मिर्जापुर)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दुद्धी वन प्रभाग तुर्रा, मिर्जापुर तथा रामगढ़ एवं चुर्क रेंज, वाराणसी वन खंड के ठेकेदारों को इस वर्ष (१९७४) तेंदू पत्ती तोड़ाई के समय मजदूरों को देने हेतु सरकारी सस्ता गल्ला दिया है? यदि हां, तो किन-किन ठेकेदारों को कितना-कितना गल्ला दिया गया तथा उसके वितरण की सूची सदन की मेज पर रखेंगे?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

इस वर्ष तेंदू पत्ती तोड़ने के समय दुद्धी वन प्रभाग तुर्रा, मिर्जापुर को उप अरण्यपाल, तुर्रा के अनुरोध पर उनके द्वारा नियुक्त सरकारी एजेंटों को सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से कुल २,२४४ कुंटल मक्का, तेंदू पत्ती तोड़ने वाले श्रमिकों को वितरण किये जाने हेतु इशू किया गया, जिसका विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १०३६ पर)

भूतपूर्व सदस्य श्री कन्हैया लाल के निधन पर शोकोद्गार

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्री कन्हैयालाल, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा, स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी सीतापुर जिले से निर्वाचित हुये। श्री कन्हैयालाल का गत १४ जुलाई, १९७४ को सांय ५-३० बजे एक लम्बी बीमारी के कारण उनके सीतापुर स्थित निवास स्थान पर स्वर्गवासहो गया। एक विशाल जन समूह के मध्य उनका दाहसंस्कार किया गया। श्री कन्हैयालाल का जन्म ६ दिसम्बर, १८९८ को खैराबाद में हुआ था। वह अपने विद्यार्थी जीवन से ही राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थे और वह ५ बार स्वतंत्रता संग्राम में जेल गये थे। अध्ययन की समाप्ति पर वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नियमित सदस्य बन गये तथा देश सेवा में प्राणप्रण से व्यस्त हो गये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाये गये स्वतंत्रता संग्राम में ये वर्ष १९३० में प्रथम बार जेल में एक वर्ष तक नजरबंद रहे तत्पश्चात वर्ष १९३२ में इसी संबंध में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये पुनः नजरबंद रहे। वर्ष १९३६ में इनको अंग्रेजों के विरुद्ध प्रचार के अपराध में ६ मास के कारावास का दंड दिया गया और तदुपरान्त वर्ष १९४० के सत्याग्रह आन्दोलन के संबंध में आप एक वर्ष कारावास में रहे। अन्तिमवार श्री कन्हैयालाल "भारत छोड़ो" आन्दोलन के संबंध में वर्ष १९४२ में डेढ़ वर्ष कारागार में रहे।

देश स्वतंत्र होने के पश्चात वर्ष १९४६ में श्री कन्हैयालाल उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य चुने गये किन्तु आचार्य नरेन्द्र देव के नेतृत्व में सोशलिस्ट पार्टी के गठन होने पर उन्होंने १९४८ में त्यागपत्र देकर कांग्रेस तथा विधान सभा की सदस्यता छोड़ दी। इस के पूर्व आप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तथा प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे थे तथा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे। आचार्य नरेन्द्र देव के स्वर्गवास होने के उपरान्त आप सोशलिस्ट पार्टी से अलग हो गये तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बन गये। तथा अन्तिम समय तक इसी पार्टी से सम्बद्ध रहे।

श्री कन्हैया लाल, उर्दू तथा अंग्रेजी के प्रकाण्ड विद्वान तथा प्रभावशाली वक्ता थे उनका सम्बन्ध अनेक सार्वजनिक समाजवादी संस्थाओं से था। आप इस जनपद में हरिजन आन्दोलन के मुख्य प्रवर्तन भी थे तथा उनकी दशा में सुधार उनके जीवन की मुख्य साधना थी। श्री कन्हैयालाल अपने गुणों के कारण इस जनपद में आदर के पात्र थे। आज एक जनसेवी, श्रमिक आन्दोलन का नेता, एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता संग्राम का सेनानी, वह हमारे मध्य नहीं रहे। श्रीमन् इस सदन की ओर से मेरा आपसे आग्रह है कि आप कृपया हमारी भावनाओं को उस शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष जी, मा० नारायण दत्त तिवारी जी ने स्वर्गीय कन्हैयालाल के सम्बन्ध में कहा मैं अपने को उससे पूर्णतया सम्बद्ध करता हूं। वह केवल दो साल ही हमारे विधान सभा के मेम्बर रह पाये। सन १९४८ में आचार्य नरेन्द्र देव के साथ जो ११ विधायकों ने इस्तीफा दिया तो उन्होंने भी इस्तीफा उसी वक्त दे दिया। तो मुझे थोड़ा सा स्मरण उनका है और शेष जितनी उन्होंने सेवाएं की हैं उसका जिक्र तिवारी जी ने किया ही। जैसा कि मैंने पहले भी किसी मौके पर कहा था कि अफसोस यह होता है कि जन सेवकों की कमी जो अपने देश और प्रदेश में हो जाती है उनके स्थान को भरने वाले लोगों की कमी अपने देश और प्रदेश में दिखाई देती है। वह तो जो परमात्मा को मंजूर होगा वह तो होगा। अब मैं विपक्ष की ओर से आपसे दरख्वास्त करता हूं कि हमारी संवेदना उसके परिवार के लोगों को पहुंचने की कृपा करें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाटी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, जो माननीय तिवारी जी तथा माननीय नेता विरोधी दल ने दिवंगत आत्मा के प्रति अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। माननीय कन्हैयालाल के निधन से हम सब दुःखी हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरी और हमारे दल की ओर से उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी संवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)---

माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल ने जो स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर मुझे यह तो सौभाग्य नहीं मिला कि मैंने उनके साथ विधान सभा में बैठकर काम किया हो लेकिन विधान सभा के बाहर उनके कार्यों और व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध में मेरा काफी सम्बन्ध रहा है। जैसा माननीय नेता सदन ने कहा वे समाजवादी विचार धारा के थे। पोलिटिकल आन्दोलनों के सम्बन्ध में कारागार में रहे। वे हमेशा मजदूरों की भलाई के लिये लड़ते रहे और उनका संगठन करते रहे और आखरी वक्त तक उन्हीं के कार्यों में लगे रहे। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इन भावनाओं को उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा (जिला कानपुर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल के संबन्ध में माननीय तिवारी जी ने और माननीय नेता बिरोधी दल ने जो बिचार व्यक्त किये हैं, में अपने आप को और अपने दल को उनसे संबद्ध करता हूं। स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल ने जो सेवा की हैं, वे देश के लिये अनुकरणीय और अकथनीय है और उनसे हमें बहुत कुछ मार्ग-दर्शन मिलता है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी संवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

श्री शिव प्रसाद गुप्त (जिला आगरा)---

मान्यवर, माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल ने जो बिचार व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को संबद्ध करता हूं। मुझे बड़ा खेद है कि वे ऐसे अच्छे कार्यकर्त्ता थे कि उनकी क्षति की पूर्ति अब नहीं हो पायेगी। कृपा करके हमारी संवेदना उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष---

श्री कन्हैयालाल इस सम्मानित सदन के और सदस्य थे इसी १४ जुलाई को उनका देहावसान हो गया। एम० ए०, एल-एल० बी० करने के उपरान्त आप वकालत करते थे। आप १९४६ से१९४८ तक विधान सभा के सदस्य रहे। सन् १९३० से पांच बार, जैसा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, वह जेल गये। एक उच्च राजनीतिक आदर्श का उनका जीवन था। उनके बारे में माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और अन्य दलों के माननीय नेताओं ने जो बिचार व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को संबद्ध करता हूं और आपके इच्छानुसार आपकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार को भेज दूंगा।

अब हम दो मिनट के लिये खड़े होकर उनकी आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना करेंगे।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए।)

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा "तरुण भारत" समाचार-पत्र के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

***श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव** (जिला जौनपुर)--

मान्यवर, मैं चाहता था कि एक मिनट आप मेरी बात सुनकर अपनी व्यवस्था दें ? जैसा कि मैंने अपने प्रस्ताव में लिखा है, माननीय मोतीलाल देहलवी ने १५ तारीख को यहां एक भाषण दिया और उसे आपने कार्यवाही से निकलवा दिया। उसके बाद १७ तारीख के अंक में तरुण भारत पत्र ने उसे प्रकाशित किया। संक्षेप में तथ्य तो यह है लेकिन इसमें जैसा कि उस दिन आपने कहा था, बहुत सी चीजों के बारे में सदन को आंख मूंद लेना चाहिये। मैं भी यह समझता हूं क्योंकि ९ साल तक पत्रकार रहा हूं। विरोधी दल की हैसियत से। तो मैं यह समझता हूं कि प्रेस के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, जहां बहुत से अधिकार प्राप्त हैं। एक विधेयक पारित हुआ था इस सिलसिले में। इसमे विशेषता यह है कि उसी अखबार ने अपने भारत के उसी समाचार पत्र ने जो समाचार एजेन्सी का समाचार था यह लिखा कि मोतीलाल देहलवी ने भाषण किया, उसे अध्यक्ष ने कार्यवाही से निकाल दिया। फिर नीचे उस समाचार को ज्यों का त्यों छापा।

तो उस समाचार पत्र ने जानबूझ कर इस सदन का और इस अध्यक्ष का जो अधिकार था आदेश था उसकी अवहेलना की है। जैसा कि आपको मालूम है कि शर्मा वरसेस श्रीकृष्ण सिनहा का अकेला केस सुप्रीम कोर्ट का है और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया कि अगर कार्यवाही के किसी अंश को अध्यक्ष निकाल देते हैं तो यह समझा जायगा कि वह भाषण सदन मे हुआ ही नहीं और अगर उसको कोई प्रकाशित करता है तो यह समझा जायगा कि वह कार्यवाही के बारे में गलत रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है।

तो हमारा संक्षेप में निवेदन है मैं दूसरे कानूनी पहलू में नहीं जाऊंगा, लेकिन जैसा कि उसो दिन निवेदन किया था काशीनाथ मिश्र के बारे में 'स्वतंत्र भारत' ने जो निकाला था और श्रीमन् ने और माननीय सदस्य ने समझदारी से उसको वापस ले लिया, तो मैं यह चाहता था कि अगर यह परम्परा बनी रही कि अध्यक्ष का एक आदेश हो कि कोई कार्यवाही निकाल दी जाय और फिर पत्र प्रकाशित करें तो यह गंभीर मसला है और मैं चाहता हूं कि इसको आप नोटिस लें और इसे प्रिविलेज कमेटी में भेजें।

श्री अध्यक्ष--

श्री ओम प्रकाश, श्रीवास्तव सदस्य, विधान सभा (जौनपुर) ने कल नियम ६३ तथा ६४ के अन्तर्गत यह प्रश्न उठाया था कि दिनांक १७ जुलाई, १९७४ के 'तरुण भारत' के पृष्ठ ४ के प्रथम स्तम्भ में "वि० सभाध्यक्ष पर तानाशाही का आरोप" शीर्षक के अन्तर्गत एक समाचार में ऐसे अंश को प्रकाशित किया है जो वस्तुतः तथा नियमतः विधान सभा की कार्यवाही का अंश नहीं है और इस प्रकार सदन की कार्यवाही के वृतांत से अध्यादेश द्वारा निकाले गये शब्दों को छापकर "तरुण भारत" के प्रकाशक एवं संपादक ने सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना की है।

दिनांक १५ जुलाई, १९७४ की कार्यवाही को मैंने देखा है और यह सही है कि श्री मोती लाल देहलवी ने सदन में बिना मेरी अनुमति के जो भाषण दिया था, उसे कार्यवाही के वृतान्त से निकाल देने का आदेश मैंने दिया था और वह कार्यवाही का अंश नहीं है किन्तु आगे कार्यवाही में मेरे तथा माननीय नेता विरोधी दल के भाषण में श्री देहलवी द्वारा उठाये गये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मामले से सम्बन्धित कतिपय बातो तथा इस बात का उल्लेख आता है कि श्री बेहलवी ने इस प्रकार का नारा लगाया, जिनका उल्लेख "तरुण भारत" ने किया है और जो श्री बेहलवी द्वारा दिये गये उस भाषण का अंश था, जिसे मैंने सदन की कार्यवाही से निकालने का आदेश दिया था। इस प्रकार "तरुण भारत" द्वारा प्रकाशित समाचार सारतः उस कार्यवाही का प्रकाशन कहा जा सकता है जो कार्यवाही का अंग है और इस कारण "तरुण भारत" के प्रकाशक एवं सम्पादक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का कोई प्रश्न प्राग-दर्शन में नहीं बनता।

इस सम्बन्ध में यह प्रश्न उठा है कि क्या पीठासीन अधिकारी द्वारा इस प्रकार निकाले गये अंशों का, जो वास्तव में कार्यवाही का भाग नहीं होते, समाचार-पत्रों में प्रकाशन किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०४ के अनुसार यदि अध्यक्ष की राय हो कि सदन में कोई ऐसा शब्द या ऐसे शब्द प्रयुक्त किये गये हैं, जो मान-हानिकारक या अशिष्ट या असंसदीय या अभद्र हैं तो वे स्वविवेक से आदेश दे सकेंगे कि ऐसा शब्द या ऐसे शब्द सदन की कार्यवाही में से निकाल दिये जायं। इसी प्रकार नियम २८७ में यह व्यवस्था है जब कोई सदस्य बोलने के लिये खड़े हों तो अध्यक्ष उनका नाम पुकारेंगे। यदि एक ही समय पर एक से अधिक सदस्य खड़े हो जायं तो जिस सदस्य का नाम पुकारा जायगा उन्हीं को बोलने का अधिकार होगा।

उक्त नियमों से यह स्पष्ट है कि जो माननीय सदस्य बिना अध्यक्ष की अनुमति के बोलते हैं, वह अनधिकृत रूप से बोलते हैं और ऐसे सदस्य का अनधिकृत भाषण सदन की कार्यवाही से निकाल देने का आदेश उक्त नियम ३०४ के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष दे सकते हैं क्योंकि ऐसे सदस्य ने नियम का उल्लंघन किया है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष पद से दिये गये निर्णयों के संहत संकलन (अप्रैल, १९५२ से २२ दिसम्बर, १९६७ तक) के पृष्ठ ९१ पर निर्णय संख्या २ में दिनांक २७ अप्रैल, १९६५ को श्री काशीनाथ मिश्र के अध्यक्ष की आज्ञा के विरुद्ध बोलते रहने पर यह निर्णय दिया गया था कि कोई सदस्य बिना अध्यक्ष की अनुज्ञा के इस सदन में नहीं बोल सकता है और यदि कोई बोलता है तो वह अनधिकृत बोलता है और वह अभिलेख में नहीं आ सकता।

पीठासीन अधिकारी के आदेश से इस प्रकार कार्यवाही से निकाले गये अंश कार्यवाही का भाग नहीं होते हैं मानों कि वे शब्द कहे ही न गये हों और जब ऐसे शब्द कार्यवाही के भाग नहीं होते तो उनका किसी समाचार-पत्र में प्रकाशन भी नहीं किया जा सकता।

एस० एस० एम० शर्मा बनाम श्री कृष्ण सिनहा (आई० इ० रि० १९५९, स० न्या० ३९५) जिसमें बिहार विधान सभा अध्यक्ष द्वारा वर्जित अंश को पटना के समाचार-पत्र "सर्चलाइट" में छापे जाने के कारण विशेषाधिकार का प्रश्न उठा था और जो सर्वोच्च न्यायालय तक गया था, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट निर्णय दिया है कि कार्यवाही से निकाले गये अंश का प्रकाशन विशेषाधिकार भंग तथा अवमान है। इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हिन्दी अनुवाद, जैसा कि कौल व शंकर की पुस्तक "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" के पृष्ठ २५१–५२ पर दिया गया है, इस प्रकार है:—

"अध्यक्ष किसी सदस्य के भाषण के किसी अंश को कार्यवाही के वृतांत से निकालने का आदेश देता है तो कानून की दृष्टि से उसका प्रभाव यह है मानों वह अंश बोला ही नहीं गया। इस परिस्थिति में सारे भाषण का समाचार चाहे तथ्यों पर आधारित ही क्यों न हों, कानून की दृष्टि से विकृत तथा गलत समझा जायगा और किसी भाषण के ऐसे विकृत तथा गलत वृतांत का प्रकाशन जिसमें सभा में अध्यक्ष के आदेश की परवाह किये बिना वृतांत से निकाला गया अंश भी शामिल किया गया हो, प्रत्यक्षतः सभा के विशेषाधिकार का भंग माना जायगा।'

[श्री अध्यक्ष]

उक्त पुस्तक के पृष्ठ २५२ पर पाद टिप्पणी में २१ दिसम्बर, १९५९ को बम्बई के समाचार-पत्र "फ्री प्रेस जनरल" द्वारा अपने १७ दिसम्बर, १९५९ के अंक में लोकसभा की १६ दिसम्बर, १९५९ की कार्यवाही का जो समाचार छापा गया था, उसमें कुछ ऐसे अंश भी छापे गये थे जो अध्यक्ष ने कार्यवाही के वृतांत से निकाल दिये थे, उक्त समाचार-पत्र के विरुद्ध लोक सभा में उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न का उल्लेख है। इस सम्बन्ध में लोकसभा के अध्यक्ष ने समाचार-पत्र के सम्पादक से यह जानकारी प्राप्त करने के बाद कि उसने ऐसा क्यों किया, सदन को यह सूचना दी कि सम्पादक ने अपनी इस चूक के लिये बिना शर्त क्षमा-याचना की।

लोकसभा के ही एक अन्य मामले का उल्लेख लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित "प्रिविलेजे डाइजेस्ट" अप्रैल, १९६७ (वोलूम-१२, नं० १) के पृष्ठ ३५ पर है जिसमें "हिन्दुस्तान टाइम्स" के सम्पादक और प्रकाशक के विरुद्ध १० नवम्बर, १९६६ को एक विशेषाधिकार की अवहेलना का मामला इसलिये उठाया गया था कि उक्त पत्र ने ९ नवम्बर, १९६६ के अंक में उसके पिछले दिन के अध्यक्ष द्वारा वर्जित अंश को छाप दिया था। लोकसभा के अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह ने सदन को यह सूचना दी कि समाचार-पत्र के सम्पादक उनके पास आये और उन्होंने क्षमा याचना की किन्तु उन्होंने (अध्यक्ष ने) उनसे कहा कि इतना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि वे एक पत्र लिखें जिसे वे सदन को पढ़कर सुनायेंगे। तद्नुसार २२ नवम्बर, १९६६ को अध्यक्ष ने उक्त समाचार-पत्र के सम्पादक से प्राप्त दिनांक १० नवम्बर, १९६६ के पत्र को पढ़कर सदन को सुनाया जिसमें यह कहा गया था कि जांच के पश्चात् मुझे ऐसा बताया गया कि विशेष प्रतिनिधि जो कार्यवाही को प्रतिवेदित करने के लिये वहां पर थे, वे सदन में हंगामे के कारण अध्यक्ष के निर्णय को नहीं सुन पाये और उन्होंने यह विश्वास दिलाया कि वर्जित अंश का प्रकाशन एक भूल थी जिसके लिये सम्पादक ने हार्दिक खेद प्रकट किया। सदन ने इस पर यह निर्णय लिया कि यह खेद प्रकाश समाचार-पत्र द्वारा अपने समाचार पत्र के प्रमुख पृष्ठ पर छापा जाय। तदनुसार २३ नवम्बर, १९६६ के "हिन्दुस्तान टाइम्स" के अंक में समाचार-पत्र ने खेद प्रकाशन किया।

इस सदन के अध्यक्ष आसन से भी इससे पूर्व इसी प्रकार के निर्णय दिये गये हैं। उक्त संहत संकलन के पृष्ठ १०८ के निर्णय संख्या ५६ में दिनांक २६ फरवरी, १९६५ को श्री शिव मंगल द्वारा "पायनियर" में छपे समाचार पर की गयी एक आपत्ति का निराकरण करते हुए तत्कालीन अध्यक्ष ने यह निर्णय दिया कि--

"किसी का नाम लिया हो आपने और हमने कह दिया कि अभिलिखित नहीं होगा, तो समाचार-पत्र वाले छाप नहीं सकते। यह संसदीय प्रथा है और इस संसदीय प्रथा का पालन इस सदन में होगा और मेरे द्वारा होगा।"

इस सम्बन्ध में पृष्ठ ४८३ पर निर्णय संख्या १० भी उल्लेखनीय है। दिनांक १४ दिसम्बर, १९६३ को "नेशनल हेराल्ड" में विधान सभा की कार्यवाही का प्रतिवेदन ठीक न होने पर एक आपत्ति के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष ने कहा--

"अगर आदेश में दे दूं कि अमुक बात रेकार्ड में नहीं आयेगी या उसे एक्सपंज कर दिया जाय और फिर भी वह छपे तो वह ब्रीच आफ प्रिविलेज है और उस सम्बन्ध में कार्यवाही हो सकती है। जो भी एक्सपंज हो जाय वह छपना नहीं चाहिये।

मैंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, लोक सभा के निर्णय एवं इस सदन के निर्णयों का ऊपर हवाला दिया है। इससे यह स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्यवाही से जो अंश निकाल दिये जाते हैं या जिसके सम्बन्ध में यह आदेश दिया जाता है कि वह कार्यवाही का भाग नहीं होगा, उनके सम्बन्ध में यह समझा जाता है कि वे शब्द या अंश कहे ही

नहीं गये हैं और हाउस आफ कामन्स, लोकसभा तथा अन्य राज्य विधान मण्डलों में भी इस प्रकार निकाले गये अंशों का प्रकाशन विशेषाधिकार की अवहेलना माना गया है। इसका आधार यह है कि सदन की कार्यवाही पूर्णरूपेण विशेषाधिकार से सुरक्षित है और कार्यवाही के प्रकाशन के सम्बन्ध में हाउस आफ कामन्स ने अपने विशेषाधिकार को अब भी सुरक्षित रखा है, यद्यपि व्यवहार में समाचार-पत्रों आदि द्वारा कार्यवाही के सारतः सही रिपोर्ट प्रकाशन को को वे नजर अन्दाज करते रहे हैं। चूंकि संविधान में सदन एवं सदस्यों के विशेषाधिकार वही हैं जो २६ जनवरी, १९५० को हाउस आफ कामन्स के थे, अतएव कार्यवाही के सम्बन्ध में उक्त विशेषाधिकार इस देश एवं प्रदेश के विधान मण्डलों के सदनों पर भी लागू होते हैं और हाउस आफ कामन्स की प्रथा के अनुसार इस देश एवं प्रदेश में भी समाचार-पत्रों आदि द्वारा सदनों की कार्यवाही का सारतः सही रिपोर्ट के प्रकाशन को नजरअन्दाज किया जाता है परन्तु जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है, जो अंश पीठासीन अधिकारी के आदेश से कार्यवाही से निकाल दिये जाने के कारण सदन की कार्यवाही का अंग नहीं है, उसके प्रकाशन के सम्बन्ध में, सर्वोच्च न्यायालय, संसद और राज्य विधान मण्डलों में यह निर्णय हो चुका है कि उससे विशेषाधिकार की अवहेलना होती है।

मैंने सदन का ध्यान इस वस्तु स्थिति की ओर इसलिये आकृष्ट किया है कि इस बात का ध्यान रखा जाय कि कार्यवाही के ऐसे अंशों को, जिनके सम्बन्ध में पीठासीन अधिकारी के आदेश हों कि वे कार्यवाही के अंश नहीं माने जायेंगे या कार्यवाही से निकाल दिये जायेंगे, उनका प्रकाशन न किया जाय।

सदन में गाली देने तथा चप्पल दिखाने के संबंध में श्री कुंवर बहादुर मिश्र तथा श्री हरिकेवल के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

दूसरी एक और विशेषाधिकार की सूचना है। माननीय कुंवर बहादुर मिश्र ने जो उस दिन गाली दी और दूसरा जो चप्पल का मामला था वह दोनों तरफ से आया है। वह इस प्रकार है—

"दिनांक १७ जुलाई, १९७४ को विधान सभा में तथाकथित घटना के सम्बन्ध में दो विशेषाधिकार की सूचनायें दिनांक १८ जुलाई, १९७४ को प्राप्त हुई थीं। एक सूचना माननीय सदस्य श्री भगवती प्रसाद की माननीय सदस्य श्री कुंवर बहादुर मिश्र (हमीरपुर) के विरुद्ध है, जिसमें उन्होंने कहा है कि श्री कुंवर बहादुर मिश्र ने माननीय सदस्य श्री हरिकेवल को कहा कि "यह चोर है, यह साला क्यों बोल रहा है"। माननीय सदस्य श्री भगवती प्रसाद का कहना है कि यह बात उनके कान तक आई। दूसरी विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना माननीय सदस्य श्री काशीनाथ मिश्र की माननीय सदस्य श्री हरिकेवल प्रसाद ने हाथ में चप्पल लेकर ट्रेजरी बेंच की तरफ दिखाते हुए चप्पल चलाने की धमकी दी और इस प्रकार सदन का अवमान किया है।

दिनांक १७ जुलाई, १९७४ की कार्यवाही के अनुसार श्री भगवती प्रसाद ने यह प्रश्न उठाया कि माननीय सदस्य, श्री हरि केवल जब बोल रहे थे तो उन्हें गालियां दी गयीं। उन्होंने कौन सी गाली दी, इसका भी उल्लेख है। इस पर जनसंघ के नेता श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, विरोधी दल के नेता चौधरी चरण सिंह तथा कुछ अन्य सदस्यों ने भी आपत्ति की। मैंने इस समय यह कहा था कि किसने किसको क्या गाली दी मैंने नहीं सुना।

[श्री अध्यक्ष]

कार्यवाही में यह अंकित है कि माननीय सदस्य श्री हरिकवल ने अपने भाषण के मध्य चप्पल हाथ में लेकर दिखायी। दिनांक १७ जुलाई, १९७४ के कार्यवृत्त के पृष्ठ २ पर भी जो लिखा गया है वह इस प्रकार है ---

"इस समय श्री भगवती प्रसाद (फैजाबाद) ने शिकायत की कि सरकार पक्ष के किसी सदस्य ने विरोधी पक्ष वालों को गालियां दी हैं। श्री हरिकेवल ने भी चप्पल दिखाया।"

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)---

आपने जब कुछ नहीं किया तो वह क्या करते ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो आप करेंगे, मैं कुछ नहीं करता। यह सब जो आप कहते हैं सदन जैसा उसकी मर्यादा है, जैसे उसके नियम हैं मैं तो सदन की बात को देखकर ही देखता हूं और मैं और कुछ नहीं देखता। नेता सदन, नेता विपक्ष और अन्य माननीय दलों के नेतागण जैसा देखते हैं, उसी के अनुसार मैं भी देखता हूं। अब यह प्रश्न है कि जैसा मैंने उस दिन भी इस बारे कहा था कि मैं नेताओं की बैठक करूंगा और कुछ इस पर बातचीत करूंगा। तो अब यह में पूरा मामला आपके सामने है जैसा आपकी राय हो।

चौधरी चरण सिंह---

अभी आपकी रूलिंग तो इस विषय पर नहीं हुई है ?

श्री अध्यक्ष---

नहीं।

चौधरी चरण सिंह---

जब तक कि आप माननीय नेताओं, यानी माननीय नेता सदन, अन्य दलों के माननीय नेताओं को नहीं सुन लेंगे।

श्री अध्यक्ष---

जी हां।

*चौधरी चरण सिंह---

मैं तो इस वक्त दो बातें कहना चाहता हूं। गाली देने की शिकायत किसी माननीय सदस्य ने इधर से की। उसके बाद भी कार्यवाही चलती रही। फिर दोबारा गाली दी गयी, फिर उन्होंने शिकायत की। गालिबन उसके बाद फिर तिबारा-गालियां दी तब उन्होंने चप्पल निकाल लीं। तो विचार करने की बात है कि चाहे आपने गाली नहीं सुनी लेकिन आपकी नोटिस में यह तो आ गया कि एक माननीय सदस्य द्वारा गाली दी गई। आप उसकी तहकीकात करके वह बात दूसरी है। मतलब यह है कि दो दफा ऐसा हुआ उस पर आपकी तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई तो चप्पल उठाई। मैं समझता हूं, चप्पल फिर भी नहीं उठानी चाहिए थी चाहे वह दस बार गाली देते। यह बेशक उनकी गलती है। लेकिन यह मानना पड़ेगा कि उसके लिए प्रोवोकेशन एक दूसरे सज्जन ने दिया जिसके खिलाफ चप्पल उठाई। एक तो इस पर तय करना होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार के बारे में जब तक किसी का नाम नहीं आता है कि इसने गालियां दीं क्योंकि यहां माननीय सदस्य और भी बातें करते रहते हैं....

(व्यवधान)

अभी कोई निर्णय थोड़े ही हुआ लेकिन चूंकि माननीय नेता विरोधी दल ने कहा, मैं तो जब कोई कहे कि अमुक ने यह गाली दी...

*श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

यह केवल उस दिन का प्रश्न नहीं था कि जिस दिन मैंने यह प्रश्न उठाया था। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से बड़ी सफाई क साथ कहना चाहता हूं कि जब से यह सदन चल रहा है तब से माननीय कुंवर बहादुर मिश्र जी यहां बैठते हैं और इसके पहले हमारे विरोधी पक्ष के नेता माननीय चौधरी साहब राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जब बोल रहे थे तब इन्होंने अपशब्द कहे थे। माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी एक दिन बोल रहे थे तब इन्होंने वहीं बैठकर अपशब्द कहे। मैं बताऊं रोज-बरोज माननीय कुंवर बहादुर मिश्र यहां से अपशब्दों का प्रयोग करते थे।

(व्यवधान)

भाषण और अपशब्द में अन्तर होता है। भाषण हम लोग भी करते हैं, कितनी चोटें की जाती हैं, कितने सुझाव दिए जाते हैं, कितनी छींटाकशी होती है, लेकिन जिस तरह से माननीय सदस्य ने अपशब्दों का प्रयोग किया है वह सदन के मान और मर्यादा के विपरीत है वरना मैं नहीं उठाता इस प्रश्न को। नाम के लिए आप कह रहे हैं, मैं पहले उनका नाम नहीं जानता था, आज तो वहां बैठ रहे हैं। लेकिन उनकी शक्ल से मैं बराबर वाकिफ हू। उसके दो मिनट बाद ही मैंने नाम जानने की कोशिश की थी और लिखित आपको दिया है।

श्री अध्यक्ष—

मैं कार्यवाही से पड़ रहा हूं....

"(शोर के बीच)"

माननीय भगवती प्रसाद ने कहा, "माननीय सदस्य यहां बैठ कर सुनते हैं। जब भी कोई प्रश्न विरोधी पक्ष के सदस्य उठाते हैं तो गालियां देते हैं। अभी माननीय सदस्य हरिकेवल बोल रहे थे, उस दिन उस प्रश्न को लेकर उन्होंने सदस्यों को....

(व्यवधान)

कहते हैं, चोर तुम...."उसके बाद गाली लिखी है....

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

एक बड़ा गम्भीर प्रश्न आपके सामने उपस्थित है। सदन की एक मर्यादा है, इसकी एक गरिमा है, इसका हम उल्लंघन करते हैं यह हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। हमको अनेक चोटें मिलती हैं शासक दल से और इधर से भी कहा जाता है लेकिन वह भी एक ढंग से कहा जाता है, उसकी भी एक मर्यादा है। जैसा हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि एक बार नहीं उन्होंने अनेक बार सुना, माननीय चौधरी साहब जब बोलने खड़े हुए तब कहा, मैं जब खड़ा हुआ तब कहा। मुझे तो इसकी शिकायत नहीं है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको घर पर गाली देने की आदत होती है। तो मुझे इसकी चिन्ता नहीं है क्योंकि मुझसे भी प्रिय लोगों को वह गाली दे देते होंगे। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आखिर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

इसकी कोई दवा होनी चहिए। यह मामला आपके सामने विचार करने के लिए आ गया, मैं नहीं चाहता हूं कि यह मामला यहां उभरे। आपके कमरे में विरोधी दलों के नेता भी आ जायें माननीय बहुगुणाजी भी आये, वहां इस पर विचार हो जाय। विरोध पक्ष के साथ सरकारी पक्ष का जो व्यवहार अब होने लगा है उसको भी मैं आपके सामने वहां रखूंगा। उन्होंने जो नाम नहीं लिखा, उस वक्त उनको नाम नहीं मालूम था, उसकी कोई जरूरत भी नहीं थी, केवल इस टेक्निकलिटी के आधार पर उसको टाला न जाय। मेरी यह प्रार्थना है कि इसको आप देखें ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो। मैं समझता हूं कि अब इन शब्दों का प्रयोग यहां न किया जाय और न ही यहां माननीय सदस्य से कोई स्पष्टीकरण आदि लिया जाय जब भी आपको समय मिले। आप अपने कमरे में ही सब नेताओं को बुला लें, यह मेरी प्रार्थना है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

मैंने भी उस दिन की घटना के सम्बन्ध में आपको लिखा था। जहां तक गाली का सवाल है, बहुत से लोगों ने तो उसको सुना भी नहीं, चप्पल जो दिखायी गयी उसे सारे सदन ने देखा। आपने भी देखा। गाली देने का जहां तक सवाल है, लोहिया जी वाले केस में सन् ५४ में उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि भाषण स्वतंत्रता के अन्तर्गत गलत बात को बोलना भी आता है....

(व्यवधान)

भाषण स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसमें यह कहा जा सकता है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। इस मामले को मैं अपने कक्ष में ही पहले देखूंगा और माननीय नेता सदन तथा अन्य विरोधी पक्ष के माननीय नेताओं को भी बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

मैं अभी किसी को बोलने की इजाजत नहीं देता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र---

मैं यह कहना चाहता हूं कि उच्च न्यायालय का यह निर्णय मौजूद है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हो गयी है। मैं चाहता हूं कि सभी दलों के नेता आपस में मिलकर कोई रास्ता निकालें। सभी नेताओं से बात करने के पश्चात् इस पर मैं कोई निर्णय दूंगा। अभी मैं इसको टालता हूं।

(व्यवधान)

एक सदस्य---

मान्यवर, काशीनाथ मिश्र गलत कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

अभी जो माननीय काशीनाथ मिश्र ने कहा कि बोलने की आजादी होती है तो मैं बता देना चाहता हूं कि बोली की स्वतंत्रता तो होती है लेकिन गाली देने की आजादी नहीं होती है।

(कई सदस्यों के साथ-साथ बोलने से शोर) (व्यवधान)

एक सदस्य---

अभी जो मान्यवर, काशी नाथ मिश्र ने कहा है उस पर आप .....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

इस सवाल को मैंने अभी टाल दिया है इस पर बाद में विचार होगा।

चौधरी चरण सिंह---

अध्यक्ष महोदय, पेश्तर इसके आप आगे की कार्यवाही शुरू करें मैं २ छोटी सी बातों को मालूम करना चाहूंगा ?

श्री अध्यक्ष---

इसको अभी नहीं, कार्य सूची १० के बाद उठाइयेगा।

समाचार-पत्रों के वितरकों की हड़ताल के संबंध में वक्तव्य का स्थगन

*श्रम मंत्री (श्री राज मंगल पान्डेय)---

मान्यवर, इसके बारे में मुझे कोई विस्तृत सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है। पर जो भी सूचना मुझे मिली है वह यह है कि अभी सहायक आयुक्त का टेलीफोन आया है कि पायनियर के हाकर्स ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है और पायनियर अखबार का वितरण समान रूप से हो रहा है। नेशनल हेराल्ड के हाकर्स एवं अधिकारियों के बीच बार्ता चल रही है। सूचना यह भी है कि आज कुछ हाकर्स ने अखबार बांटा भी है परन्तु स्थिति अभी सामान्य नहीं है। संभवतः कल तक शायद कोई समझौता हो जायेगा।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

मान्यवर, अभी इसको स्थगित कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष---

मैंने इसको स्थगित कर दिया है।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)---

मान्यवर, यह व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---

अभी कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, अभी नहीं।

श्री मोती लाल देहलवी---

मान्यवर, यह व्यवस्था का प्रश्न है मुझको बोलने नहीं दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष---

अभी कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है इसको आप कार्य सूची १० के बाद उठाइयेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड में विधान सभा के पांच सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

श्रम मंत्री (श्री राज मंगल पान्डेय)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड में, विधान सभा के ५ सदस्यों का निर्वाचन करें ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार जिस तथा तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, प्रांतीय स्वास्थ्य बोर्ड में, विधान सभा के ५ सदस्यों का निर्वाचन करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

इस निर्वाचन के बारे में, जब लोक लेखा समिति का जो निर्वाचन होगा उसी के साथ यह नत्थी कर दिया जायगा, उसी के साथ वह निर्वाचन जोड़ दिया जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, १९७४

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, १९७४ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, १९७४ को पुरः स्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, १९७४ को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी "छ" आगे पृष्ठ १०३७—१०४४ पर)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम ५६ के अन्तर्गत कुल ५ सूचनायें प्राप्त हुई । पहली सूचना सर्वश्री भाभी शिव प्रसाद और जंग बहादुर की है । इसका शासन से सीधा संबंध नहीं है । इस पर प्रश्न आप करें ।

दूसरी सूचना श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी की राजकीय आदेश के प्रसारण के बाद भी कर्मचारियों के स्थानान्तरण के बारे में है । इसमें लिखा है कि राज्य सरकार द्वारा यह आदेश प्रसारित किया गया है कि राजकीय कर्मचारियों के स्थानान्तरण नहीं किये जायेंगे । सभी स्थानान्तरण रोक दिये जाने की भी घोषणा की गई है । परन्तु बड़े पैमाने पर स्थानान्तरण

किये जा रहे हैं। जो अनुशासनिक कर्मचारी आदेश मानकर नये स्थान पर चले गए वह हानि में रहे परन्तु जो अनुशासनहीन कर्मचारी थे उन्हें लाभ हो रहा है। सूचना यहां तक मिली है कि आदेश प्राप्त होने के बाद भी पिछली तारीखें डालकर स्थानान्तरण आदेश प्रसारित किये गये हैं कर्मचारी बहुत परेशान हैं। स्वास्थ्य विभाग की सूचना है कि १२ जुलाई, ७४ को मुख्य सचिव का आदेश विभाग में पहुंच गया परन्तु १७ जुलाई, १९७४ को ७ तथा १० जुलाई, तारीख डालकर ७४ डाक्टरों के स्थानान्तरण कर दिये गये। इस प्रकार प्रदेश में एक प्रशासनिक संकट उत्पन्न हो गया है। यह सूचना शासन के दैनिक कार्यों से संबंधित है। आप इस पर प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

श्रीमन्, चारों ओर घोर असंतोष व्याप्त है। जो अनुशासन का पालन करते हैं वह सजा पा रहे हैं और बाकी लाभ में हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप इस पर प्रश्न कर लें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

ठीक है।

श्री अध्यक्ष--

तीसरी सूचना सर्वश्री हिम्मत सिंह, मोहन लाल कपूर तथा त्रिवेणी सहाय की प्रदेश में मैदा की कमी से डबलरोटी तथा बिस्कुट का काम बन्द होने के बारे में है। इसके बारे में प्रश्न किया जा सकता है।

चौथी सूचना श्री श्रीनारायण की छितौनी बांध (देवरिया) बिहार-उत्तर प्रदेश सीमा पर कट जाने के बारे में है। इसको वक्तव्य के लिये स्वीकृत कर लिया गया है।

पांचवीं सूचना श्री बाबू लाल वर्मा की प्रदेश की ७ बड़ी नदियों में उफान से जनजीवन को खतरा उत्पन्न होने के बारे में है। इसमें नाव की व्यवस्था की बात कही गयी है। इसको मैं कार्यवाही के लिये भेज देता हूं।

किसानों से गल्ला वसूली के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण की मांग

*चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

मैं आपकी इजाजत से एक-दो छोटी बात उठाना चाहता हूं। १८ तारीख को माननीय मुख्य मंत्री जी ने फूड डिबेट के सिलसिले में यह फरमाया था कि गवर्नमेंट की यह नीति है कि सवा छः एकड़ पर जिन्होंने गेहूं की काश्त की है उनसे कोई गल्ला वसूल न किया जाय। सवा छः एकड़ से ज्यादा जिनकी काश्त है उनसे गल्ला वसूल किया जायगा। लेकिन मालूम यह होता है कि जिलाधिकारियों को इस सिलसिले में कोई गलतफहमी है क्योंकि जिन्होंने सवा छः एकड़ से कम गेहूं बोया है उनसे भी वसूल किया जा रहा है।

हमारी पार्टी के पदाधिकारी मथुरा से आये हैं। वे कह रहे हैं कि बिला लिहाज के सवा छः एकड़ से कम है या ज्यादा है सबसे वसूल किया जा रहा है और जिन लोगों के पास गल्ला नहीं है उन किसानों से कहा जाता है कि गल्ला बाजार से खरीद कर दो। मैं खाद्य मंत्री और मुख्य मंत्री को सुझाव देना चाहता हूं कि इस सिलसिले में जैसा उन्होंने खुद फरमाया एक स्टेटमेंट

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षन नहीं किया।

[चौधरी चरण सिंह]

हो जाना चाहिये ताकि लोगों को अधिकारियों को और पब्लिक वर्कर्स को मालूम हो जाय। जैसा कि बहुगुणा जी ने कहा था सदन में उसकी पब्लिसिटी नहीं हुई और जनता को मालूम नहीं हुआ। इस पर पहले मुख्य मंत्री जी की राय मालूम हो जाय तो फिर दूसरी बात अर्ज करूंगा।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

फूड डिबेट जिस दिन सदन में हुई उसी रात जो चर्चा यहां हुई थी उसका प्रसारण हुआ रेडियो से। न चौधरी साहब को गेहूं देना है और न मुझको गेहूं देना है। जिनको गेहूं देना है उन्होंने सुना है। गांव वाले रेडियो सुनते हैं, अखबार नहीं पढ़ते। चौधरी साहब के इलाके के गांवों में कितने रेडियो हैं यह वे जानते हैं। वहां के लिये ही वह ज्यादा कह रहे हैं। हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सवा छः एकड़ तक वसूल न किया जाय।

चौधरी चरण सिंह--

सवा छः एकड़ तक जिन्होंने गेहूं बोया है .....

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

यही मतलब है। अगर किसी की मर्जी है जैसे कि लिकेज में बहुत सों ने दिया तो उसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन उसके घर पर रेड न किया जाय, उसको पकड़ा न जाय। लेकिन अगर वह खुद मदद करना चाहता है तो उसमें कोई रुकावट नहीं है। यह वायरलेस और चिट्ठी और पार्टियों के नाम के सिलसिले में स्पष्टीकरण उसी दिन उसी रात को वायरलेस से भेज दिया गया।

कल कमिश्नर मेरठ डिवीजन दिल्ली में मुझ से मिलने आये थे। मैंने बुलवाया था और मान्यवर, अब गवाही में स्पीकर को रखना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं उनको उनके कमरे में लेकर आया और मैंने उनसे पूछा कि मेरठ, मुजफरफरनगर और बुलन्दशहर में ज्यादती हो रही है। उन्होंने कहा कि ज्यादती बिलकुल नहीं कर रहे हैं। गलतफहमी हो गयी है। आपको जो आज्ञा है उसी के मुकाबिक काम कर रहे हैं। मान्यवर, मुझे इतनी चिन्ता थी कि मैंने उन्हें बुला कर पूछा। इसलिये यह कोई चिन्ता का बिषय नहीं होना चाहिये।

चौधरी चरण सिंह--

मैं यह नहीं कहता कि कमिश्नर ने मुख्य मंत्री को गलत इत्तिला दी या कमिश्नर के पास गलत इत्तिला थी। लेकिन फिर भी इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि बहुत सी जगह ज्यादती हो रही है। अब ठीक है कि रेडियो में आ गया और बहुत से गांवों में रेडियो हैं। लेकिन मैं सुझाव दे रहा हूं कि प्रेस में एक विज्ञप्ति निकल जाय तो क्या आपत्ति है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मैं प्रेस से स्पीकर के जरिये अपील कर रहा हूं कि इतनी बात वे अच्छी तरह छाप दें। पता नहीं कि प्रेस वाले क्यों नहीं छाप रहे हैं। चौधरी साहब का तीन घंटे का भाषण हमारे खिलाफ होता है तो छाप देते हैं लेकिन यह बात नहीं छाप रहे हैं जिसमें हमारा और उनका एक विचार है।

विधायकों के मंत्रियों से मिलने के लिये समय निर्धारण की मांग

*चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

मैं अपने पार्टी के सदस्यों से बात कर रहा था कि न तो किसी के तबादले की और न कैंसेलेशन की बात करो। कोई बहुत बड़ा केस हो जाय तो बेशक सम्बन्धित मंत्री के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटिस में लाओ। और नोटिस में लाने के लिये उनके मकान में भीड़ लगाने की जरूरत नहीं, केवल दफ्तर में जाओ। मेरे साथियों ने बताया कि जब वे कुछ मिनिस्टरों से मिलने गये तो इतनी भीड़ रहती है, १००–१०० २००–२०० आदमियों की कि विधायकों को मिलने का मौका नहीं मिलता। अतः मान्यवर, मैं आपके जरिये से एक सुझाव देना चाहता हूं कि केवल मुख्य मंत्री को ही नहीं बल्कि सभी मन्त्रि परिषद के सदस्यों को, कि वे आध घंटे या पौन घंटे विधायकों से मिलने के लिये सुरक्षित कर दें केवल मेरी पार्टी के विधायकों के लिये नहीं बल्कि सभी पार्टियों के विधायकों के लिये तो इससे काफी आसानी होगी।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

अध्यक्ष जी, अभी माननीय नेता विरोधी दल ने जो बात कही है, उसको हम पहले से ही कर रहे हैं। मान्यवर, इस भवन की बनावट कुछ ऐसी है, कमरे कुछ ऐसे हैं यहां से विधायक हमारे काफी करीब रहते हैं और कभी-कभी तो जब ५० विधायक एक साथ इकट्ठा हो गये तो वे स्वयं एक भीड़ बन जाते हैं। जहां तक विरोधी दल के विधायकों की बात है, भले ही हमारे १० विधायक खड़े रहे, लेकिन मैं पहले उनसे मिलता हूं। अभी यहां से जाने के पहले दिन हमारे विधायकों के साथ-साथ और भी दल के विधायक आये, लेकिन मैंने पहले विरोधी दल के विधायकों से बात की। वैसे भी मैंने सभी मन्त्रियों से कह दिया है कि असेम्बली होने के बाद वे अपने कमरे में रहें और उस वक्त विधायकों से मिलें। हां, विधायक अपने साथ १०–१० आदमियों को जब लाते हैं—वे चाहे इधर के हों या उधर के—तब दिक्कत अवश्य कुछ होती है।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, एक बात मैं कहना चाहता हूं। आपसे, मेरा मतलब मुख्य मंत्री जी से, जब बातचीत की जाती है तो हां कर देते हैं लेकिन बाद में उसका काम नहीं होता है। तो हम अपने साथ लोगों को इसलिये लेकर जाते हैं कि क्योंकि वे सुन लें कि उनकी बात मैंने मंत्री जी से कह दी, नहीं तो वे लोग सोचने लगते है कि मेरा काम हो जाता अगर आप मंत्री जी से कह देते। आपने कहा नहीं है, झूठ बोल रहे हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

माननीय सदस्य अब कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, मैं तो झूठ कह नहीं रहा।

श्री अध्यक्ष—

वह अपने लिये झूठ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, विधायक चाहे मेरी तरफ का हो, या विरोधी दल का हो, तत्काल किसी को हां या नहीं, कहना सम्भव नहीं होता। जिसके ऊपर फौरन ही फैसला करने के लिये तथ्य न हो, अन्य मसलों को तो हम यही कह सकते हैं कि इसको देखेंगे।

चौधरी चरण सिंह—

हमारे माननीय सदस्य तो केवल यह कह रहे थे कि जो लोग आते हैं उनको इसलिये साथ ले जाते हैं ताकि उनके सामने आपसे कह दें कि हमने कह दिया है, नहीं तो वे सोचने लगेंगे कि हमने झूठ कह दिया कि मंत्री जी से कहा है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

आप यह भी कह रहे हैं कि जो लोग साथ लेकर आते हैं उनसे भी मिलें। ठीक है, हम उनको रोक नहीं सकते। हम लोगों को भी दिक्कतें होती है। आज ही पार्टी मीटिंग है। आज मुश्किल हो जायेगा। तो थोड़ा सा विधायकों को भी ध्यान रखना चाहिये कि जो हमारे फंक्शन्स हैं, वे डिस्टर्ब न हों। वैसे आमतौर पर असेम्बली होने के बाद विधायकों से मिलने का समय है। लेकिन पहले से समय निश्चित कर लें तो अधिक अच्छा हो और शाम को जो दरबारे-आम लगता है, जिसमें एम० एल० एज० को मिलने में मुश्किल हो जाती है, वह स्थिति नहीं पैदा होगी।

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)--

मान्यवर, मुझको आपका जो विभाग है, उसके विषय में जानकारी देना है।

श्री अध्यक्ष--

वह यहां हाउस की बात नहीं है। अलग से दे दें।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, अभी गेहूं की बात उठी थी। मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन आदमियों ने सवा छः एकड़ से कम बोया था, उनके घरों में रेड किया, बंद किया, तो क्या इस बात की जांच करवा कर कार्यवाही करेंगे? सैकड़ों आदमियों के साथ हुआ है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, यह तो फूड डिबेट के दिन मैंने कहा था, चौधरी साहब की सलाह पर, कि करेंगे। आप बोल रहे हैं ३ महीने पहले जो कुछ हुआ था, तो वह बात इस वक्त कहां है।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)--

मान्यवर, मेरी तबियत खराब चल रही है इसलिये मैं जरा देर से आया। मुझे यह मालूम हुआ कि यहां कोई विशेषाधिकार का प्रश्न प्रस्तुत किया गया था और वह प्रेस की आजादी से सम्बन्धित था और दूसरा था माननीय सदस्य द्वारा कही हुई बात को कार्यवाही से निकाल देने के सम्बन्ध में। मैंने नियमावली को शुरू से आखिर तक पढ़ा है और सिर्फ एक ही बात पाई है कि जो असंसदीय शब्द हैं अध्यक्ष महोदय कार्यवाही से उन्हीं को निकलवा सकते है और किसी अन्य कार्यवाही को नहीं निकलवा सकते। मैं जब कभी बोला हूं अध्यक्ष महोदय मेरा कोई शब्द असंसदीय नहीं रहा है। इस पर स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिये। फिर दूसरे प्रेस की आजादी पर आघात नहीं होना चाहिये। यह किसी भी अध्यक्ष महोदय ने नहीं किया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

प्रकारान्तर में आप ऐसा कह रहे हैं कि मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं जो दूसरे अध्यक्ष नहीं करते। आप थे नहीं। मैंने अध्यक्षों की सारी व्यवस्थाओं को पढ़ कर सुना दिया और सुप्रीम कोर्ट की भी यही व्यवस्था है।

(व्यवधान)

श्री मोतीलाल देहलवी--

आप सुनते नहीं है बीच में टोक देते है तभी मामला गड़बड़ हो जाता है।

श्री अध्यक्ष--

आपने अगर अपना यह कर्त्तव्य सुनिश्चित कर लिया है इस तरह से गड़बड़ी करना और आप बार-बार कुछ न कुछ ऐसी बात कहेंगे जो उचित न हो, समीचीन न हो, उपयुक्त न हों तो बात दीगर है । उसमें मैं क्या कर सकता हूं ।

(व्यवधान)

श्री मोतीलाल देहलवी--

इस पर अगर व्यवस्था नहीं आप देते हैं तो आज मैं सदन से बहिर्गमन करता हूं ।

(श्री मोतीलाल देहलवी सदन त्याग कर चले गये ।)

१९७४-७५ के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या ४४--कृषि, अनुदान संख्या ४६--भूमि तथा जल संरक्षण, अनुदान संख्या ४७--क्षेत्र विकास, अनुदान संख्या ४९--पशुपालन, अनुदान संख्या ५१--मत्स्य उद्योग, अनुदान संख्या ८०--पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या ९३--ऋण और अग्रिम, कृषि तथा अनुदान संख्या ७७--कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७५ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४४--कृषि के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १४,५२,२४,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४६--भूमि तथा जल संरक्षण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,३८,४४,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४७--क्षेत्र विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,६६,५५,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४९--पशुपालन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६,५०,८८,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५१--मत्स्य उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६२,१४,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ८०--पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १४,७५,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ९३--ऋण और अग्रिम--कृषि के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३२,४५,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ७७--कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६,१४,२४,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, कृषि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है । कृषि का बड़ा गहरा सम्बन्ध पशुपालन और पशु में भी अगर हम गाय कहें, जो कि उसकी आधार-लिखा है, उसकी उन्नति और तरक्की के साथ जुड़ा है । कृषि का भविष्य हमारे सिंचाई के जो महान उपलब्ध साधन हैं उनकी तरक्की के साथ जुड़ा हुआ है, कृषि का भविष्य उन्नत बीज और कृषि सम्बन्धी खोज (अन्वेषण) कृषि सम्बन्धी जानकारी एवं कृषि सम्बन्धी शिक्षा के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है ।

हमारा उत्तर प्रदेश छोटी जोतों का प्रदेश है । साधारणतया करीब-करीब ९५ फीसदी लोग वे हैं जो साढ़े सात एकड़ या उससे कम के काश्तकार हैं । लेकिन यह बात भी सच है कि कृषि के क्षेत्र में जोतों का जो बंटवारा है उसका रूप ऐसा है कि एक ही खानदान के पास बहुत सारी जमीन है, लेकिन वह छोटी-छोटी जोतों में अलग-अलग नामों से आयी है । लेकिन बड़ी जोत होने पर कागज या कानून की शकल में आगे दिखायी पड़ती है । बहुत सी जमीन छोटी जोतों के कारण बनती या बिगड़ती है लेकिन फारमूसा या जापान के ऊपर दृष्टिपात यदि हम करें तो दिखाई पड़ता है कि छोटी-छोटी जोतों के फलस्वरूप ही उन देशों ने अपने उत्पादन को चोटी पर पहुंचाया है और धान ऐसी फसल के उत्पादन में अग्रणी देशों में उनको गणना है ।

हमारे कृषि विभाग के कार्यक्रमों और कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण इस सदन के माननीय सदस्यों को स्वयं अपनी नजर से देखने को मिलता होगा और कुछ छपवाकर बंट वाया भी गया है । मैं केवल खाद और बीज के बंटवारे के बारे में कहता हूं कि अब खाद के बंटवारे का प्रमुख हिस्सा एंग्रो के पास चला गया है । न केवल कस्टम सर्विसेज सेन्टर्स यानी किसानों को छोटी-छोटी सेवायें जैसे ट्रैक्टर एवं उसकी मरम्मत का सामान है यहां पर गांवों की जरूरत के मुताबिक लोगों को, स्वयं की जिनके पास शक्ति ट्रैक्टर्स खरीदने की नहीं है, सेवा की मांग उपलब्ध हो । हमारे प्रदेश के अनेकों अंचलों में जो फल पैदा होता है, उसकी तरक्की, उन्नति कैसे हो ।

इसी के साथ मत्स्य-पालन, पशुपालन और कृषि का काम जुड़ा हुआ है । उन्नत-बीज हेतु मल्टीप्लीकेशन फार्म यानी बीज बढ़ाने के हमारे फार्म मौजूद हैं । स्वायल टेस्टिंग के लिए भी पहले रीजनल--कमिश्नरी हेड क्वार्टर्स पर लैब भी थे । किन्तु इस बजट

में सम्भवतया ८ जिलों के लिए जिलेवार उसकी व्यवस्था करने के लिये हमारा ध्यान जा रहा है। पहले भी मोबाइल स्वायल टेस्टिंग के लिये कुछ बन्दोबस्त था, लेकिन अब मिट्टी की पहचान और उसकी क्वालिटी के मुताबिक किसानों को कितनी और किस प्रकार की खाद डालने से लाभ होगा, इसके लिए भी व्यवस्था बना रखी है। क्षेत्रवार अगर उत्पादन देखा जाए, तो कई मामलों में जो हमारे आंकड़े हैं, उनको देखने से कुछ सन्तोष होता है। लेकिन यह स्पष्ट दीखता है कि आगे अभी काफी जाने की गुंजायश है। उदाहरण के लिये पहाड़ी इलाकों में घाटियों में जो धान पैदा होता है। वह सारे उत्तर प्रदेश में फी-एकड़ ज्यादा हुआ है, लेकिन आल इंडिया एवरेज से भी ज्यादा उन छोटी-छोटी तराई में, टेरेसेस में पैदा होने की गुंजायश साफ आंकड़े से उमड़कर सामने आई है। इसी प्रकार पश्चिमी अंचल में अपनी पैदावार हरियाना से अधिक कई जगह पर, कई फसलों में और पंजाब के करीब हम पहुंचे हैं।

यद्यपि सिंचाई के साधन में हमारे आज भी बड़ी भारी रुकावट है मुकाबिले में पंजाब के। जमीन हमारी अच्छी है। सारे प्रदेश के आंकड़े यदि निकाले जायं, जैसे कभी-कभी लोग निकालते हैं, जब बटवारा करने लगते हैं कि कितनी फर्टीलाइजर चाहिये और कितना पैसा इसको मिले, तो पहाड़ी और बुन्देलखंड का इलाका, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश को हम देखें और हम यह कहें तो अतिशयोक्ति न होगी कि मध्य उत्तर प्रदेश इस वक्त कुछ पिछड़ा जैसा रहा है और इस उत्तर प्रदेश की उत्पादन क्षमता को अगर देखा जाय तो किसी भी क्षेत्र से यह कुछ कम नहीं है। लेकिन कुछ ध्यान उस ओर कम गया है। इसीलिये इस बार की प्लानिंग में हमारे योजनाकारों ने हर इलाके को अलग-अलग देखकर उसके लिये अगल-अलग आवश्यक धन उपलब्ध किया है, ताकि उत्तर प्रदेश का कोई अंचल इस दौड़ में पीछे न रह जाय।

उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कठिनाई कुछ हमारी आदतें भी हैं। जैसे बुन्देलखंड में बेतवा की नहर को ले लिया जाये। उसके बने करीब-करीब ८०/९० साल हो गये लेकिन उस नहर पर केवल एक फसल होती थी पानी उपलब्ध होते हुए भी। अभी वह खरीफ की फसल नहीं करते थे। मान्यवर, अब आपको जानकार और सदन को प्रसन्नता होगी कि बेतवा के कमांड एरिया में एक लाख मन धान पैदा करने की क्षमता है, जिसको हम पूरी तरह से ए स-प्लाएट करना चाहते हैं और हमें आशा है इस वर्ष उस क्षमता को पकड़ लेंगे। इसी प्रकार आगरा कैनाल में मथुरा और आगरा के जिलों में बहुत सारे क्षेत्र में पानी की सेलेनिटी की वजह से और दूसरे कारणों से लोग धान की फसल नहीं करते थे। इस साल हमने वहां भी शुरू किया है। ४० हजार एकड़ के करीब धान का वहां और क्षेत्रफल बढ़ रहा है। हरियाना और हमारे बीच में जमुना नदी के पानी के सिलसिले में जो बांध है तेजीवाला का और ओखला पर बांध के नये निर्माण के संबंध में जब अंतिम फैसला हो जायगा, तो मथुरा और आगरा के क्षेत्र में जमुना की वह नहर जो पश्चिमी प्रदेश को सींचती है उसमें पानी की क्षमता और धारीयता और अधिक से अधिक पानी लेने की हमारी शक्ति बढ़ जायगी, ऐसी हमारी आशा है। इन जिलों में, विशेष कर आगरा और मथुरा के जिलों में हमारी उत्पादकता, लैंड यूस, क्रापिंग पैटर्न, इस सब के अन्दर बहुत परिवर्तन आयेगा।

एक विशेष बात, मान्यवर, एक नयी स्ट्रेटेजी, नया ढंग इस्तेमाल किया जा रहा है कृषि, के क्षेत्र में–हर नहर के कमांड एरिया में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान, जिसका कृषि के साथ,

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

कृषि पर आधारित उद्योग के साथ, फलों की तरक्की के साथ, जानवरों की तरक्की के साथ, एक इंटीग्रेटेड एरिया डेवलपमेंट प्लान, रामगंगा, शारदा सहायक, गंडक, बेतवा और दूसरी जितनी भी नहरें हैं उनके साथ हल्के-हल्के हम उस परियोजना के अन्तर्गत लाना चाहते हैं। तीन तो बन ही गये हैं कमांड आर्गेनाइजेशन्स। जो इस वक्त पानी का पूरा इस्तेमाल न होने के कारण भी यहां लोगों की तकलीफ थी, यह पहले बताया जा चुका है कि किस तरह से नार्दन इंडिया ड्रेनेज ऐंड कैनाल ऐक्ट को अमेंड करने के बाद एक आर्डिनेंस हुआ था, उसके बाद गूलों के बनाने का काम आसान हो गया है। अब रामगंगा, शारदा सहायक, गंडक, बेतवा, अपर लोवर, जमुना के पानी के इस्तेमाल में गूल के कारण कोई रुकावट पैदा नहीं होगी। पानी की उपलब्धता में मदद मिलेगी। वैसे इस वर्ष अभी तक जो बारिश हुई है वह संतोषप्रद है। और हमें आशा है कि इस साल खरीफ की फसल पारसाल के मुकाबिले में साढ़े चार करोड़ एकड़ में ज्यादा होगी और यह भी आशा है कि हमारी जो सिंचाई की योजनायें हैं उनके द्वारा और उस पानी के इस्तेमाल के द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा उन्नति, फायदा, उठा सकेंगे।

मान्यवर, कृषि के साथ घना संबंध है घनिष्ठ संबंध है गाय का, गाय के दूध के लिये नहीं, हमारी हल जोतने की जो शक्ति है, ड्राफ्ट पावर, उसके लिये गाय का बहुत बड़ा सहारा है। हमारा पशुधन कमजोर है। उसकी नस्ल को सुधारने के लिये जो प्रयत्न हुए हैं, उसमें एक कमजोरी रही है हमने कुछ सुधरी हुई नसलों के सांड़ों को, हरियाना, सिंधी साहीवाल, जगह-जगह इलाकों में छोड़ दिया, कुछ कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था की है, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश में सिवा शायद एक सेंटर को छोड़कर जिसको कहते हैं प्रूवेन सायर, जिस सांड़ की नसल की क्षमता है अपनी मां के गुण को अपने बच्चों में डाल सकता है, उस तरह के प्रूवेन सायर के आधार पर गाय सम्वर्द्धन, गाय की नसल के सुधार का काम नहीं हुआ, गाय बदलनी चाहिये, नसल बदल नहीं पाये। गाय बदली नहीं। चुनांचे हमारी गायें साधारणतया वैसी की वैसी है।

भैंस भी एक अच्छा दूध देने वाला जानवर है। बहुत दिनों तक खयाल था कि भैंस ज्यादा अच्छा जानवर होता है। मोटा दूध देता है और कांटेंट्स ज्यादा होते हैं। लेकिन अब लोग मानने लगे हैं कि भैंस कन्वरशन रेशियो में गाय के मुकाबले में कम अच्छी है, जितना भैंस खाती है उसके मुकाबले में गाय से वह कम उपयोगी है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हल जोतने के सम्बन्ध में जितना गाय का बछड़ा मुफीद होता है उतना भैंस का नहीं।

बहरहाल गाय की नसल सुधारे बगैर कोई भी कृषि की तरक्की या हमारे गरीबी हटाओ के कार्यक्रम में देहात में बड़ी सफलता मिलने वाली नहीं है। इस सरकार ने इस स्ट्रेटेजी को स्वीकार किया है कि गांव के लोग भूमिहीन हों या भूमि वाले हों, हम चाहते हैं कि उनके लिये कम से कम १५ लीटर दूध देने वाली गाय होनी चाहिये। इस तरह से गाय की नस्ल सुधारनी चाहिये कि १५ लीटर से कम दूध देने वाली कोई गाय न हों। इस तरह से इस जानवर को कामधेनु की नस्ल पर पहुंचाना मुश्किल जरूर है लेकिन नस्ल बदल सकते हैं और यह असंभव नहीं है।

महाराष्ट्र में जो हुआ है वह प्रशंसनीय है। गांधी जी ने बरली कंचन में दो लोगों को यह बड़ा काम दिया था। एक विनोबा जी के बड़े भाई बालकोबा जी तथा दूसरे एक ग्रेजुएट थे जो अपनी जिन्दगी को देश की सेवा में अर्पण करना चाहते थे। वह श्री मन्नू भाई देसाई हैं। इन्होंने गांव की झोपड़ियों में रहकर ही गाय की नस्ल के सुधार के कार्य में एक क्रांति की है। हमने उनको दावत दी थी कि वह हमारी मदद करें। वह सामाजिक कार्यकर्त्ता की तरह कार्य करते हैं। उनका किसी राजनैतिक दल से सम्बन्ध नहीं है। गाय की नस्ल बदलना बहुत बड़ा काम समझते हैं। मैं भी इस बात को मानता हूं कि अगर

किसान के पास १०––१५ लिटर दूध देने वाली गाय हो जाय तो आज के मुकाबले में बहुत बहुमूल्य गाय हो जायेगी। इस समय यह है कि हम अपने जानवरों को अपग्रेड कैसे करें कैसे गाय की नस्ल सुधारें।

इसी प्रकार से औ भी जानवर हैं। चाहे पिगरी हो या पोल्ट्री या भेड़ का काम हो। सब के ऊपर काम चल रहा है। हम आशा करते हैं कि भेड़ की नस्ल में सुधार होगा और उतनी ऊन मिल सकेगी जितनी एक मैरीन देती है। हमारे यहां अलग-अलग किस्म की भेड़ें हैं लेकिन उनसे जितनी ऊन मिलनी चाहिए नहीं मिल रही है।

यह बात सच है कि हमारी जो एग्रीकल्चरल एजूकेशन है, उसमें कालेज और यूनिवर्सिटी के मामले में इस समय हालत करीब सैचूरेशन प्वाइंट पर आ गई है तो गलत न होगा। हमारे ग्रेजुएट हैं वे सब नौकरी की तलाश में रहते हैं। लेकिन पशु धन के विकास के सम्बन्ध में हम एक व्यवस्था बनाना चाहते हैं।

खोज और अन्वेषण के क्षेत्र में पन्त नगर और कानपुर वाले लोग सब अपनी-अपनी तरह से करते रहे हैं लेकिन गन्ने के मामले में कमजोरी रही है, यद्यपि गन्ने के विकास के सम्बन्ध में बात कर ली होगी। गन्ने का कृषि के उत्पादन से गहरा सम्बन्ध है। कोयम्बटूर की जो गन्ने की नस्ल है वह यहां खराब हो जाती है। उस पर जो डेवलपमेंट शाहजहांपुर में होता है वह ज्यादा टिकाऊ नहीं होता है। शायद कोयम्बतूर और यहां की जलवायु में कहीं अन्तर हो।

हमने केन्द्रीय सरकार को लिखा है कि वह उत्तर प्रदेश में अपना रिसर्च सेंटर खोले। वे जमीन चाहते हैं और हम जमीन देने के लिए तैयार हैं। इससे गन्ने की पैदावार बढ़ेगी और गन्ना रोग मुक्त हो सकेगा। इस महकमें में कार्यों में फल, उद्यान और उसको बढ़ाने के सिलसिले में बहुत कमी है। यह सच है कि एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन जो फल, उद्यान से पैदा होने वाली चीजों का अच्छा यन्त्र बन सकता था, लेकिन वह इस कार्य को सफलतापूर्वक नहीं कर सका है। बराबर घाटा कर रहा है।

आलू के मामले में अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं, देश का ४९ फीसदी उत्तर प्रदेश पैदा करता है, परन्तु आलू के रख-रखाव में बिजली की कमी ने बहुत धक्का पहुंचाया है। लेकिन यह सच है कि आलू के मामले में बहुत तरक्की की है। मैं ऐसा मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की मिट्टी उसके पेट का पानी और उसकी जलवायु तथा किसानों की क्षमता यह सब मिलकर एक बड़ी भारी पासिबिलिटी इस बात की है कि उत्तर प्रदेश भारत के अन्न का खजाना बन सकता है।

हमें आशा है कि इस सदन के सदस्यों के सहयोग से और उत्तर प्रदेश के किसानों के सहयोग से इस काम को पूरा कर सकेंगे। एक बात जरूर है कि काश्तकारों के सम्बन्ध में जो क्रांतिकारी कदम स्वराज्य के बाद उठाए गए हैं––जमींदारी एबोलिशन और उसका भूमि पर कब्जा हो। उसको मालिक बनाने के सम्बन्ध में पं० गोविन्द बल्लभ पन्त के नेतृत्व में और चौधरी साहेब जिस समय रेवेन्यू मिनिस्टर थे उस जमाने में भूमि के बंटवारे की तरफ और भूमि के मालिकाने की तरफ वह कदम था, लेकिन जो रुकावट है वह यह है कि कागज

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

पर तो बिलकुल बंट गया है, लेकिन लोग बड़े-बड़े भू स्वामी हैं। कागज पर नहीं मिलेंगे लेकिन बिलकुल बंटा नहीं है और वह एक-एक परिवार की थाती बने हुए हैं।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

कई नामों में अपनी जोत को बंटवाने की जरूरत नहीं थी जब कोई कानून नहीं बना था। १९५४-५५ में उसके बाद सवाल उठा था ताकि टैक्स न लगे तब वे आंकड़े देखें। बड़ी होल्डिंग हिन्दुस्तान भर में गालिबन सबसे कम यहां थी, लिहाजा कोई बड़ी वह बात नहीं है जिसमें आपका यह ख्याल है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

चौधरी साहब की उस बात से राजी हूं लेकिन एक बात मैं उनसे निवेदन और करना चाहता हूं कि गांव में ९५ आदमी १०० में ऐसे हैं जिनके पास एक एकड़, डेढ़ एकड़, ढाई एकड़ भूमि है। पांच फीसदी लोग ऐसे हैं, जो गांव की जोत का अगर १५ फीसदी भी खेत रखे हुए हैं, यह अगर मुनासिब बंटवारा है...

श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)--

अब यहां ९५ फीसदी काश्तकार रह गये हैं। आप ऐसा करें कि सारी खेती जो है वह केवल बड़े लड़के के नाम ही रहे। बंटवारा भी अगर होता है तब भी जमीन बड़े ही लड़के के नाम ही रहे।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मैं इतना जरूर चाहता हूं कि जिन लोगों ने एक ही परिवार के जो हैं, जमीनें अपने परिवार के लोगों के नाम करके एक जाल सा बना रखा है, और छोटे-छोटे किसानों को परेशानी पैदा कर रहे हैं, जैसा चौधरी साहब कह रहे हैं कि कि वह सवाल हल हो जाना चाहिये था, आपने जो लार्ज होल्डिंग पर प्रतिबन्ध लगाया था, मुझे याद है कि चौधरी साहब ने कहा था कि यह प्रतिबन्ध इसलिये लगा रहे हैं कि इनके हाथ से जमीन निकले क्योंकि यह पैदावार के रास्ते में रुकावट है।

आज पैदावार के रास्ते में अभी भी रुकावट है। वह काम ऐसा है कि जिस काम को पूरा किये हुये इस प्रदेश की जनता को, जो हल जोतता समाज है, जो शोषित वर्ग है हम उत्साहित नहीं कर रहे हैं। पैदावार को बढ़ाने के लिये छोटी जोत का, छोटी जोत कितनी बड़ी हो, कितनी बड़ी न हों, अब मैं यहां क्या कहूं, अगर मैं आंकड़े में जाऊंगा तो जवाब के वक्त बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में ४७ फीसदी किसान है।

चौधरी चरण सिंह--

नहीं है। आपके यहां बहुत से पोलीटिकल लीडर्स यह करते रहे, प्रोफेसर्स आफ इकोनामिक्स वेल नौन यह करते रहे हैं। छोटे लोगों ने बड़े बड़े जमींदारों से छोटे छोटे टुकड़े लिये हुये थे ५ विश्वा, ७ विश्वा। तो जो छोटे लोग थे उनके पास कई छोटे-छोटे जोत थे। एक आदमी के पास कई जोत थी। पहले जो हिसाब लगाया था वह जोत का परसेन्टेज है। सारा कन्वेशन इसकी वजह से होता था। जमींदारी अबालीशन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार २। परसेंटेज जोत थी जो कि आधा एकड़ से कम थी तो इसका मतलब यह नहीं हो गया कि ३७ या ३८ आदमी के पास अलग-अलग खेत है। अगर आप यह देखें कि डेढ़ सौ करोड़ यानी बहुत जितने किसान हमारे यहां नहीं है उससे दुगुना जोत, जोत के माने किसान हुये।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

जो खेत अलग-अलग हैं और जैसा जमींदारों ने अलग-अलग जोत रखा था वह चक बन्दी में एक जगह समेटेंगे कुछ ऐसी आशा थी ।

आशा यही थी लेकिन दुर्भाग्य से चकबन्दी में भी गरीबों के ४-४ और ५–५ तक बनते गए । गरीबों का दुर्भाग्य है कि सबेरा हुआ लेकिन उजाला कम आया । इसलिए इन सब बातों की तरफ हमको ध्यान रखना पड़ेगा । कृषि के सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं कि खाद्य और कृषि दोनों के ऐसे प्रश्न हैं जो किसी राजनीति के प्रश्न नहीं हैं । माननीय बलवान सिंह जी ने जो सवाल उठाया कि किस जोत के बाद बंटवारा नहीं होगा, इस पर जब मैं सारे सदन की राय सुन लूंगा, तभी अपनी राय बना सकता हूं । इतनी जल्दी राय नहीं बनाना चाहता हूं

श्री बलवान सिंह---

अगर आप यह कर देंगे तो दूसरे बच्चे कहां जायेंगे, उनके लिए आपको इंडस्ट्रीज वगैरह में काम देना पड़ेगा ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

लोग कहां जायेंगे, यह ठीक है, लेकिन जैसे एक कानून बना है कि १२ १/२ एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं ले पायेंगे और ३ १/८ एकड़ के नीचे की जोत तकसीम नहीं होगी तो वह तो उत्तर प्रदेश में बना रखा है, लेकिन दोनों का वायलेशन लार्ज स्केल पर है । दोनों का रास्ता ऐसा निकाल रखा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है ।

हम इस समय राजस्व के बजट पर बहस नहीं कर रहे हैं, केवल कह रहा था कि कृषि के उत्पादन में क्या-क्या रुकावटें हैं । आज जो हमारे नौजवान कुछ सेंटर्स चला रहे हैं, वे एग्रो से कुछ अच्छे चल रहे हैं । वे सर्विस सेंटर्स १५०, १६० या १७० हैं । ठीक संख्या इस समय मुझे याद नहीं है लेकिन १०० से ऊपर हैं । जिन इंजीनियर्स को हमने ट्रेड किया है, इन्हें मुनाफे के साथ चला रहे हैं । एग्रो के सेंटर्स घाटे में चल रहे हैं । एग्रो वाले स्वयं इसे देख रहे हैं ।

मुझे आशा है कि उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन, उत्तर प्रदेश में पशु पालन, उत्तर प्रदेश की कृषि पैदावार ये सब हम ऐसी बना सकेंगे कि ये उत्तर प्रदेश और इस देश की नियामत बन सकें, उनकी जो रुकावटें हैं, जो उनमें कमजोरियां हैं, उनको दूर करेंगे और जब तक सब मिल कर नहीं करेंगे ये काम नहीं होने वाले हैं । हमारा किसान बड़ा चतुर और समझदार है । हमारे मजदूर जो न्यूनतम से भी कम पाकर पेट पर पत्थर बांध कर काम करने वाले हैं, उनके साथ कृषि के करने वाले न्याय करें और साथ ही कृषि की तस्वीर में उसकी भी तस्वीर को साथ रखकर भविष्य का नक्शा बनायेंगे । इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों को पेश करता हूं और इस सदन की राय सुनने के बाद आज और कल जो मुझे अन्तिम निवेदन करना होगा, उसको कल करूंगा । इन शब्दों के साथ मैं इन अनुदानों को स्वीकृत्यर्थ पेश करता हूं ।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)---

आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४४--कृषि के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय ।

[श्री कल्याण सिंह---]

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४६, के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४७ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४९ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५१ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ८० के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९३ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७७ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, मैंने माननीय मुख्य मन्त्री जी का भाषण सुना । एक बात की तो मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी स्वयं सदन में आज विद्यमान हैं । इन महत्वपूर्ण अनुदानों पर सदन में जो विवाद और चर्चा होगी उससे जो निष्कर्ष निकलेंगे उनके ऊपर वह कुछ परिवर्तन करने की दिशा में कदम उठा सकते हैं ? क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि इन अनुदानों के सम्बन्ध में कुछ मूल-भूत, नीतिगत प्रश्न और विषय सदन में आयेंगे । मैं स्वयं भी कुछ मूल-भूत और नीति-गत प्रश्न उठाना चाहता हूं, इस अपेक्षा के साथ कि माननीय मुख्य मन्त्री जी उनपर गम्भीरता से विचार करके प्रदेश, किसानों और कृषि के हित में जो आवश्यक होगा, कदम उठायेंगे ।

मैं अपना भाषण प्रारम्भ करने से पूर्व, जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी की चेष्टा रहती है, एक निवेदन आपके माध्यम से और करना चाहूंगा मुख्य मन्त्री जी से जो-जो भी विषय इस चर्चा के अन्दर उठाए जायं, कृपा करके उनके उत्तर वह अवश्य दें । क्योंकि अभी मैं उनका भाषण सुन रहा था । भाषण सुनने से मुझे ऐसा लगा नहीं, मुझे क्षमा करें मुख्य मन्त्री जी ऐसे कहते हुए, कि उन्होंने कुछ कृषि के बारे में कोई बहुत अधिक गम्भीरता से विचार नहीं किया है, उनकी कठिनाइयों को नहीं समझते हैं । उनके पास न मालूम कितने विभागों का बोझ है और कुछ ऐसे मन्त्रियों का बोझ उनके ऊपर है जो स्वयं सक्षम नहीं हैं और कई बार उनको ट्यूटरिंग करने का काम करना पड़ता होगा, और दिल्ली भी नाराज होती जा रही है । इसलिये आपने चूंकि कृषि के लिये पर्याप्त समय नहीं दिय इसलिये कृषि के बारे में जिन गंभीरताओं से बातें करनी चाहिये थीं वह आपने नहीं कीं । मोटी-मोटी बातें जो विभागीय अधिकारियों और सचिव ने उनको बतायी होंगी वह रखते रहे हैं । हम अवश्य अपेक्षा यह करते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री कृषि के बारे में कुछ मूल-भूत कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की घोषणा करेंगे, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि वैसी कोई बात उनके मुंह से सुनने को नहीं मिली ।

मान्यवर, जिन अनुदानों पर बहस आज सदन में हो रही है, मैं ऐसा समझता हूं कि अब तक जितने अनुदान आये होंगे, ये अनुदान उन सब से महत्वपूर्ण हैं । इसलिये कि इन अनुदानों का संबंध सीधा हमारे जीवन से है । प्रदेश की ९ करोड़ जनता से है, विकास और प्रगति

से है । अन्न जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है यह कोई बताने की आवश्यकता नहीं है । आपने सुना होगा कि "अन्नवै प्राण:" अन्न ही जीवन है । आदमी एक बार बहुत प्यासा रह सकता है, बिना वस्त्र, बिना मकान के रह सकता है, लेकिन बिना अन्न के जीवित नहीं रह सकता है । भले-भले, अच्छे-अच्छे लोगों को भूख ने गद्दार बना दिया । भूख ने लोगों को अपने बेटों को चौराहे पर नीलाम करने के लिये मजबूर कर दिया । तो जिस अन्न का महत्व ऐसा हो उससे संबंधित आज जिन अनुदानों पर चर्चा हो रही है वह वास्तव में सबसे अधिक महत्व-पूर्ण हैं ।

मान्यवर, कृषि हमारे प्रदेश के आर्थिक जीवन की धुरी है और जिस प्रकार से राजनैतिक स्वतंत्रता का निष्कर्ष "सबको वोट देने का अधिकार" है ठीक उसी प्रकार से आर्थिक स्वतंत्रता की कसौटी पर और आर्थिक स्वतंत्रता का निष्कर्ष सबको रोजगार, सबको मकान, सबको रोटी, सबको वस्त्र और सबको दवाइयां उपलब्ध कराना है और यदि इन्हें आज नागरिकों का उपलब्ध करा सकें तो समझा जायगा कि वह आर्थिक दृष्टि से भी स्वतंत्र है अन्यथा भले ही हम राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र हो गये होंगे लेकिन अगर आर्थिक परतंत्रता बनी रही तो यह राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी मानी जायगी ।

दूसरे देश हमें अन्न देंगे तो पता नहीं कितनी शर्तें लगायेंगे और उनके कारण हम स्वतंत्र चिन्तन, स्वतंत्र प्रयास और स्वतंत्र नीतियों का अवलम्बन नहीं कर सकते हैं । यह सारी बातें आर्थिक परतंत्रता के कारण आती हैं । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की बात से सहमत हूं कि यह खाद्य का मामला और कृषि का मामला कोई दलीय मामला नहीं है । इस मामले के ऊपर राजनीतिक दलों को अपनी दलीय दीवारों को ढहा कर सोचना होगा। यह अकेली सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी का प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न सब बिरोधी दलों का और सत्तारूढ़ जो कोई भी हों उनको सबको एक साथ मिल जुल कर करने के लिये है और इस प्रश्न को उसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिये ।

राजनीति के लिये और बहुत से सारे मसले हैं । अन्न का मामला ऐसा मामला नहीं है जिसमें राजनीति चलायी जावे । मान्यवर, शासन के आश्वासन बहुत अच्छे-अच्छे वादे, बहुत अच्छे अच्छे लेकिन जब उनको कार्यान्वित करने का प्रश्न आता है पूर्ति करने का प्रश्न आता है तो पूर्ति बड़ी निराशाजनक रहती है । हमारे और उनके सोचने के तरीकों में अन्तर यही है कि वे परियोजनाओं की बातें ज्यादा करते हैं और हम परिणाम की ओर ज्यादा देखते हैं, आप आश्वासनों की बात करते हैं, हम उपलब्धियों की बात देखते हैं आप नियोजन की बात करते हैं और हम यह देखते हैं कि अभी तक उसका कार्यान्वयन कितना हुआ । मीटिंगों में बैठकर, मेजों पर बैठकर जो योजनायें बनायी जाती हैं उनका कार्यान्वयन पूरा-पूरा होता नहीं है ।

फाइलों की बात मुख्य मंत्री जी किया करते हैं और हम फील्ड की बात करते हैं,फाइल और फील्ड में बहुत अन्तर आ गया है, आश्वासनों और उपलब्धियों में बहुत अन्तर आ गया है, नियोजन और उनके कार्यान्वयन में बहुत अन्तर आ गया है और उसी का परिणाम है कि आज हमारा देश और प्रदेश भूख की कगार पर खड़ा है यह जो बीच-बीच में कथनी और करनी का अन्तर, नियोजन और कार्यान्वयन का अन्तर है उसी का आज परिणाम है कि आज प्रदेश में कहीं भी चले जाइये, दूसरी कोई, बात ही नहीं करेगा सिवाय रोटी, कपड़ा और मकान के ।

[श्री कल्याण सिंह]

आज २७ सालों के नियोजन का परिणाम हमारे सामने यह आया है कि आज देश और प्रदेश का इंसान बाकी सब चीजों का मूल्य ही भूल गया है, नारायण को प्राप्त करने की आकांक्षा प्रयत्न आदि की सब बातें भूल गया है, अब उसे केवल तीन बातें स्मरण रह गयी हैं। जैसी कि कहावत है :--"भूल गये राग रंग, भूल गये छकड़ी।

तीन चीज याद रही, नून, तेल, लकड़ी।"

और इसी नून, तेल, लकड़ी के चक्कर में इस प्रदेश और देश का इन्सान आज घूम रहा है और इससे मुक्त नहीं हो पा रहा है।

मान्यवर, समस्यायें हमारे सामने रखी जाती हैं, समस्याय हैं। यह हम स्वीकार करते हैं कि प्रदेश बड़ा है, यह वास्तविकता है कि इस प्रदेश की समस्याय भी बड़ी हैं, यह भी मानता हूं कि प्रदेश की जनसंख्या बहुत अधिक है और इससे हमारे प्रदेश की अपेक्षित प्रगति में बाधा पड़ती है, हम यह भी मानते हैं .....

(इस समय १ बजकर ३८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय पीठासीन हुए)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

यह मैंने कहां कहा है ?

श्री कल्याण सिंह--

जो समस्यायें गिनायी जाया करती हैं मैं उन्हीं का वर्णन कर रहा हूं और उनको स्वीकार करता चल रहा हूं। आपकी ओर से जवाब में कहा जायगा और जैसा कि हम आपके द्वारा वितरित साहित्य के अन्दर भी देखते हैं, कि प्रकृति का दोष रहता है कि ओला पड़ा, पानी कम बरसा, अतिवृष्टि हुई, सूखा पड़ता है या पाला पड़ता है और यह सारा प्रकृति का प्रकोप है यह हम सब स्वीकार करते चलते हैं। और हम यह भी मानकर चलते हैं कि जब देश का विभाजन हुआ था तब अपने हिस्से में ८२ प्रतिशत जनसंख्या आयी, ७२ प्रतिशत खाद्यान्न का क्षेत्र आया और ६९ प्रतिशत केवल वह भूमि आयी जिस पर सिंचाई होती थी।

हमारा प्रदेश बड़ा है। शायद दुनिया के देशों में, बंगला देश, बन जाने के बाद, ८वें नम्बर पर आता है। हमारा प्रदेश पिछड़ रहा है इसमें कोई दो मत नहीं है। इस पिछड़ेपन के कारण हमें खोजने पड़ेंगे और उन कारणों को दूर करने के लिये योजनायें बनानी होंगी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा भूमि हमारी उर्वरा है, यह सच कहा। हमारे प्रदेश के किसान परिश्रमी हैं, यह बात सच है। सुविस्तृत मैदान है, यह बात भी सच है और सतत बहने वाली नदियों का जल सिंचाई के लिये उपलब्ध है यह बात भी सच है। फिर भी प्रदेश पिछड़ रहा है, प्रदेश मे गरीबी है। आखिर इसके कोई तो मूलभूत कारण होंगे।

मोटे तौर पर जो मैंने विचार किया है मेरी समझ से सात कारण ऐसे आते हैं जिनके कारण यह प्रदेश पिछड़ा है। पहला कारण मेरी समझ से यह है कि हमारे प्रदेश की कृषि पर भार बहुत अधिक है। दूसरा कारण कृषि में अपेक्षित उत्पादन नहीं हो पा रहा है। तीसरे औद्योगिक विकास जितना किया जाना चाहिये था उतना हो नहीं पाया। चौथे, लाल फीताशाही हमारे प्रदेश की जनता को खाये जा रही है। पांचवें, प्रदेश का कमजोर नेतृत्व भी पिछले २०-२५ साल से इस प्रदेश के पिछड़ेपन के लिये जिम्मेदार है प्रदेश के कमजोर नेतृत्व के कारण केन्द्र से हमारा ड्यू हिस्सा भी हमको नहीं मिलता छठा, कारण हमारे प्रदेश का ही बार-बार प्रधान मंत्री का होना है। मेरी नजरों में यह भी हमारे प्रदेश के पिछड़ेपन के कारणों में से एक कारण है क्योंकि प्रदेश से जब प्रधान मंत्री बनकर जाता है तो वहां पर यह संकोच करता है कि यदि हमने उत्तर प्रदेश के लिये कुछ कहा तो लोग यह कहेंगे कि तुम तो अपने होम स्टेट के लिये सब किये जा रहे हो। इसलिये हमारे प्रदेश को पर कैपिटा सहायता केन्द्र से जितनी मिलनी चाहिये थी वह मिल नहीं सकी। सातवां, कारण है हमारे प्रदेश का विशालकाय होना।

एक चीफ इंजीनियर के यहां फाइलों का ढ़ेर लगा हुआ है लेकिन उसको पता नहीं कि किस जिले में क्या हो रहा है । हरियाणा जैसे छोटे प्रदेशों ने तरक्की की है । जब मैं प्रदेश के बड़ा होने की बात करता हूं तो लोगों को गंध आती है कि विभाजन की मांग करता हूं । विभाजन शब्द से जहां तक प्रशासनिक और आर्थिक दृष्टि से बायेबिल स्टेट्स बनाने का प्रश्न है कोई एतराज नहीं होना चाहिये । हम अगर प्रदेश में विभाजन की मांग करते हैं तो इसका अर्थ यह तो कभी नहीं है कि उत्तर प्रदेश के एक हिस्से को निकाल कर किसी दूसरे प्रदेश से मिलाने जा रहे हैं । यह उस रूप में नहीं है जैसे हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन की बात थी ।

जनसंघ ने तो कानपुर के अखिल भारतीय अधिवेशन में मांग की थी कि पूरे दल के अन्दर प्रदेशों का जो गठन हुआ है वह ऐसा असन्तुलित हो गया है जनसंख्या और क्षेत्र की दृष्टि से कि एक नये सिरे से राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की जानी चाहिये जो प्रशासनिक और आर्थिक सुविधा की दृष्टि से पूरे देश भर के प्रान्तों का पुनर्गठन करें ।

श्री हेमवती नन्दन गहुगुणा––

कृषि पर बोलिये ।

श्री कल्याण सिंह––

उसी पर आ रहा हूं मैंने प्रदेश के पिछड़ेपन के कारण बताये हैं यदि आपने बयान ध्यान से सुना होता तो शायद आपको यह कहने का अवसर न आता । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में ७५ प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर है । १९६०–६१ के आंकड़ों के अनुसार ५४ से ६१ प्रतिशत तक की आमदनी खेती से होती थी । किन्तु कृषि को जो वरीयता मिलना चाहिये थी वह नहीं मिल पायी । पिछली चारों योजनाओं में कृषि को वरीयता नहीं मिली । वरीयता का क्रम होना चाहिये था कि कृषि को नं० १, उद्योग नं० २, वाणिज्य नं० ३, सामाजिक सेवायें नं० ४ । इस तरह के क्रम से व रीयता देना चाहिये । जो विकास की दरें तय की थीं दरे भी पूरी नहीं हो पायीं । लिखा था कि हम विकास की दर साढ़े ५ प्रतिशत करेंगे, गरीबी को दूर करेंगे, तीसरी बात यह थी कि आत्म निर्भरता पर जोर देंगे और चौथी यह कि असमानता को दूर करेंगे । परन्तु आज हम देखते है कि यह कुछ भी पूरा नहीं हुआ । विकास की दर के जो लक्ष्य निर्धारित किये गये वे पूरे नहीं हुये । जो भी आश्वासन दिये गये थे वे पूरे नहीं हुये ।

श्री अधिष्ठाता––

आप कितना समय लेंगे ।

श्री कल्याण सिंह––

मैं डेढ़ घंटा का समय चाहता हूं ।

(व्यवधान)

एक सदस्य––

यह कृषि पर तो बोल ही नहीं रहे हैं ।

श्री कल्याण सिंह--

आप ध्यान से सुनने की कृपा करें। कृषि से संबंधित अनेक प्रश्न हैं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि कृषि को जितनी प्राथमिकता मिलना चाहिये थी वह नहीं मिली। उद्योग धंधों की भी स्थिति यह रही कि हमारे प्रदेश से ६ उद्योग धंधे उठकर दूसरे प्रदेशों में चले गये। प्रदेश आज पिछड़ा ही नहीं रहा, अपितु वह उजड़ रहा है। इन उद्योगों के लिये नो आब्जेक्शन सर्टीफिकेट इसलिये दे दिया गया कि यहां पर बिजली की कमी थी। इनका कहना था कि अगर उनको दूसरे प्रदेशों में न जाने देते तो राष्ट्रीय क्षति होती।

हमारा प्रश्न तो यह है कि पिछली चारों योजनाओं के बावजूद आप यह असेस नहीं कर पाये कि हमारे यहां बिजली की कितनी आवश्यकता होगी। आज भी आपने यह असेस नहीं किया है कि आगे १०-१५ वर्षों में हमको कितनी बिजली की आवश्यकता होगी उसके लिये कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया गया। इसी कारण हमारे उद्योग दूसरे प्रदेशों को जा रहे हैं।

एक सदस्य--

अधिष्ठाता महोदय, जो माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं उनके यहां खेती होती ही नहीं है.....

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह--

मैं हेमवती नन्दन बहुगुणा नहीं हूं, मेरे यहां खेती होती है, मैं कृषक का बेटा हूं। मैं स्वयं खेती करता हूं और किसान हूं।

एक सदस्य--

मेरा व्यवस्था का सवाल है। माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं पूछ रहा हूं कि क्या वे खेती करते हैं जो उन्होंने कृषि का अनुदान पेश किया है .....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है। आप कृपया सीधे बातचीत न करें।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

आप खेती पर नहीं बोल रहे हैं।

श्री कल्याण सिंह--

मैं खेती पर ही बोल रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता--

आप कल कारखानों की बात कर रहे हैं, इस पर लोगों को आश्चर्य हुआ कि आप दूसरे विषय पर बोल रहे हैं।

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, यह लोग नहीं समझते कि उद्योग और कृषि का कितना घनिष्ठ अनुपूरक संबंध है। मैं इन्हें समझा सकता हूं किन्तु समझने की शक्ति इन्हें नहीं दे सकता। तो मैं कह रहा था कि वरीयता, प्राथमिकता निश्चित करें।

जहां तक योजनाओं का सवाल है कृषि के विकास की योजनायें सफल नहीं हो पा रही हैं। कृषि के उत्पादन में वृद्धि नहीं रही है। जो भी कुछ होता है, फाइल पर व्यवस्था की जाती है, खेती पर कार्यान्वित नहीं किया जाता है। आपकी उड़ान काल्पनिक हैं। सरकार के चाहे वह अधिकारी हों या चाहे कृषि से अनभिज्ञता रखने वाले मंत्री गण हों, खेती करते हैं कागज पर, कलम का हल चलाते हैं, स्याही की सिंचाई करते हैं, भाषण की खाद देते हैं, प्रस्तावों के बीज बोते हैं। आंकड़ों की फसल काटते हैं। परिणाम यह होता है कि भुखमरी फैलती है। वास्तविकता से, नियोजन काफी दूर है। जब तक कृषि को अपने आर्थिक जीवन का आधार, धुरी मान कर, योजनायें नहीं बनायेंगे, कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ सकता है। कृषि के विकास की तरफ प्रत्यक्ष ध्यान नहीं देंगे तो हमारे प्रदेश और देश का विकास नहीं हो सकता है। यदि कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ता है तो देश की उन्नति नहीं हो सकती है।

मान्यवर आपके माध्यम से २ आर्थिक चक्रों को प्रस्तुत करूंगा उनको हमें यहां स्वीकार करना होगा। जैसे भी हो सके पूंजी के प्रवाह को खेती की ओर मोड़िये। खेती से कच्चा माल पैदा होगा, कच्चे माल से उद्योग धंधे चलेंगे, उद्योग धंधों से रोजगार मिलेगा। रोजगार से लोगों में क्रय शक्ति आयेगी, क्रय शक्ति से चीजों की मांग बढ़ेगी, मांग से फिर उद्योग धंधे चलेंगे और उचित दाम मिलेंगे, उचित दामों से पूंजी का निर्माण होगा।

पूंजी को खेती की ओर खेत से कच्चा माल, कच्चे माल से उद्योग धंधे, उद्योग धंधे से रोजगार, रोजगार से क्रय शक्ति से चीजों की मांग, मांग से उचित दाम मिलेगा इसी तरह से यह प्रक्रिया फिर चलेगी और यह चक्र चलता रहेगा। इसलिये हमारे देश को और प्रदेश को यदि उठाना है तो कृषि की ओर ध्यान देने की जरूरत है।

जैसे अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा, गाय का हमारे जीवन में बड़ा आर्थिक महत्व है। इसी गाय के बारे में मैं दूसरा चक्र रखता हूं। गाय हमें केवल बैल और गोबर देती है। बैल हल को चलाता है और गोबर खेती में डाला जाता है। खेती से दाना और चारा पैदा होता है, दाने से हम अपना पेट भरते हैं और चारा बैल खाते हैं गाय खाती है और गाय फिर बैल और गोबर देती है। इस तरह से यह चक्र हमेशा चलता रहता है।

मान्यवर, यह जो किसान है इन दोनों चक्रों के बीच धुरी है। जब तक हम अपने देश और प्रदेश की कृषि की ओर ध्यान नहीं देगें तब तक न तो उत्पादन ही बढ़ सकता है और न रोजगार ही बढ़ सकते हैं।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कृषि को प्राथमिकता नहीं मिली है और इसका परिणाम यह हुआ है कि हम पूरी कृषि योग्य भूमि पर कृषि नहीं कर पाये हैं और विकास नहीं हुआ है।

जहां तक मेरी जानकारी है, मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। सन् १९५५–५६ में ६२.१ प्रतिशत भूमि पर खेती होती थी। १९६६–६७ में ६५.६ प्रतिशत भूमि पर खेती हुयी और १९७३–७४ में अधिक से अधिक ६७ प्रतिशत भूमि पर खेती हो पायेगी। यानी अभी ३३प्रतिशत भूमि ऐसी है जिसको अभी हल के नीचे नहीं लाया गया है। मान्यवर, यह परी शत प्रतिशत भूमि हमको खेती के वास्ते, पैदावार बढ़ाने के वास्ते हल के नीचे लाना चाहिये। इसके लिये जो लैण्ड रिक्लेमेशन योजना है, भूमि संरक्षण योजना चल रही है उसको और अधिक व्यापक और जिम्मेदार बनाना जरूरी है। ताकि ऊसर और अन्य जो जमीनें हैं उन पर खेती हो सके।

[श्री कल्याण सिंह]

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो हरिजन हैं, जो भूमिहीन हैं और जो अवकाश प्राप्त सैनिक हैं आप उनके परिवार को यह भूमि दे दीजिये । १०-२०-३० साल तक अगर आप लगान माफ कर देंगे और अगर उनको पानी और खाद की सुविधाएं दी जायेंगी तो वह स्वयं अपने प्रयासों से जितना ऊसर रिक्लेम कर सकते हैं उतना विभाग १५० वर्ष में भी नहीं कर सकेगा । खेद के साथ कहना पड़ता है कि यह सारा काम केवल विभागीय अधिकारी ही कर रहे हैं । पहले एक योजना चली थी कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को पट्टे दिये जायेंगे, लिखा पढ़ी और रजिस्ट्री हुई लेकिन आज तक वह कार्यान्वित नहीं हो पाये हैं । इसी कारण मान्यवर हमारे प्रदेश में शत प्रतिशत खेत हल के अन्दर नहीं आ पाये हैं । खेती पर भार भी बहुत अधिक है । इस सम्बन्ध में मैं एक सिद्धान्त की बात बतलाना चाहता हूं । अनुभव यह बताता है कि विश्व के देशों में जहां जितनी अधिक संख्या खेती पर लगी है उतना ही वह देश अधिक पिछड़ा हुआ है । जिस जिस देश में यह संख्या घटी है और दूसरे उद्योग धंधों में लोग गये हैं, उसी अनुपात में देश उन्नति के शिखर पर पहुंचा है । अमेरिका में ६ प्रतिशत लोग खेती का काम करते हैं, पश्चिमी जर्मनी में ८ प्रतिशत करते हैं, ब्रिटेन में १० या १२ प्रतिशत करते है और भारत में ७० प्रतिशत आदमी खेती करते हैं । उत्तर प्रदेश में तो यह संख्या ७५ प्रतिशत है । जहां जितने अधिक लोग केवल खेती पर निर्भर रहेंगे उतना ही अधिक प्रदेश पिछड़ता चला जायेगा ।

हमारे यहां खेहितर मजदूरों में १५ प्रतिशत लोगों को सप्ताह में केवल ७ घंटे काम मिलता है और १५ प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनको ३६५ दिन में केवल १८० दिन काम मिलता है । और उनमें से ९० प्रतिशत लोग पूर्णतया भूमिहीन हैं । जिन लोगों के पास भूमि नहीं है उनके बारे में कई बार सदन में चर्चा हो चुकी है । यदि हम उन्नति करना चाहते हैं तो हमें खेती पर भार कम करना होगा । हमें प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाना होगा । जिन लोगों को हम खेती से हटायेंगे उनके लिये अन्न उपजाना होगा । इसके अतिरिक्त जो लोग खेती नहीं कर रहे हैं उनके लिये अन्न की पूर्ति करना होगी । तभी प्रदेश आगे बढ़ सकेगा ।

मान्यवर, जहां तक कृषि उत्पादन बढ़ाने का प्रश्न है इस बारे में कुछ मोटी-मोटी बाते हैं जिनसे उत्पादन बढ़ सकता है । विशेषज्ञों का कहना है कि केवल अच्छे बीज खेत को मिल जायं तो १० प्रतिशत पैदावार बढ़ सकती है । बीज की स्थिति क्या है ? पिछले दिनों इसी सदन में प्रश्न आया था कि २५ करोड़ रूपये का घटिया बीज सरकारी एजेन्सी से किसानों को बांटा गया । सच पूछिये तो यह राष्ट्रीय अपराध था । सरकार को चाहिये कि ऐसे लोगों को सजा दे चाहे वह प्राइवेट हों या सरकारी हों कि जिन्होंने २५ करोड़ का घटिया बीज प्रदेश के किसानों को बांटा और किसानों के साथ खिलवाड़ किया है । उनके साथ सख्ती से पेश आना चाहिये ।

मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं । बीज का उपचार करना होगा । आज खाद का अभाव है, सिंचाई का अभाव है, इसलिये विशेषज्ञों को ऐसे बीजों की रिसर्च करनी चाहिये जो कम खाद और पानी में भी अच्छा उत्पादन दें । इस बारे में खोज की जानी चाहिये । मान्यवर, प्रदेश के अन्दर लगभग ३ हजार सीड स्टोर्स बीज बांटने के लिये हैं । मुख्य मंत्री जी जांच करा लें कि जितनी सेवा किसान और खेती की इनके माध्यम से हुई है घटिया बीज दे कर उतनी कुसेवा किसान और खेती की किन्हीं दूसरे कारणों से नहीं हो पायी होगी । इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

जहां तक खाद का प्रश्न है, उसका क्राइसिस है । विदेशों से भी खाद पूरी नहीं मिल पा रही और अपने यहां जो कारखाने हैं वहां पर मेरी सूचना के अनुसार ७० प्रतिशत उत्पादन हो रहा

है। इसके अतिरिक्त खाद के भाव की बात है। हर दूसरे तीसरे साल खाद के भाव दुगने हो जाते हैं। जो कट्टा ५०–५५ रुपये में मिलता था वह आज १०३ और १०५ रुपये में मिलता है और ब्लैक में तो १५० से १७५ रु० तक में बिक रहा है। बीज और खाद उत्पादन बढ़ाने के लिये जरूरी है।

इसके बाद सिंचाई की जरूरत है जिसके लिये बिजली चाहिये। मैं सरकार द्वारा दिये गये साहित्य को पढ़ रहा था। उसमें लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिये केवल १५ प्रतिशत बिजली दी जाती है। उसमें भी कुछ दूसरे छोटे-छोटे उद्योग-धंधे चलते होंगे। मैं उसके बिरोध में नहीं हूं। मैं तो चाहता हूं कि वे और चलें। लेकिन कृषि के लिये जितनी बिजली की आवश्यकता है उतना आप नहीं दे पा रहे हैं। सिंचाई का भाव हर दूसरे तीसरे साल बढ़ जाता है। पहले एक रुपये का २४ हजार गैलन पानी मिलता था ट्यूबवेल से, फिर एक रुपये में १६ हजार गैलन हुआ, उसके बाद १२ हजार गैलन हुआ, फिर घटाकर ८ हजार गैलन हुआ और आज की मेरी सूचना है कि १ रुपये में केवल ६ हजार गैलन दिया जा रहा है।

यही स्थिति बिजली की है। उद्योगों को सस्ती बिजली दी जाती है और खेती में काम आने वाली बिजली मंहगी है। यह जो सरकार की नीतियां हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि किस प्रकार कृषि उत्पादन के बढ़ाने में सहायक हो सकेगी। कृषि उत्पादन बढ़ाने के बारे में मैं दो बातें और कहना चाहता हूं। एक तो कृषि प्रशिक्षण आवश्यक है और दूसरे हमारी प्रसार सेवा सुदृढ़ होनी चाहिए।

पंजाब के विषय में यह है कि वहां कृषि उत्पादन बढ़ने के कई कारण होंगे लेकिन एक प्रमुख कारण यह है कि उच्च श्रेणी से लेकर नीचे गांव तक उनकी कृषि प्रसार सेवा का बड़ा सुदृढ़ जाल फैला हुआ है। जो योजना ऊपर से चलती है वह खेत तक पहुंचती है। परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहां कृषि प्रसार सेवा जितनी सदृढ़, व्यापक और कुशल बननी चाहिये थी वह नहीं है, और यही कारण है कि उत्पादन घट रहा है।

जब हम बात करते हैं कि कृषि के ऊपर भार कम हो तो प्रश्न उठता है कि बाकी लोगों का क्या किया जायगा। इससे बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी। इसके लिए हमारा सुझाव है कि कृषि पर आधारित छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे ग्रामीण अंचलों में खोले जायं अभी तो यह होता है कि टमाटर में पैदा करता हूं लेकिन चटनी दिल्ली में बनती है। क्या चटनी मेरे गांव में या वर्मा जी के गांव में नहीं बन सकती। इसी प्रकार मटर की फलियां हम पैदा करते हैं लेकिन उसकी पैकिंग अहमदाबाद और बम्बई में होती है। अगर लाखों लोगों को रोजगार देने की बात है तो हमें इसपर विचार करना होगा और कृषि पर आधारित लघु उद्योगों का जाल ग्रामीण अंचलों में फैलाना होगा। हम हार्टिकल्चर और डेयरी को प्रोत्साहन दें। पशुपालन का जिक्र मैं आगे चल कर करूंगा। और भी काम हो सकते हैं जैसे मुर्गी पालन, सड़कों का निर्माण, भवनों का निर्माण, आचार का काम। मान्यवर, हमारे देश के आम के अचार की विदेशों में तारीफ हो चुकी है। अगर इस ओर ध्यान दें तो हम गांवों की आर्थिक स्थिति को बहुत हद तक सुधार सकते हैं। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि पिछले २७ साल के नियोजन में गांव के किसान, खेती और खेतिहर मजदूर, इनको ओर ध्यान नहीं दिया गया और यही कारण है कि हमारा प्रदेश इतना पिछड़ा हुआ है।

[श्री कल्याण सिंह]

जहां तक उत्पादन का प्रश्न है, हैवी इण्डस्ट्रीज से देश और प्रदेश का भला नहीं हो सकता, बल्कि छोटे-छोटे उद्योग धंधों से ही भला कर सकते हैं। इस संबंध में प्रसिद्ध विद्वान विश्वेसरइया ने इसके संदर्भ में कहा है जब हम कोई औद्योगिक नीति अपनायें तो ७ चीजों का ध्यान रखें:—मैन, मैटेरियल, मनी, मशीनरी, मैनेजमेंट, मोटिव पावर और मार्केट, ये ७ चीजे ह। ये चीजें हमारे देश और प्रदेश में भारी उद्योगों के अनुकूल नहीं हैं। चाहे उसके लिये शक्ति का प्रश्न हो, चाहे मनी, चाहे मशीनरी, चाहे मार्केट या दूसरी चीजें हों। ये ७ तत्व हमारे देश और प्रदेश में कृषि पर आधारित छोटे उद्योग धंधों के लिये उपयुक्त हैं, हेवी इण्डस्ट्रीज के लिये नहीं। लेकिन जो आधारभूत कारखाने हैं, जैसे एलम्यूनियम और इस्पात आदि, जिनसे ऐसी चीजें बनती हैं जो खेती के उपयोग में काम आने वाले यंत्रों में प्रयोग में लायी जाती हैं, उनका मैं विरोधी नहीं हूं। लेकिन अपने प्रदेश में जन-शक्ति, और सीमित साधनों, मार्केट और मशीनरी की असुविधा को देखते हुये, छोटे-छोटे उद्योग-धंधों को नहीं फैलाया गया। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुख्य मंत्री जी करेक्ट कर दें।

दूसरी चीज है कि ग्रामीण उद्योगों के लिये जो परियोजनायें चलायी गयीं, वे पहले केवल ५ जिलों में चलायी गयीं। चौथी योजना के अन्दर केवल ८ जिलों में चलाई गयीं और कुछ पांचवीं योजना के लिये प्रस्तावित होंगी। मान्यवर, जो पिछला परफार्मेन्स रहा है, अगस्त ७३ तक, उसमें प्रदेश के अन्दर केवल ३३६० औद्योगिक इकाइयां खोली गयी हैं, इन इकाइयों को केवल ७१,८७,००० रुपये का ऋण प्रदान किया गया है और उनसे इतने बड़े प्रदेश में केवल ६१६० लोगों को रोजगार मिला है। न उत्पादन बढ़ सकता है, न लोगों को रोजगार मिल सकता है और न भर पेट अन्न। कागज पर कुछ लिखते रहें। हम तो उपलब्धियां आंकते हैं कि क्या परफारमेंस है।

एक बात हथकर्घों के बारे में कहना है। हथकरघों का संबंध कृषि से है। मान्यवर, यह ऐसा प्रदेश है जिसकी वस्त्र की एक-तिहाई आवश्यकतायें करघा उद्योग से पूरी होती हैं। मान्यवर, हथकरघों में १० लाख लोगों को रोजगार मिलता है। मार्च ७३ के अन्त तक हमारे प्रदेश के अन्दर २,७२,२०० हथकरघे चलते थे जिनमें से कुछ नकली रेशम, कुछ असली रेशम, कछ सूती और कुछ स्टेपुल बनाने वाले थे। हमारे प्रदेश की इतनी बड़ी जनसंख्या की दृष्टि से इन हथकरघों उद्योग के लिये जो इकाइयां खोली गयी हैं, वे कम हैं। हम उनको आगे विकसित करें। उनको जब विकसित करेंगे तो कपास की आवश्यकता होगी और उसके लिये नई-नई वेरायटीज खोजनी होंगी। कर्घा, कृषि और कपास यह एक दूसरे से मिली हुई चीजें हैं एक दूसरे के परिपूरक हैं। इससे हमारे प्रदेश को रोगजार मिल सकता है। रा मैटीरियल मिल सकता है। यह ऐसा उद्योग धन्धा है कि इसमें कोई आयात अमेरिका अथवा इंग्लण्ड से नहीं करना पड़ेगा। अगर हमने यहां खेतों में कपास की अच्छी किस्में पैदा कीं, अच्छा सूत पैदा किया तो उस सूत से हथकरघा उद्योग को और अधिक विकसित कर सकेंगे।

हरित क्रान्ति की बड़ी बात कही जाती रही है। इसमें दो मत नहीं है कि अगर हरित क्रान्ति सफल होगी तो श्वेत क्रान्ति भी सफल होगी और श्वेत क्रान्ति सफल होगी तो जो औद्योगिक क्रान्ति है वह भी सफल होगी। अगर हरित क्रान्ति सफल नहीं हुई तो श्वेत क्रान्ति भी सफल नहीं हो सकती और फिर औद्योगिक क्रान्ति भी सफल नहीं हो सकेगी और फिर चौथी क्रान्ति होगी लाल क्रान्ति चाहे हम कोई भी प्रयत्न कर लें। अगर नौजवान का हाथ खाली होगा, उसे काम नहीं मिलेगा तो नौजवान अपनी जवानी के स्वभाव के अनुसार कुछ न कुछ करेगा ही। अगर निर्माण के काम में वह नहीं लगाया गया तो फिर वह विध्वंसात्मक कार्य करेगा।

कृषि उत्पादन पर प्रदेश का औद्योगीकरण निर्भर करता है लेकिन अगर हम अपने उत्पादन के आंकड़ों को देखें, हरित क्रान्ति के आंकड़ों को देखें जो ६७ से शुरू हुई मानी जाती है जब से कि हाई ईल्डिग वैरायटी के बीजों का श्रीगणेश हुआ तो आप पायेंगे कि ६७–६८ में १६७.७३ लाख मीटरिक टन पैदा हुए। ६८–६९ में घट गया और वह १६०.४१ लाख मीटरिक टन पैदा हुआ। ६९–७० में कुछ बढ़ा यानी १७४.१४ लाख टन मीटरिक टन पैदा हुआ और ७०–७१ में सबसे अधिक पैदा हुआ यानी रिकार्ड ईल्ड हुई १९६.६७ लाख मीटरिक टन की और ७१–७२ में फिर गिर गया १७६.७३ लाख मीटरिक टन पैदा हुआ और ७२–७३ में थोड़ा सा बढ़ा—१७९.२६ लाख मीटरिक टन पैदा हुआ और ७३–७४ में जो लक्ष्य रख गया था २०५ लाख मीटरिक टन का वह पूरा नहीं हो पाया। कारण स्पष्ट है कि बिजली की कमी के कारण खेतों को पूरा पानी नहीं मिल सका। फिर पाला गिर गया और ओला पड़ गया ३०–४० प्रतिशत तक हमारा उत्पादन प्रभावित हुआ और इस कारण यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया।

हम तुलना करें कि हमारा प्रदेश ही पिछड़ा रहा अथवा और प्रदेश भी पिछड़े रहे। हमारे प्रदेश में ही हरित क्रान्ति के बावजूद उत्पादन नहीं बढ़ा अथवा देश के अन्य प्रान्तों में भी उत्पादन नहीं बढ़ा? हम हरियाना और पंजाब को लें। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में ५ जिले अलीगढ़, मेरठ, बुलन्दशहर, सहारनपुर तथा मुजफ्फरनगर ऐसे हैं जिनकी पैदावार पंजाब और हरियाना के कुछ जिलों की तुलना में औसत से अधिक हुई लेकिन कुल मिला कर स्थिति क्या रही है। हरित क्रान्ति के दौरान वर्ष ६६–६७ में हरियाना में एक हेक्टर में १४.२८ कुइंटल, पंजाब में १५.४४ कुइंटल तथा उत्तर प्रदेश में ९.६३ कुइंटल पैदा हुआ। इसी तरह से ६७–६८ में हरियाना में एक हेक्टर में १७.३४ कुइंटल, पंजाब में १८.५८ कुइंटल तथा उत्तर प्रदेश में ११.७५ कुइंटल पैदा हुआ। ६८–६९ में एक हेक्टर में हरियाना में १७.०६ कुइंटल, पंजाब में २१.६७ कुइंटल तथा उत्तर प्रदेश में ११.६२ कुइंटल पैदा हुआ। हरियाना में ६९–७० में एक हेक्टर में २०.८४ कुइंटल पैदा हुआ पंजाब में २२.२० क्विंटल और हमारे उत्तर प्रदेश में ११.७४ क्विंटल पैदा हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरे प्रदेशों से भी हमारा उत्पादन घटता जा रहा है। हरित क्रांति से जहां हरियाणा और पंजाब में १९६७ से लेकर अब तक ४४ प्रतिशत की वृद्धि हुई है वहां हमारे प्रदेश में केवल २१.९ प्रतिशत की वृद्धि ही हो पायी है। यह हमारे प्रदेश की स्थिति है। क्या कारण है कि हमारा उत्पादन नहीं बढ़ रहा है और वहां कैसे बढ़ रहा है? इसका एक छोटा सा उत्तर है कि हम अभी तक सिंचाई की व्यवस्था नहीं कर पाये हैं, खाद, बीज आदि की व्यवस्था नहीं कर सके हैं। जो हमारी सिंचाई योजनायें बनायी जाती हैं वे बहुत बड़ी योजनायें बनायी जाती हैं जब कि हमारे प्रदेश को छोटी सिंचाई योजनाओं से लाभ हो सकता है। सिंचाई की बड़ी योजनाओं के लिये पिछली चार पंचवर्षीय योजनाओं में पूंजीगत परिव्ययों के लिये जो अनुमान लगाया गया वह ७८.४ प्रतिशत और छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये केवल २१.६ प्रतिशत ही लगाया गया। छोटी योजनायें कम खर्च की होती हैं और शीघ्र फल देने वाली होती हैं। उनमें किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती है और न मशीन आदि ही आयात करनी पड़ती हैं।

छोटी सिंचाई योजनाओं के ९५ प्रतिशत पानी का उपयोग हो सकता है जब बड़ी योजनाओं का केवल ५.५ प्रतिशत पानी ही काम में आ पाता है। मैं फिर दुहराना चाहता हूं

[श्री कल्याण सिंह]

कि हमारे प्रदेश के लिये छोटी-छोटी योजनायें ही लाभकर सिद्ध हो सकती हैं। जिन योजनाओं में अधिक धन लगता है, मशीनें आदि भी बाहर से मंगानी पड़ती हैं, बहुत दिनों बाद फल देने वाली होती हैं वे हमारे लिये ज्यादा फायदे की नहीं हो सकतीं।

हमारे प्रदेश की ७० प्रतिशत कृषि भूमि आज भी इन्द्र देवता के भरोसे पर रहती है। शासन की शिथिलता का एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। केन्द्रीय सरकार ने हमारे प्रदेश के लिये पिछले दिनों सूखे के समय सिंचाई की व्यवस्था हेतु ३८० नलकूप लगाने के लिये एक धनराशि दी थी। पिछले मार्च में एक उच्च-स्तरीय कमेटी केन्द्र से आयी उसने बताया कि यहां पर ३८० नलकूपों में से जिसके लिये कि केन्द्रीय सरकार से सहायता मिली थी, केवल ५० नलकूप ही लगे। बाकी नलकूपों की सहायता ज्यों की त्यों पड़ी रही। एक तरफ तो कहा जाता है कि हमारे पास पैसे का अभाव ह, ट्यूबवेल का अभाव है, खाद का अभाव है लेकिन दूसरी ओर जब आपको धन भी प्राप्त हो जाता है तब फिर भी आप उसका समय पर उपयोग नहीं कर सकते। यह ऐसी भूल आप कर रहे हैं जिसे कि प्रदेश की जनता कभी भी क्षमा नहीं कर सकती।

मैंने भूमि के आंकड़े इकट्ठे किये हैं लेकिन उनको रखने में सदन का अधिक समय लग जायेगा इसलिये केवल मोटी-मोटी बातें ही रखना चाहता हूं। अभी भी १६ लाख २५ हजार हेक्टेयर ऐसी भूमि है जिस पर खेती की जा सकती है लेकिन अभी तक वह हल के नीचे नहीं लायी गई है। १४ लाख ८५ हजार पड़ती की जमीन पड़ी हुई है और १ करोड़ १० लाख ६४ हजार हेक्टेयर ऐसी जमीन है जिसको आप अभी तक पानी नहीं दे पाये हैं। कौन ऐसा मंत्र हो सकता है जो कि फसल को बिना पानी दिये उत्पादन को बढ़ा सके? खाद के नाम पर अरबों रुपया आपने आयात पर व्यय किया।

हमारे देश के शासकों और योजनाकारों ने बड़े जोश में आकर कहा था किसानों से, कि सन् १९७५–७६ में खाद के मामले में हम आत्म-निर्भरता प्राप्त कर लेंगे लेकिन लगता है कि सन् १९८० तक भी आप किसानों को उसकी आवश्यकतानुसार खाद नहीं पूरी कर पायेंगे। पांचवीं योजनायें जो चल रही हैं उसमें जो मोटा अनुमान है, उसमें ४० से ५० लाख टन अतिरिक्त खाद के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है कि इतने की कमी रह जायेगी लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पांचवीं योजना के अन्त तक ७० लाख टन खाद की आवश्यकता होगी लेकिन कुल उत्पादन ४० लाख टन होगा। ३० लाख टन की कमी बनी रहेगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि जब माननीय मुख्य मंत्री जी जवाब दें तो उस समय यह प्रकाश भी डालें कि कैसे वे इसे पूरा करेंगे, कहां से आयेगा, उसका आधार क्या होगा क्योंकि आज प्रदेश का किसान यह सनना चाहता है। मान्यवर, पांचवीं योजना में अब तक उसकी जो मांग है, वह ७० लाख टन की है, उस दौर में ७० लाख टन खाद की जरूरत पूरी करने के लिये आपके पास क्या योजना है, यह हमारे सामने आना चाहिये। एक बात अवश्य है, जब हम देखते हैं कि सिंचाई के साधन सीमित हैं, पानी भी सीमित है, तो क्या हम खेती में कोई दूसरा परिवर्तन नहीं कर सकते या दूसरे प्रकार की खाद बनाने की ओर हम अग्रसर नहीं हो सकते। हमें खुशी है जैसी सूचना मिली है कि १२ करोड़ रुपया इस बात के लिये खर्च किया जा रहा है, जिससे शहरों के कूड़े-करकट से, मल-मूत्र से लगभग ३५ करोड़ टन खाद तैयार की जा सके। लेकिन श्रीमन्, मुझे डर केवल इतना है, जैसे बहुत सारी योजनाएं बनती हैं, किन्तु कागज पर ही रह जाती हैं, यह भी उसी प्रकार कहीं न रह जाए। वर्ष ७४–७५ की जो पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य एवम् योजना कार्यान्वयन है, उसके पृष्ठ ३१ पर सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि बहुत से ऐसे लक्ष्य थे जिन पर ध्यान नहीं दिया गया, बहुत से ऐसे थे, जिनका निरीक्षण और नियन्त्रण ठीक नहीं हो पाया है, जिसके कारण लाभ आम आदमी को न मिल कर कुछ बड़े-बड़े आदमियों को मिल गया है। इस प्रकार का डर इस योजना के

बारे में भी है कि इसके बारे में भी कहीं फिर हमें लिखा हुआ न मिल जाए कि इस पर जितना ध्यान देना चाहिये था उतना नहीं दे पाए ।

हम गोबर गैस बना सकते हैं । विशेषज्ञों का कहना है कि गोबर गैस के उपयोग लाई गई गोबर में २० प्रतिशत उर्जा अधिक होती है और ४३ प्रतिशत उर्वरता उसमें अधिक होती है । किन्तु हमारी सरकार ने गोबर गैस की उपेक्षा करके सब काम गुड़-गोबर कर रखा है अब तक । गोबर से चलकर सरकार फिर लौट कर गोबर पर आई है और सरकार ने कहा है कि बिना गोबर व कूड़ा-करकट को उपयोग में लाए हम अपनी खाद की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते हैं ।

यूरोप के जो स्वीडेन आदि कन्ट्रीज हैं, वहां पर मलमूत्र के खाद को टंकियों के द्वारा किसानों के खेतों तक पहुंचाया जाता है । अपने यहां भी मेकेनिकल कम्पोस्ट प्रोजेक्ट की स्थापना की जानी चाहिये और फर्टीलाइजर की कमी उससे पूरी की जानी चाहिये । अमेरिका में कृषि उन्नति के सम्बन्ध में मैं माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । हमने हाई-ईल्डिग वैरायटी पर बहुत ध्यान दिया । उसके द्वारा मिले हुए उत्पादन की एक क्षमता थी, सीमा थी । क्षेत्रफल को दुगना करने के उपरान्त भी हम उत्पादन उतना नहीं बढ़ा सके, जितनी हमें अपेक्षा थी । आंकड़े बताते हैं कि देश में ३२ लाख एकड़ में हाई-ईल्डिग वरायटी की खेती की गई है और १२९ लाख टन अन्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन पैदा होता है कुल ११० लाख टन । अब यह स्थिति हमारे सामने है, जितना उत्पादन अपेक्षित था उतना नहीं हो पा रहा है । उसी तरह से आज भी जो लगभग ७० प्रतिशत ऐसी भूमि है, जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है, जो ड्राई लैण्ड है हम उस पर भी खेती करें, उस ओर भी यदि हम ध्यान दें तो हमारी खाद्यान्न की कमी पूरी हो सकती है। इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय समन्वित बारानी कृषि अनुसन्धान परियोजना के दल से सम्बन्धित विशेषज्ञ ने जो प्रयोग किये हैं, उससे उन्होंने बताया है कि जो बारानी खेती है, जो केवल वर्षा से ही पोषित ह, उनमें मामूली सा उर्वरक प्रयोग कर देने से ढाई से ३ गना तक उत्पादन में वृद्धि हो जाती है । ऐसी भूमि अपने प्रदेश में ७० प्रतिशत है । उस पर ध्यान दिया जाये तो हम अपने प्रदेश में उत्पादन इतना बढ़ा सकते हैं कि अपने प्रदेश में सबको खिलाया जा सके । जो वर्षा पोषित खेती है—ड्राई लैण्ड खेती है, उस पर प्रगतिशील देशों जैसे कनाडा, अर्जेन्टाइना, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, में बड़ा ध्यान दिया जा रहा है । मैंने पूरा साहित्य पढ़ डाला, मुझे कहीं भी पढ़ने को नहीं मिला कि अपनी सरकार का ध्यान भी उस ओर जा रहा है ।

जिससे हम इस नतीजे पर पहुंचे कि प्रदेश की सरकार बारानी खेती की ओर ध्यान दे कर कृषि उत्पादन को बढ़ाना चाहती है । हाई ईल्डिग वैराइटी बीजों की खेती का क्षेत्रफल दुगुना करने के बावजूद खाद्यान्न की समस्या बनी हुई है । बारानी खेती की ओर ध्यान दे कर दो-तीन गुना बढ़ोत्तरी करके, खाद्यान्न की समस्या हल हो सकती है,जिसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं है, अगर ध्यान है तो माननीय मुख्य मन्त्री जो अपने उत्तर में बता देंगे । जो ७० प्रतिशत ड्राई लैन्ड है, एक एकड़ में दो क्विंटल पैदावार का औसत है । इस पैदावार को जैसा कि मैंने निवेदन किया दो-तीन गुना बढ़ा सकते हैं ।

इसी तरह से बहु फसली कार्यक्रम की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । भूमि तो नहीं बढ़ायी जा सकती है । हम उसको बहुफसली क्षेत्र में लाकर उत्पादन बढ़ा सकते

[श्री कल्याण सिंह]

हैं। लेकिन उसके लिए जितना सरकार का ध्यान जाना चाहिए नहीं जाता। इस साहित्य को पढ़ने से लगा कि १९६८-६९ में ४९.४४ लाख हजार हेक्टर पर १९७०-७१ में ५७ लाख ९९ हजार हेक्टर पर और १९७१-७२ में ६१ लाख ३ हजार हेक्टर पर बहु-फसली खेती होती थी। आप कहेंगे कि बढ़ तो रहे हैं यह बढ़ना १, २, ३, ४ के अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में हो रहा है। जबकि प्रदेश की खाद्यान्न की समस्या दूर करने के लिए को अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में नहीं, जियोमेट्रिकल प्रोगेशन २, ४, ८, १६, ३२ के क्रम से होना चाहिए। इस तरह से बहुफसली कार्यक्रम सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता है।

मान्यवर, जोतों के बारे में कहा गया। मेरे पास पूरे आंकड़े मौजूद हैं। सरकार का ही डाकूमेंट है, उत्तर प्रदेश कर जांच समिति का प्रतिवेदन, १९६८-६९। इसके २२ पेज पर पूरी तालिका दी हुई है। मैं पूरी तालिका पढ़कर सदन का समय नहीं लेना चाहता उसके आधार पर केवल तीन बातें कहूंगा।

एक तो यह कि ७९.२४ प्रतिशत ऐसे परिवार हैं जिनके पास कुल भूमि की ३३.१३ प्रतिशत भूमि है और उनके पास एक एकड़ से लेकर पांच एकड़ तक रकबा है। दूसरे एक एकड़ से लेकर साढ़े १२ एकड़ तक जिनके पास रकबा है, ऐसे परिवारों का प्रतिशत ९५.३२ है। इस प्रतिवेदन के अनुसार ४.६८ प्रतिशत ऐसे परिवार हैं जिनके पास कुल भूमिका ३०.९१ प्रतिशत है।

मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा हूं जो आपके माध्यम से माननीय मख्य मन्त्री तक पहुंचाना चाहता हूं। हम यह देख रहे हैं कि जो विकास योजनायें हैं, चाहे अनुदान दिये जाने की बात हो, चाहे सिंचाई परियोजना पर खर्च हो, या खेती पर किया गया खर्च हो, जितना भी पैसा खर्च किया गया है उसका सबसे बड़ा अंश बड़े-बड़े किसानों को जो भूतपूर्वजमींदार हैं, राजनीतिक नेता हैं या जो कल तक खेती नहीं करत थे, जिन्होंने देहातों में जमीन खरीद ली है, अपने काले धन को सफेद धन में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों ने लाभ उठाया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं बड़ी प्रबलता के साथ जैसा कि केन्द्रीय सरकार ने भी प्रदेशीय सरकारों से कहा है, बड़े-बड़े किसानों के ऊपर जोकि किसान नहीं हैं, बल्कि नकली किसान हैं, किसानों का लबादा ओढे हुए हैं जिन्होंने अनुदानों का सबसे बड़ा लाभ उठाया है, काले धन को जिन्होंने सफेद करने की कोशिश की है ऐसे बड़े-बड़े किसानों पर सरकार टैक्स लगाये।

कृषि आय-कर लगाइए, होल्डिंग टैक्स लगाइए। डाक्टर के० एन० राज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। उसने कहा है कि बड़े-बड़े किसानों के ऊपर जो किसानों का लबादा ओढ़े हुए हैं या राजनीतिक क्षेत्र में नेतागीरी का लबादा ओढे हुए हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय विकास में कोई कन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया है, जो काले धन को सफेद धन करने के लिए खेती करने पर आये हैं, जिन्होंने बड़े-बड़े अनुदान लिये हैं और सारी सुविधाओं से लाभ उठाया है उन पर भारी कर लगाया जाय। मैं मांग करता हूं कि आप बिल लाइए, हम ऐसे बिल का समर्थन करेंगे। आपको कृषि आय-कर लगाना चाहिए लेकिन आप नहीं लगाना चाहते हैं। बड़े लोगों के ऊपर कृषि आय-कर लगाइए। छोटे लोगों पर न लगाइए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने प्रदेश में ९५ प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने लायक ही पैदा करने लायक जमीन है। ऐसे लोगों के ऊपर यह कर लगा सकते हैं जिन्होंने सारी योजनाओं का लाभ उठाया है जो मुट्ठी भर लोग प्रदेश की एक तिहाई जमीन हड़प किये बैठे हैं। लेकिन इनके ऊपर नहीं लगाना चाहते हैं। देश की प्रधान मन्त्री ने कहा है, केन्द्र के वित्त मन्त्री ने कहा है और श्री डी० पी०धर योजना मन्त्री ने कहा है कि कृषि आय कर लगाइए। लेकिन आप नहीं लगाना चाहते हैं।

इसका कारण स्पष्ट यह है और आज आप मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें, मैं किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं कह रहा हूं कि आज बड़े-बड़े किसान, पूंजीपति और पैसे वाले सत्ता रूढ़ दल के साथ हैं। इन लोगों की नाराजगी मोल लेने की हिम्मत सत्तारूढ़ दल में नहीं है। यही कारण है कि इनके ऊपर कृषि आय-कर नहीं लगाया जा रहा है। मैं केन्द्र के नियोजन मन्त्री की बात कह रहा हूं जो दैनिक जागरण १७ जुलाई, १९७४ में छपी है। उन्होंने कहा है कि बड़े और धनी किस नों की हिमायत स्वयं कांग्रेसी नेता करते हैं। प्रधान मन्त्री ने आलोचना की है, केन्द्र के वित्त मन्त्री ने आलोचना की है। मैं कहता हूं कि यह नैतिक साहस बटोरें और दलगत राजनीति से ऊपर उठें, हम टैक्स लगाने की मांग कर रहे हैं तो कुछ न कुछ नुक्सान तो हमको भी होगा लेकिन हम देश और प्रदेश के हित में उस नुक्सान को उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस सरकार में साहस नहीं है। इस कृषि आय-कर से विकास के लिए धन मिल सकता है, काले धन को सफेद धन होने से रोका जा सकता है लेकिन इसके लिए नैतिक साहस चाहिए।

मैं खाद्यान्न के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। गेहूं और कृषि उत्पादन की कीमतें उचित नहीं हैं। एक ही चीज के चार-चार भाव हैं। सरकार किसानों से १०५ रुपए प्रति क्विंटल गेहूं लेती है, अपनी सरकारी राशन की दुकानों से एक सौ तैंतीस रुपए क्विंटल बेचती है, व्यापारी १५० रुपए क्विंटल तक बेच सकते हैं ब्लैक करने वाले २०० रुपए क्विंटल और उससे भी अधिक पर बेचते हैं, इन चार-चार भाइयों में बेचारा और बेसहारा किसान बुरी तरह दब कर मर गया है। मेरी बात सुनने के लिए नैतिक साहस चाहिए जो इस सरकार में नहीं है। कृषि उत्पादन की जितनी वस्तुयें हैं उनमें तथा कल कारखानों में बनने वाली वस्तुओं के मूल्यों में एक सन्तुलन और समन्वय होना चाहिए। यह नहीं हो सकता है कि कपास सस्ती हो जायेगी और कपड़ा महंगा बिकेगा यह नहीं हो सकता है कि गन्ना सस्ता हो जायेगा और चीनी महंगी बिकेगी। जब तक यह चीज रहेगी तब तक किसान नहीं उठ सकता है। खेती में जो लोग लगे हैं उनको कीमत ज्यादा देनी पड़ती है। दो भावों से काम नहीं चलेगा। कृषि उत्पादन की कीमतों में और कारखानों की चीजों में एक सन्तुलन और समन्वय होना चाहिए। मान्यवर, मुझे १० मिनट दे दीजिए।

श्री अधिष्ठाता––

आपको अन्त में भी समय मिलेगा। आप एक घंटा से ज्यादा बोल चुके हैं।

श्री कल्याण सिंह––

मान्यवर मुझे १० मिनट दे दीजिए।

श्री अधिष्ठाता––

ठीक है।

श्री कल्याण सिंह––

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने एक बात कही कि भूमि में भिन्नता है, जलवायु में भिन्नता है। अतः मेरा सुझाव है कि हमें प्रदेश ६ कृषि इकाइयों में बांट देना चाहिए––पूर्वी, मध्य, पश्चिम, पर्वतीय, तराई और बुन्देलखंड इन स्थानों परजलवायु, भूमि की किस्म,

[श्री कल्याण सिंह]

और उसमें कौन सी खाद की आवश्यकता है भूमि की आवश्यकतायें क्या हैं उसकी रिसर्च की जानी चाहिए और वहां पर रिसर्च सेंटर खोले जाने चाहिए।

मान्यवर उसी सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश की सरकार को केन्द्र की सरकार से मांग करना चाहिए कि इस तरह की योजना चालू करने में आर्थिक सहायता दे। कृषि रिसर्च का भी समुचित ध्यान देना चाहिए उसमें प्लान्ट प्रोटेक्शन की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक चीज और करनी होगी, कृषि से सम्बन्धित बिजली सिंचाई सहकारिता, खाद ऋण प्रदान करने आदि की जो एजेंसियां हैं इन सब में समन्वय करने के लिये एरिया डेवलपमेंट अथारिटी की अविलम्ब स्थापना की जाय।

अब मैं पशुपालन के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। गाय का बड़ा महत्व माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बताया है। सच है। महत्व तो सरकार देती है लेकिन वह शाब्दिक बन कर रह जाता है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। पूरे देश का उत्तर प्रदेश में १४ प्रतिशत पशुधन है। १९६६ की पशुगणना के अनुसार ५,३७,३२,००० पशु हैं और उनसे वार्षिक आय १६३.३६ करोड़ है। अब मान्यवर जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि बड़ी सन्तोषजनक स्थिति है। पर मैंने पशुओं की संख्या और वार्षिक आय का हिसाब लगाकर देखा तो मालूम हुआ कि प्रतिवर्ष ३ रुपए ६९ पैसे प्रति पशु है आय। अर्थात् एक पैसा प्रति पशु प्रति दिन आय है। क्या हम इसको सन्तोषजनक कह सकते हैं। उसी तरह से मान्यवर, गोवंशीय पशुधन का इतना प्रतिशत नहीं बढ़ रहा है जितना महिषवंशीय पशुओं का बढ़ रहा है।

निम्नलिखित आंकड़े इसके प्रमाण हैं—

	गोवंशीय पशुधन की संख्या		महिषवंशीय पशुधन की संख्या
१९५१	२३५.१३ लाख	..	९२.५० लाख
१९५६	२३०.२२ लाख	..	९७.९८ लाख
१९६१	२६२.८४ लाख	..	१०९.७६ लाख
१९६६	२६१.२० लाख	..	११४.२५ लाख
१९७१	२५९.९२ लाख	..	११९.३८ लाख

इस प्रकार आप देखें कि गायों का कितना कम विकास किया गया है। केवल ४७ प्रतिशत दूध का उत्पादन गायों से हो रहा है और ६३ प्रतिशत भैंसों से हो रहा है। निष्कर्ष यह निकला कि जो गायों का विकास किया जाना चाहिए था, पौष्टिक आहार की व्यवस्था करनी चाहिए थी वह हम नहीं कर पाये हैं। यही कारण है कि आज अपने प्रदेश में दूध की कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए अच्छे सांड़ मंगाये जायं, क्रास ब्रीड की व्यवस्था की जाय। विशेषज्ञों का कहना है कि गायों का क्रास ब्रीड होने से दूध की मात्रा १० गुनी हो जायगी। परन्तु सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया। हमारे यहां २३ विदेशी सांड़ मंगा कर कानपुर, मेरठ, हल्द्वानी आदि स्थानों पर रखे गये हैं। प्रदेश में क्रास ब्रीडिंग्स के सेंटर्स और अधिक खोले जाने चाहिए ताकि गायों के दूध देने की क्षमता बढ़ सके। अल्मोड़ा में चारे के विकास के लिए कुछ अन्वेषण हो रहे हैं। एक दूसरे विशेषज्ञ का कहना है कि गाय का जो पौष्टिक पदार्थ है शीरा, उससे हम शराब न बनने दें। हम इसको गाय के भोजन के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल करें क्योंकि शीरा में अधिक कैलोरीन हैं। मान्यवर, अपने देश और प्रदेश के अन्दर दूध का उत्पादन इतना घट गया है कि लोगों को पौष्टिक पदार्थ नहीं मिल पा रहा है।

हमारे प्रदेश में केवल गेहूं का ही उत्पादन नहीं घटा है अपितु दाल का उत्पादन भी उतना नहीं हो पाया जितना अपेक्षित है। २४ अप्रैल, १९७४ को केन्द्रीय सरकार के कृषि राज्य मन्त्री श्रीमान, वी० पी० मौर्य साहब ने राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रति व्यक्ति १३७ ग्राम दूध मिला था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में ११५ रह गया। चौथी में ११२ रह गया। १९७३-७४ जो चल रहा है इसमें केवल ११० ग्राम रह गया है जब कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों तथा वैज्ञानिकों का कहना है कि एक मनुष्य के लिए पौष्टिक रूप में दूध की मात्रा मिलनी चाहिए और वह २१० ग्राम होनी चाहिए। परन्तु दूध की मात्रा गिरती चली जा रही है।

मैं फिर से इसलिए सरकार से आग्रह करता हूं कि गाय की ओर, उसके विकास करने की दृष्टि से उनको पौष्टिक आहार, पौष्टिक चारा देने की दृष्टि से यह सारी व्यवस्था सरकार की ओर से की जानी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपने इस कटौती के प्रस्ताव को रख रहा हूं और आशा है कि इस पर माननीय सदस्य गम्भीरता से विचार करेंगे और समर्थन करेंगे।

श्री महेश सिंह (जिला हरदोई)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो कृषि, पशुपालन, और मत्स्य पालन सम्बन्धित मांगें पेश की हैं, उनका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

माननीय सदस्य, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, के भाषण को मैंने बड़ी गौर से सुना वैसे तो उन्होंने बहुत सी मदों पर अपने सुझाव पेश किए, उद्योग पर, सिंचाई पर भी पर कृषि के सम्बन्ध में उन्होंने एक शंका व्यक्त की कि हमने जो अपने देश और प्रदेश में पंचवर्षीय योजनायें चलाईं वे कृषि के मामले में पूर्णतया असफल रहीं। वर्ष १९५० को आधार मानकर आप देखें कि उस समय जो प्रदेश और देश की स्थिति थी आज १९७४ में जो है, उसमें कितना फर्क है। बहुत ब्यौरे में न जाकर मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वही स्थिति होती तो हमारे प्रदेश में कम से कम ५० फीसदी मौतें हो गयी होतीं और लोग जिन्दा न रहते। खेती का उतना बड़ा दायरा है, उससे मिले-जुले इतने काम हैं कि उनकी ओर सरकार जितने कदम उठा रही है, अपने सीमित साधनों से, उससे अधिक क्या हो सकता था, मैं सोच नहीं सकता।

आज उत्तर प्रदेश के आंकड़ों का मुकाबला हरियाणा और पंजाब से किया जाता है जो हमारे प्रदेश से मिले हुए हैं। लेकिन हमारे प्रदेश से बिहार और मध्य प्रदेश भी मिले हुए हैं, उनसे भी मुकाबला किया जा सकता है। दूसरे हरियाणा से मिले हुए हमारे बहुत से जिले, जैसे मेरठ, मुजफ्फरनगर और बुलन्दशहर आदि हैं, वहां की पैदावार उतनी ही ज्यादा है जितनी पंजाब और हरियाणा की है। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि मुजफ्फरनगर की तो उनसे भी ज्यादा है। केवल देवरिया, बुन्देलखंड, आदि जब मिल जाते हैं, तब वह स्थिति एक सी नहीं रह जाती है और उससे प्रदेश के आंकड़ों में कुछ फर्क आ जाता है।

जैसा माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा उत्तर प्रदेश में जहां तक लैन्ड रिफार्म्स का सवाल है, जिसके आधार पर खेती की तरक्की हो सकती है, उसमें जमींदारी उन्मूलन, चकबन्दी और भूमि संरक्षण की योजनाओं की हमने पहल की है। और इन सबमें हम देश में अग्रणी रहे हैं। आज भी देश की जो १८ प्रतिशत खाद्यान्नों की पैदावार है, वह उत्तर

[श्री महेश सिंह]

प्रदेश से ही मिलती है। गन्ना, तिल्हन आदि की पैदावार में यह प्रदेश पूरे भारत में अग्रणी है। जब माननीय सदस्य अपना भाषण दे रहे थे तो मैं यह सोच रहा था कि वे कुछ ऐसे सुझाव देंगे, जिनका पालन करने से हम इस स्थिति को बदल सकेंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारी ग्रोथ रेट कम रही है। पहले भी ५ प्रतिशत के हिसाब से हमारी ग्रोथ रेट का जो लक्ष्य रखा था वह सफल हुआ है और हमारी खेती में जो क्षमता है, वह बराबर बढ़ती रही है। यह बात अलग है कि कभी-कभी बाढ़ आ गयी, सूखा पड़ गया या पाला पड़ गया तो प्रोडक्शन कभी कम हो गया। यह हमारे देश के लिए ही नहीं अपितु जितने भी विकसित से विकसित देश हैं उनमें भी यह स्थिति आती रहती है। उनकी खाद्यान्न की उपज घट जाती है। अमेरिका में भी घटी है। जिस ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं, सरकार प्रयत्नशील है और उसकी जितनी हम सराहना करें,वह कम है। क्योंकि हमारी जो दिक्कतें हैं खेती के संबंध में वह कोई अन्दरूनी ही नहीं, कुछ बाहर से भी पैदा होती हैं।

फर्टिलाइजर में कुछ ऐसे रसायन हैं, जैसे गेप्था है, जो बाहर से मंगाने पड़ते हैं और जिनके भाव भी अधिक हैं और मंगाने में भी दिक्कत है। लेकिन इन समस्याओं को देखते हुए क्या विकल्प है इसके विषय में वह कुछ बतायेंगे यह मैं उम्मीद करता था। मैं जोर देना चाहता हूं कि जब फर्टिलाइजर की दिक्कत है तो उसका विकल्प दो बातें हो सकती हैं--- आर्गेनिक खाद, यानी हरी खाद या कम्पोस्ट।

कम्पोस्ट के विषय में तो जितना हो रहा है उससे थोड़ा ही फर्क पड़ सकता है, लेकिन हरी खाद के विषय में काफी काम हो सकता है। जो १२ लाख हेक्टेयर में, ८ लाख हेक्टेयर से बढ़ा कर हरी खाद पैदा करने की योजना है वह ठीक है, लेकिन मुझे आशंका है कि हरी खाद का बीज इतना नहीं है जितना कि हम बढ़ाना चाहते हैं। यानी सनई और ढैंचा का बीज बहुत कम है। इस कमी को कैसे पूरा करें? तो 'बेहया' या सदा-बहार जिसको मद्रास में सिवरमन कहते हैं वह इतने बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में और इतनी जल्दी पैदा होती है कि उसके पत्ते और मुलायम डंठल हरी खाद का अच्छा काम कर सकते हैं। और धान, पेडी, में तो हरी खाद काफी मात्रा में कारगर होती है।

श्री अधिष्ठाता---

मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वक्ता महोदय के सामने आप न खड़े हों। माननीय काशीनाथ जी, बहुधा यह असावधानी होती है, आप जैसे लोगों से नहीं होनी चाहिए.....ठीक है, आप अपना स्थान ग्रहण करें। सदन में शान्ति रखें।

श्री महेश सिंह---

मान्यवर, स्वयं किसान अपनी बातें रखें कैसे? उनके लिए हमें सोचना होगा। छोटा किसान अकेले अपनी तरक्की नहीं कर सकता। यदि हम उनको थोड़ा खाद दे दें तो अलग अलग करके तो काम कर नहीं सकते हैं और मेरा विचार है कि उनको ज्वाइंटली काम करने की आदत दिलाई जाय और संगठित किया जाय। यह योजना ज्वाइंट फार्मिंग और कोआपरेटिव बेसिस की बहुत पहले रखी गयी थी और पं० नेहरू ने इस पर बहुत बल दिया था। यह बहुत अच्छी योजना थी। शुरू में जो दिक्कतें आयीं उनको हमने पार नहीं किया और इन योजनाओं पर हमने बल नहीं दिया (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, ५ मिनट का समय दे दें।

श्री अधिष्ठाता---

मैं विवश हूं, २ मिनट से ज्यादा नहीं।

श्री महेश सिंह---

मैं पशुपालन पर यह कहना चाहता हूं कि पशुपालन में जो हमारा विभाग है उस पर उतना बल नहीं है जितना होना चाहिये और उधर हमारा ध्यान इसलिये नहीं गया जबकि पशुपालन का तो अलग मंत्रालय होना चाहिए क्योंकि जब जेल और वन मंत्री हैं तो पशु मंत्री भी होना चाहिये था, तो इस लिये ध्यान नहीं गया कि रुपये की कमी थी। लेकिन बहुत सारा रुपया तो अपने इंटरनल रिसोर्सेज से पैदा किया जा सकता है।

मैंने मुख्य मंत्री जी के सामने रखा था कि पशु हाट और मेले, ४५३ यहां पर पशु बाजार हैं और १५१ मेले हैं। एक एक मेले से ४–४, ५–५ लाख आमदनी है तो ४–५ करोड़ रुपया तो मार्केट रेगूलेट न होने से, एक तरफ तो किसान का नुकसान है यानी बेचने वाले का भी नुकसान है और खरीदने वाले का भी नुकसान है और बिचौलिया बहुत फायदे में रहता है और गंदगी और बीमारी भी सब फैलती है। तो ४–५ करोड़ रुपया इंटरनल रिसोर्सेज से हाट और मेलों से सरकार द्वारा नियंत्रित होने से मिल सकता है। इनको लिया जाय।

मुझे विशेष दिलचस्पी फलों से है। फलों पर उतना जोर नहीं था, अब इसका डायरेक्टोरेट बन गया है। और मैं समझता हूं कि जो हमारे पहाड़ हैं जिनकी तरक्की का और कोई जरिया नहीं उनकी ओर और अधिक ध्यान दिया जायगा, फलों की पैदावार पर और विशेष कर ट्रांसपोर्ट पर, क्योंकि वह ऐसी समस्या है कि जब कभी हम लोग पहाड़ पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर जो फल के उत्पादक हैं उनको आधी रकम भी नहीं मिल पाती है और ट्रांसपोर्ट वाले दिक्कतें डाल कर उनके रास्ते में दिक्कतें डालते हैं।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया।

*श्री मुलतान सिंह (जिला आगरा)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय कल्याण सिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्तावों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह देश कृषि प्रधान देश है। हमारा मुख्य व्यवसाय खेती है लेकिन खेती में जितनी उन्नति होनी चाहिये थी वह नहीं हुई। उसका मुख्य कारण यह है कि हमारी बदकिस्मती से इस प्रदेश और प्रदेश के जो कर्णधार पिछले २६ सालों से रहे हैं वे कृषक नहीं रहे। इसी प्रदेश में हमारे मुख्य मंत्री पहले पंत जी हुये, उसके बाद सम्पूर्णानन्द जी हुये और उसके बाद गुप्ता जी हुये, और आज जो मुख्य मंत्री सामने बैठे हुये हैं उनमें से शायद किसी के पास एक फुट खेती नहीं थी। मेरा खयाल तो यह है कि खेती के विषय में ये लोग कुछ नहीं जानते हैं। इतना ही नहीं, हमारे देश में दिल्ली में जो कृषि-मंत्री रहे इनको बाजरे और गेहूं के बाल की भी तमीज नहीं थी। प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन हमारी दिल्ली में ऐसे रहे हैं कि जिनको पड़िया और बछिया का पता नहीं है। तो फिर ये देश में खेती की उन्नति कैसे कर सकते हैं। सही बात तो यह है कि बाजरे की बाल और गेहूं की बाल तो छोड़ दीजिये, जौ और गेहूं की बाल में क्या फर्क है इसका पता शायद हमारे मुख्य मंत्री को न हो, न नेहरू जी को पता और न हमारी इंदिरा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुलतान सिंह]

जो जो कि प्रधान मंत्री मौजूद हैं उनको पता हो कि बछड़ा और बछिया में क्या फर्क है और इनको पड़िया और बछिया के फर्क का पता नहीं चला और शायद इसी कारण हमारे मुख्य मंत्री जी ने आज ही कहा कि भैंस की अच्छी बछिया नहीं होतीं। इसके दो ही कारण हो सकते हैं कि या तो इनको मालूम नहीं है कि भैंस बछिया नहीं पड़िया देती है या फिर बछिया ही याद रही जिससे इनकी सरकार बनी हुई है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

बहुत देर लगेगी आपको समझाने में।

श्री मुलतान सिंह---

दूसरी बात यह कहनी है कि ऐग्रीकल्चर विभाग आज प्लानिंग विभाग के अन्दर गिरवी रख दिया गया है। आज सरकार कहती है कि ८० परसेंट तो कृषि विभाग की जिम्मेदारी है और २० परसेंट प्लानिंग की है लेकिन सही बात यह है कि बी० डी० ओ० ओनली बी०ए० और वह भी थर्ड डिवीजन हैं और उनके अन्डर में एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर है जिसके लिये एम० एस-सी० एग्रीकल्चर होना लाजिमी है, इसी तरह से डी० ओ० है उसके लिये एम० एस-सी० एग्रीकल्चर होना जरूरी है और डी० पी० ओ० है उनमें से बहुत से अब भी थर्ड डिवीजन हैं। आज दस साल से यह सरकार कोशिश कर रही है कि बी० डी० ओ० और डी० पी० ओ० दोनों ही एग्रीकल्चर विभाग के आदमी होने चाहिये लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। सरकारी कारें १८ प्लानिंग के पास हमारे जिले आगरे में हैं तो कृषि विभाग को एक कार वह भी अभी दी गयी है, पहले वह भी नहीं थी।

कृषि की जिम्मेदारी जब कृषि विभाग और उसके मंत्री के पास है तो क्या कारण है कि सिंचाई विभाग और कोआपरेटिव विभाग कोई भी उसका साथ नहीं देता। बीसियों सालों से यह बात आती है और आपकी पार्टी के मंत्री रहे हैं और इधर भी कुछ बैठे हुये हैं कि सिंचाई विभाग, प्लानिंग और कृषि विभाग का मंत्रालय एक होना चाहिये लेकिन कुनबापरस्ती में वह चीज नहीं हो पाती। मुख्य मंत्री जी बहुत मंत्री आपको बनाने हैं इसलिये अलग अलग रखना जरूरी है लेकिन मेरा सुझाव है कि आप डिप्टी मिनिस्टर और राज्य मंत्री चाहे जितने रखते लेकिन मंत्री इन तीनों विभागों का एक ही होना चाहिये। क्योंकि इधर तो पानी नहीं पहुंचा और इधर बीज नहीं पहुंचा, उधर खाद नहीं पहुंची, इधर रुपया नहीं पहुंचा। कल ही मीटिंग हमारे यहां इस बात पर हुई है कि सिंचाई विभाग अभी तैयार नहीं है कि ऐग्रीकल्चर के डिप्टी डायरेक्टर या डी० ए० ओ० से मिल कर सिंचाई और खेती का रोस्टर बनाया जाय। दोनों मिल कर स्कीम नहीं बनाते। वह गेहूं बोवा दे तो इधर पानी नहीं देते, वह बोवा देता जौ तो पानी देने को तैयार हो जाते। तो खेती का काम ऐग्रीकल्चर विभाग के ही अधीन होना चाहिये और एग्रीकल्चर विभाग को बिल्कुल स्वतंत्र हो जाना चाहिये, उसका प्लानिंग से कोई मतलब नहीं रहना चाहिये बरना खेती में कोई उन्नति नहीं हो सकती।

मेरा खयाल है कि हमारे प्रदेश में सवा करोड़ एकड़ में गेहूं बोया जाता है। आज किसान के जिस सवा ६ एकड़ का आपने जिक्र किया, मैं तो कहूंगा कि आधा एकड़ वाले के लिये भी दाना छोड़िये। अगर इस सरकार में अक्ल और दिमाग होता---वह तो जो देहात में कहा करते हैं कि सरकार की अक्ल तो जानवर चर गये---तो एक एकड़ पर भी लेवी लगाते और आधा क्विंटल प्रति एकड़ लेते तब भी आपके पास ५ लाख टन गल्ला आ सकता था और उसके दाम अच्छे दे देते। अब आपका पेट्रोल जला कर, अफसरों का टी० ए० देकर डेढ़, दो सौ रुपये प्रति क्विंटल गेहूं पड़ेगा। उस वक्त आप सवा सौ रुपये ही दे देते।

रात दिन यह कहा जाता है कि किसान की उन्नति हुई है, बड़ा मालदार हो गया है, वह घड़ी बांधता है। मैं एक मिसाल दूं आपको। मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। हमारे गांव के एक लड़के की शादी मथुरा में हुई और मथुरा में दही पूड़ी खाने का रिवाज है, उस साइड में है नहीं। तो दही पूड़ी खाने के लिये जैसे ही लड़का घर पर आया वैसे ही उसकी सालियों ने कहा कि चलो जीजा यमुना में नहला लावें। सावन का महीना था। जीजा तैयार हो गये। यमुना में एक, दो डुबकी लगायीं और फिर बैठ गये। साली तगड़ी, जीजा कमजोर किसान था। बाद में जीजा को निकाला गया तो पेट में पानी भर गया था। पानी बाहर निकाला गया तो साली कहने लगी जीजा हंसते तो खूब हैं, बोलते नहीं हैं। जीजा मर चुका था और दांत बाहर को कर दिया था। तो माननीय मुख्य मंत्री जी छोटा किसान जो है वह मर चुका है। उसकी तरफ ध्यान दीजिये नहीं तो और मर जायगा और वह मरा तो सारा देश चला जायगा, बचेगा नहीं। (लाल बत्ती होने पर) मुझे ५ मिनट और दे दीजिये।

श्री अधिष्ठाता--

अभी २ मिनट हैं आपके।

श्री मुलतान सिंह--

आपके पूरे उत्तर प्रदेश में शंकर बाजरा का बीज पैदा नहीं होता। एक एजेन्सी खोल दी आपने एन० एस० सी० जिसमें सेन्ट्रल सरकार का और आपका भी हाथ है। दूसरा पंतनगर है। इन दोनों के ही बीज पर किसी का विश्वास नहीं है। अगर विश्वास है तो कानपुर रिसर्च कालेज पर है। लेकिन उसके पास न मालूम जमीन कम है या सरकार पैसा नहीं देती, यह वहां के अधिकारियों को बढ़ने नहीं देती, उस बीज को नहीं होने देती। संकर बाजरा का बीज आज मद्रास और मध्य प्रदेश से आ रहा है। जो किसान को मिला वह भी नहीं देते। मैं आपको एक मिसाल दूं। आपसे पहले सफेद चद्दर का कोटा रहट बनाने के लिये किसानों को दिया गया था। ऐसे परमिट ५२ थे और ४० रुपये मन दी जाती थी। ब्लैक में वह डेढ़ सौ रुपये मन मिलती थी। सारी टिन वे ब्लैक में बेच कर खा गये, एक भी बालटी उसकी नहीं बनी। ३६ कोटे इस प्रदेश में दिये गये, मगर एक भी कोटे का सही इस्तेमाल नहीं हुआ।

मेरे क्षेत्र में दो नहरें हैं। उनका हाल यह है कि उनमें कभी पानी नहीं चलता। लेकिन उस क्षेत्र के लोगों से आबपाशी ली जा रही है। उन नहरों की हालत यह है कि कभी सफाई नहीं होती। इस कारण उनके द्वारा पानी खेतों तक पहुंचता ही नहीं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

अब आप कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री मुलतान सिंह--

बोर्ड आफ रेवीन्यू के बारे में एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि हमारे भी बाम्बे की तरह एक चलती फिरती तीन आदमियों की अदालत बना दी जाय जिसमें एक कमिश्नर रखा जाय, एक रिटायर्ड जज रखा जाय और एक व्यक्ति और रख दिया जाय जो मौके पर जाकर तुरन्त फैसला करे।

*श्री मानबहादुर सिंह (जिला गोंडा)—

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का अवसर प्रदान किया। कृषि को दो दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। पहला दृष्टिकोण उत्पादन का है और दूसरा सामाजिक न्याय का है। सामाजिक न्याय के विषय में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा काफी संकेत किया जा चुका है, मैं उस पर ज्यादा नहीं कहना चाहता।

कृषि बजट को मैं उत्पादन की दृष्टि से देखता हूं और उसमें जो बाधायें हैं उनकी ओर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यह बात सर्व विदित है कि खेती की पैदावार जो बढ़ी है उसका मुख्य कारण है हाई ईल्डिग वेराइटी प्रोग्राम। इसमें देखना यह है कि इसके लिये जो सबसे मुख्य जरूरत की चीजे हैं बीज, फर्टीलाइजर, सिंचाई आदि क्या वे उचित मात्रा में उपलब्ध हैं? अगर नहीं है तो उसका विकल्प क्या है? सिंचाई में भी केवल २८ प्रतिशत जमीन ही हमारे, प्रदेश में सिंचित हो पायी है और बिजली के संकट के कारण यह और भी कम हो गयी है। अगर विद्युत बोर्ड एफीशियेन्सी के साथ काम करे तो जो लास इन्एफीसियेन्सी के कारण होता है वह न हो सके।

एक बात मैं स्माल फार्मर्स के बारे में कहना चाहता हूं। ये लोग ग्रीन रिवोलूशन की तहत में नहीं आ सके हैं। इस ओर हमें गम्भीरता के साथ विचार कर आवश्यक कदम उठाने चाहिये ताकि इनकी प्रति एकड़ पैदावार बढ़ाई जा सके। कुछ दिन पहले की बात है कि दिल्ली के अखबार में देखा था कि हरियाणा में १ लाख हेक्टेयर जमीन जिस पर गेहूं की फसल होती थी, दूसरी फसल में आ गयी है। इस बात का पता लगाना चाहिये कि इसका कारण क्या था? क्योंकि अगर गेहूं की जगह और फसल बोयी जायेगी तो जो यह हमारी हाई ईल्डिग वेरायटीज की योजना है वह फेल हो जायेगी। क्योंकि यह जो नई वेराईटीज निकाली गयीं हैं वह गेहूं में सबसे ज्यादा कामयाब हुयी हैं और उन्होंने ही हरित क्रांति को मजबूत आधार दिया है। इसके अलावा जो दूसरी क्राप्स के बीज निकाले गये हैं। वह इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुये हैं। इस छोटी सी बात को कह कर मैं दूसरी बात को लेता हूं।

यह जो पशुपालन है और जैसा अभी मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इसका कृषि से बहुत अधिक संबंध है। मैं यह कहने में कोई संकोच नहीं करूंगा कि जहां तक पशुपालन और फिशरीज का संबंध है, उनकी कार्य क्षमता और उनकी कार्य कुशलता बहुत मानों में संदिग्ध है। मैं यह कहता हूं कि यह इफैक्टिकली फंक्शन नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में कुछ तथ्यों की ओर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो स्टेट मेकेनाइज्ड फार्म हैं, मेरे ख्याल से सन् ४८ से वह चल रहे है लेकिन आज तक उनका अगर घाटा देखा जाय तो वह करीब-करीब ३ करोड़ का है। सन् १९७१-७२ में यह करीब २० लाख का था। ऐसा भी हुआ कि कुछ सालों में यह घाटा कम हुआ है। १९६१-६२ में केवल ५० हजार का ही घाटा था तो इस घाटे के बढ़ने का क्या कारण है इसकी जांच जरूर होनी चाहिये।

दूसरी बात पशुपालन विभाग में यह क्रास ब्रीडिंग की योजना तो है, पर यह विचार नहीं किया गया है कि जो उनकी डिजीजेज हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाय। जो यह डिजीज फूट एंड माउथ की है, पहली बात तो यह है कि उसकी दवा बहुत कास्टली है और दूसरे उसको प्राइवेट कम्पनी में मैन्यूफैक्चर करती हैं। यह दवा इतनी कास्टली होती है कि गरीब के पास उसको खरीदने का पैसा नहीं है। तो सरकार को चाहिये था कि इस तरफ रिसर्च करवाती और इसकी कोई सस्ती दवा निकलवाती।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी बात इस क्रास ब्रीडिंग प्रोग्राम से हमारे मिल्क की यील्ड तो बढ़ी है, खास तौर से गाय में दूध और उसकी नस्ल अच्छी हुयी है। पर जो यह भैंस का दूध है उससे गाय के दूध को सस्ते दामों में खरीदा जाता है। सरकार को यह नहीं करना चाहिये।

दूसरी बात जो यह पशुचिकित्सालय हैं इनको गांवों में पूरी क्षमता से कार्य करना चाहिये और इनमें जो ड्रग्स हैं और जो अन्य चीजें हैं, उनमें मौजूद हों इस तरफ ध्यान देना चाहिये।

इसी तरह से फिशरीज की बात आती है। उत्तर प्रदेश में ११.५५ लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र हैं। इनसे सरकार को काफी आमदनी हो सकती थी परन्तु जो इनका बजट है और जो इन को राजस्व मिलता है बजट का आधार होता है। अगर इस ओर ध्यान दिया जाय तो इसमें काफी प्रगति हो सकती है और यह भी एक अर्निंग डिपार्टमेन्ट हो सकता है।

दूसरी बात मछलियों की है। यह कहा गया है कि मछुओं की कोआपरेटिव बनायी जायं। यह ठीक है। आज कांट्रैक्टर्स को ठेका दिया जाता है। कांट्रक्टर्स कम पैसों में लेकर बहुत पैसा कमाते हैं और मछलियों को आसाम, वेस्ट बंगाल में भेजते हैं और पैसा कमाते हैं। अगर मछुओं की कोआपरेटिव बनायी जाये, सरकार उनको प्रोत्साहन दे तो फायदा ज्यादा हो सकता है और मछुओं को भी लाभ होगा।

इसलिय मेरा सुझाव है कि पशुपालन पर एक कमेटी बैठाकर के जो उसमें कमियां हैं, जो गलतियां हैं, जिसकी वजह से यह सक्षम नहीं हो पा रहा है, जांच की जाय और रिपोर्ट दी जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री तेज सिंह (जिला बुलन्दशहर)––

अधिष्ठाता महोदय, आपने कटौती के प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं। खेती की जमीन में सुधार के लिये मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस तरफ ले जाता हूं कि खेती की जमीन आज भी बहुत ऊंची-नीची है। इसके लिये आप एक लम्बी रकम मंजूर कराने के लिये यहां बैठे हैं तो मेरा सुझाव है कि हर ब्लाक में एक बुलडोजर होना चाहिये जो ऊंची-नीची जमीन को हमवार किया करे। ऐसा करने से पैदावार बढ़ेगी।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि ग्राम सभाओं की जो ऊसर जमीन है उसमें बबूल के पेड़ लगाये जाने चाहिये। इसके लिये प्रधानों को अनुदान दिया जाय और वन विभाग से पेड़ दिलाये जायं। वृक्षों की कमी के कारण तीन वर्ष से बरसात ठीक से नहीं हो रही है इस कारण भी पैदावार कम है।

खाद का मामला ऐसा है कि जिस खेत में एक बार पड़ जाती है उसमें बिना खाद के पैदावार बहुत कम होती है। अगर खाद बिल्कुल न पड़े तो पैदावार अधिक तो नहीं होगी लेकिन थोड़ी हो जाती है परन्तु एक बार खाद पड़ जाने पर दुबारा खाद न पड़ने पर पैदावार बहुत कम हो जाती है। इसलिये मेरा सुझाव है कि हरी खाद बढ़ाने के लिये दालों को बढ़ाया जाय और जो जायद फसल है उसमें तम्बाकू की पैदावार बढ़ाई जाय। इससे जमीन की शक्ति बढ़ती है और जहां तम्बाकू रखी हो वहां पर अनाज रख देने पर कीड़ा

[श्री तेज सिंह]

नहीं लगता है। मुख्य मंत्री जी सुझाव दें कि तम्बाकू से टैक्स हटाया जाय। इससे पैसा सरकार को मिलता भी नहीं है। सिर्फ इंस्सपेक्टर का पेट पलता है। तम्बाकू पैदा करने से खेत की उर्वरक शक्ति बढ़ेगी और देश को विदेशी मुद्रा मिल सकेगी। इसलिये इससे टैक्स हटाया जाय।

जायद की फसल में मूंग नं० १ को खासतौर से बोया जाय। उससे भी जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ती है और दो-तीन मन बीघा मूंग भी मिल जाती है। इसी के साथ में आपका ध्यान मथुरा डिवीजन मांड़ ब्रांच के ८४ गांवों की ओर ले जाना चाहता हूं। इनको पहले नहर से पानी मिलता था लेकिन सन् ५७ से हालत खराब है। मैं चाहता हूं कि सन् ४८ या ५० की हालत में उन गांवों को फिर से लाया जाय। वहां पर कुयें सूख गये हैं और रेगिस्तान बनता जा रहा है। वहां पर फसल में दीमक लगने लगी है। वहां पर ट्यूबवेल सरकारी हो या प्राइवेट आधा या एक तिहाई पानी ही देने लगे हैं। तो इन ८४ गांवों की हालत को ठीक किया जाय। यमुना नदी में कटाव बहुत होता है। यदि उस पर पैसा खर्च किया जाय तो कुछ जमीन मिल सकती है। हरियाना ने कई जगह बांध बनवा दिये हैं इसलिये हमारी ओर कटान बढ़ रहे हैं। तो आप भी अपनी रक्षा के लिये, हरियाणा की तरफ बढ़ने का विचार से नहीं, कम से कम अपने गांवों को बचाने के लिये अपनी साइड में यमुना पर बांध लगायें जिससे जमुना आपकी तरफ को न दौड़े। जो १७ गांव हमें मिले हैं और पांच गांव की जमीन मिली है तो दोनों प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों ने तय किया और केन्द्रीय गृह मंत्री को माध्यम बनाया। किन्तु हरियाणा जमुना पर बराबर पाथा लगाता रहा जो बांध बना था वह मुख्य मंत्री की कृपा न कह कर मैं यह कहूंगा कि उसे जमुना ने तोड़ दिया है। जमुना में पानी आ गया तो वह बांध टूट गया और ५० गांव बहने से बच गये वरना तो असेम्बली में हंगामा हुआ होता अगर यह ५० गांव बह गये होते। हिंडन और जमुना के बीच में ५ मील चौड़ा दुआबा है। दिल्ली निगम का गंदा पानी आता है इस दुआब में एक नहर गंदे पानी की निकाली जाय जिससे कि बाकी का स्वच्छ पानी मिल सके।

एक बात यह कहना चाहता हूं कि कृषि के, खास तौर से ट्रैक्टर्स के, सस्ते औजार दिलाने चाहिये। जो ट्रैक्टर्स आप दिलाते हैं उनके छोटे-छोटे पुर्जे नहीं मिल पाते हैं और ब्लैक में मिलते हैं। किसान लम्बी रकम कर्ज लेकर ट्रैक्टर खरीदने में लगाता है और जब उसे औजार उपलब्ध नहीं होते तो बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाता है।

अब मैं आपका ध्यान पशुपालन की तरफ ले जाता हूं। पशुपालन के लिए कैटिल फीड के कारखाने प्रदेश में होने आवश्यक हैं। जैसे कि आप मनुष्य को विटामिन ए बी सी देते हैं उसी तरह से पशुओं के लिये विटेमिन्स जरूरी है जिससे कि उनकी अच्छी तन्दुरुस्ती हो और उनकी उम्र बढ़े। इस देश का नागरिक मवेशी को ही धन कहता है। आज उसकी हालत क्या है। हम उसमें पीछे चले गये हैं। उसको हम महसूस नहीं करते। खेती के काम में तो हम महसूस करते हैं क्योंकि मनुष्य को अन्न खाने को नहीं मिल रहा। लेकिन आज क्या मनुष्य को दूध दही मिलता है? इस तरफ भी आप को ध्यान देना चाहिये। हर ग्राम सभा में मवेशियों के पीने के लिये साफ पानी की व्यवस्था होनी चाहिये। पशु को हरा चारा और साफ पानी मिले जिससे उसकी तन्दुरुस्ती अच्छी रह सके। इसके साथ ही हर अदालती पंचायत पर मवेशियों के लिये अस्पताल होने चाहिये जिससे उनकी देख-रेख हो सके। नस्ल सुधारने के लिये आपका जो इंतजाम है उतना बेहतर नहीं है जितना कि होना चाहिये। मुझे कहना है चाहे हिन्दू हो या मुसलमान या ईसाई। हम यहां पैदा हुए हैं, हमारा सम्बन्ध गाय से गहरा है। गांधी जी ने बिना किसी हिचकिचाहट से कहा कि गऊ की रक्षा होनी चाहिये। आपको भी गाय की रक्षा के लिये सोचना है। मैं आशा

करता हूं कि आप इस पर विचार करेंगे। बूढ़ी और जवान गऊओं की क्या हालत है, वे कितना दूध देती हैं। दूध कितना दे सकती हैं, कितना दे रही हैं, दे पायेंगी। तो दूध मिले, बछड़ा मिले, किसान सुखी हो, गाय की सेवा से अन्न उतना हो जाय, जितनी आवश्यकता है, उसके लिये आपका ध्यान उधर जाना जरूरी है।

श्री श्रीश चन्द्र (जिला हरदोई)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कृषि अनुदान प्रस्तुत किया है। मैं उसके पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, कृषि का सम्बन्ध जमीन, पानी, कृषि-यंत्र, खाद, बीज, टेक्निकल ऐडवाइज और लेबर आदि से। उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है जिसमें ८६ प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। जबकि देश में 68.6 प्रतिशत कृषि में लगे हुए व्यक्तियों की राष्ट्रीय आय ५० प्रतिशत और बाकी जो लोग इण्डस्ट्री आदि में लगे हैं, उनकी आय शेष ५० प्रतिशत है। हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इन्कम दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में कम है। हिन्दुस्तान की जनसंख्या की बढ़ोत्तरी १६.७ प्रतिशत है जबकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बढ़ोत्तरी १९.८ प्रतिशत है। हिन्दुस्तान में सिंचाई का स्थान ३५ प्रतिशत है और उत्तर प्रदेश में केवल २८ प्रतिशत है।

हमारी जो पंचवर्षीय योजना है, उसमें सिंचाई का लक्ष्य ४१ प्रतिशत रखा गया है। जो सीरियल्स (खाद्यान्न) की बात है, उसमें १९७०–७१ में जो हरित क्रांति हुई उसके बाद यह स्थिति गिरी। प्रदेश में १९७४–७५ में २१० लाख टन सीरियल्स पैदा करने की बात है और उम्मीद है कि १९७८–७९ तक २६० लाख टन तक पैदावार पहुंच जायेगी। बिजली की उपलब्धता भी कृषि से सम्बद्ध है, क्योंकि बगैर बिजली के सिंचाई नहीं हो सकती। इसलिये बिजली के लिये कई योजनायें चलानी हैं। यमुना योजना, ओवरा तापीय योजना, टेहरी योजना आदि योजनायें जब सफल हो जायेंगी तो बिजली के मामले में भी हम सक्षम हो सकेंगे और उद्योग और कृषि को उचित मात्रा में बिजली दी जा सकेगी।

एक बात, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी को सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं। जो हमारा ६.१८ करोड़ किलोवाट बिजली का उत्पादन है, उसमें केवल ७० लाख किलोवाट कृषि पर लगता है, जबकि उद्योग पर २,८४,००,००० किलोवाट खर्च होती है। यह उस हालत में है जबकि ८६ प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर है। विद्युत शक्ति का इतना कम खर्च कृषि पर होना मुनासिब नहीं मालूम होता। जो खेतों को पानी मिलता है बिजली के माध्यम से, वह बहुत ही कम है। उत्तर प्रदेश का जो बिजली का खर्च है वह पर कैपिटा ५७ किलोवाट है, जबकि हिन्दुस्तान का ९३ किलोवाट है। तो इन सब बातों को देखते हुए आवश्यकता इस बात की है कि प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये तथा अच्छी खेती हो इसके लिये हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री ने प्रयास किया है और सभी साधन जुटायें हैं ताकि बिजली और सिंचाई में अधिक उपलब्धि हो सके और प्रदेश आत्म निर्भर हो सके।

जिन प्रदेशों के लोग कृषि पर निर्भर करते हैं जब तक कि कृषकों को वहां लघु उद्योगों के साथ नहीं जोड़ा जायगा तब तक ग्रामीण अंचल की पर कैपिटा इन्कम नहीं बढ़ सकती और उन लघु उद्योगों में सरकार की ओर से सहायता मिलनी चाहिये। केवल शहर के रहने वालों की पर कैपिटा इन्कम बढ़ने से प्रदेश का पिछड़ापन दूर नहीं हो सकता। तकावी लोन पर ऋण की दर सरकार ने बढ़ा कर १२ परसेंट कर दी है। रेट आफ इंटरेस्ट उद्योगों

[श्री ग्रीशचन्द्र]

पर साढ़े ६ परसेंट है। तीन साल तक नये उद्योगों का सेल्स टैक्स माफ कर दिया जाता है लेकिन कृषि के लिये तकावी लोन १२ परसेंट के रेट आफ इंटरेस्ट पर दिया जाता है। सरकार इस ओर ध्यान देगी।

इसके अलावा रिक्लेमेशन आफ लैण्ड होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में जहां ३०० व्यक्तियों का भार प्रति किलोमीटर है वहां सारे देश में यह भार १८० व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या अधिक हो गई है। और उस बढ़ी हुई जनसंख्या के रोजगार व रोटी देने के लिये यह आवश्यक है कि रिक्लेमेशन आफ लैंड किया जाय और बिना सरकारी सहायता के वहन नहीं हो सकता। कृषि का बजट ज्यादा नहीं जब कि यह कृषि प्रधान देश है। उद्योगीकरण प्रदेशों तथा कृषि प्रधान प्रदेश के बजट में अन्तर होना चाहिये और कृषि प्रधान प्रदेश में अधिकांश धन कृषि की उन्नति में लगना चाहिये जिसके लिये सरकार की ओर से रिक्लेमेशन आफ लैंड होना चाहिये। खेती बढ़ेगी तो साथ-साथ इससेरोजगार भी बढ़ सकेगा और बेकारी भी दूर हो सकेगी।

सरकार कृषि योजनाओं में प्रोत्साहन हेतु खाद, कृषि यंत्रों में, सब्सिडी देती थी लेकिन अब यह सब्सिडी गायब हो गयी, कुछ नहीं देती। बहुत से काश्तकार ऐसे हैं जिनकी अनइकोनामिक होल्डिंग्स हैं और उनकी इकोनामिक बनाने के लिये सरकार की मदद की आवश्यकता होती है। यह बात सही है कि हरिजनों को भूमि दी गयी है लेकिन केवल इससे हरित क्रांति नहीं हो सकती जब तक कि उनको साधन नहीं दिये जाते ताकि भूमि को जोत सकें तथा पैदा कर सकें।

मैं दो बातें और कहूंगा। पहला सूचना विभाग जो है वह प्रदेश में प्रचार तथा प्रसार करता है। लेकिन उतना नहीं करता जितना आवश्यक है। हर काश्तकार को मालूम होना चाहिये कि नये-नये साधनों से क्या फायदा हो सकता है। दूसरा विरोधी दल की ओर से यह कहा गया कि अब केवल एक विकल्प रह गया है लाल क्रांति होने का।

मैं यह कहूंगा कि हमारा जो इकोनामिक प्रोग्राम है, जो नीति है और उसमें जो आस्था रखते हैं वे दूसरे दलों को छोड़ कर हमारे दल में आ रहे हैं क्योंकि उनका हमारे आर्थिक कार्यक्रम एवं नीतियों में विश्वास उत्पन्न हो गया है और लाल क्रांति में आश्यचर्य की बात है उन लोगों का विश्वास हो गया है जो प्रतिक्रियावादी हैं और इससे देश व प्रदेश का कल्याण नहीं हो सकता कटौती के प्रस्ताव को कोई विकल्प देना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं मुख्य मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)---

माननीय अधिष्ठाना महोदय, देश और प्रदेश की ज्वलन्त समस्या पर अपने विचार व्यक्त करने के लिये आपने जो समय दिया उसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत कृतज्ञ हूं। आजादी के २७ वर्ष के बाद भी हम प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या पर विचार करने के लिये बहस कर रहे हैं। इस देश और प्रदेश की खाद्य समस्या कृषि समस्या से जुड़ी हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस सदन में केवल इस मुल्क की जनता को रोटी देने का सवाल नहीं है बल्कि आज इस सरकार को, जनता को और सदन को यह निर्णय करना है कि हम आज अपने मुल्क की रक्षा करना चाहते हैं या नहीं क्योंकि हमारे देश की आजादी खाद्य समस्या से जुड़ी हुई है। सवाल इस बात का है कि जिस मुल्क की ७५-८५ प्रतिशत जनता केवल खेती पर लगी हो वह पी० एल० ४८० का मुंह देखता हो, विदेशों से खाद्य समस्या के समाधान हेतु सहायता चाहता हो उस मुल्क की आजादी कायम रहेगी या नहीं? पिछले वर्षों में हमें इस संबंध में कुछ कटु अनुभव भी हुए हैं।

मान्यवर, आपको मालूम होगा महरूम शास्त्री जी की अमरीकी विजिट इसीलिये कैंसिल की गयी थी कि हम वियतनाम के बारे में अपना कुछ रुख रखते थे। आज वे सारे साम्राज्यवादी मुल्क हमारे मुल्क की आजादी को दबा देना चाहते हैं अपने माफिक कर लेना चाहते हैं। उसका केवल मात्र कारण यही है कि आज हम अपनी जनता को समुचित रूप से खाना नहीं दे सकते हैं। क्या यह सरकार आज भी अपने वायदों को जो उसने आजादी के संघर्ष के दौरान किये थे, कि भूमि किसकी है, जो उसको जोतेगा–पूरा करने में समक्ष है? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक भी वे वायदे पूरे नहीं किये गये हैं। आज भी देहातों में भूमिहीन, खेतिहर मजदूर जो पसीने से खेत को सींचता है, अपना सब कुछ खेती पर न्योछावर कर देता है मुल्क की जनता के लिये गल्ला पैदा करता है, भूखा है।

सन् १९५२ से लेकर आजतक जितने भी भूमि सुधार के कार्य हुए हैं उनको लागू नहीं किया गया है। जोतने वालों के पास भूमि नहीं है और न ही सुधार के कार्यक्रमों का पालन किया गया है। हरिजनों को भूमि देने के लिये कई बार इस सदन में प्रश्न उठाये गये, कई विधेयक पारित किये गये लेकिन किसी का भी पालन नहीं किया गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि एक तरफ तो लाखों हाथ काम चाहते हैं और दूसरी ओर हजारों एकड़ जमीन बेकार पड़ी है, इसकी क्या वजह है?

हम आज भी खाद्य और खाद्यान्नों के लिये अपने को इतने कामयाब नहीं कर सके हैं जितना कि हमें करना चाहिये। इसकी उन्नति के लिये कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये। इसकी सफलता के लिये हमें भूमि, श्रम, खाद, पानी और आज के जमाने को देखते हुए उसको अभिनवीकरण तथा यंत्र प्रणाली के जरिये क्रांतिकारी तरीकों का लागू किया जाना बहुत आवश्यक है।

जहां तक भूमि का सवाल है अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि हम भूमि को बढ़ा नहीं सकते हैं और न भूमि की रचना ही की जा सकती है। यह सभी जानते हैं लेकिन यदि उसमें सुधार किया जाय तो उसकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। जैसे हालैंड, आस्ट्रेलिया और जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था जापान आदि देश जिनके पास हमारे मुल्क से भी कम जमीन थीं, कृषि योग्य नहीं थी वह देश आज हमें गल्ला देते हैं। हालैंड ऐसा छोटा सा मुल्क––उस मुल्क ने कृषि–सेना बनाई और आपको जानकर हैरत होगी कि उस कृषि-सेना के जरिये उस मुल्क ने समुद्र के पेट से हजारों एकड़ जमीन निकाली है और उसके जरिये वह सारी दुनियां को और हमारे देश को भी गल्ला देता है।

आस्ट्रेलिया जहा रेगिस्तान है, जहां हमारे भारत जैसी गंगा और यमुना जैसी नदियां नहीं हैं, वहां के लोग ट्यूबवेल बनाकर रेगिस्तान में खेती करते हैं। लेकिन बड़ी हैरत की बात यह है कि इतनी जमीन होते हुए भी, पानी की सुविधा होते हुए भी, आज हमारा मुल्क दूसरे मुल्कों पर निर्भर है। गल्ला तथा अन्य दूसरी चीजों के लिये। इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज २७ साल बाद भी अगर हमारे यहां की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार और हमारी सरकार यह संकल्प लेने के लिये तैयार हो, जो विचार-विमर्श करते हैं उनको युद्ध-स्तर पर सरकार लागू करने को तैयार हो तो भी कुछ हो सकता है।

मेरा सुझाव है कि जिस तरह से अभी हमारे गांवों में एक बहुत बड़ा हाहाकार मचा हुआ है। सरकार ने गल्ला लेवी वसूलने का अभियान चला रखा है। आज उत्तर प्रदेश में गेहूं

[श्री देव कुमार यादव]

रखना भी एक जुर्म है। हमारे जिले में जहां सिंचाई व्यवस्था फेल हो जाने की वजह से,केन नहर में पानी न देने की वजह से १२ आने गेहूं के खेत नष्ट हो गये थे, वह भी अधिकारी लोग किसानों के घर में घुस-घुस कर गल्ला निकालते हैं। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या यह अधिकारी जो किसानों के घरों में गल्ला निकालने के लिये बिना पूछे ही उनके घरों में घुस जाते हैं, एक बोरा खाद भी उनके घर तक पहुंचाने के लिये तैयार होंगे ? विकास खंड जिनकी रचना खाद, बीज, कृषि यंत्र आदि किसानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से हुई थी, वे अपने उद्देश्य में फेल हो चुके हैं। उन्होंने अपनी उपयोगिता समाप्त कर दी है। इसलिये मैं सुझाव दूंगा कि जिस तरह से गेहूं वसूलने के लिये मंत्रियों और सचिवों के मध्य में जिले बांट दिये गये हैं उसी तरह से फिर मंत्रियों और कुछ सचिवों के बीच जिले बांट दिये जायं और हर जिले में कृषि सलाहकार समितियां बनाई जायं, विकास स्तर पर भी बनाई जायं। उनका काम यह देखना होगा कि किसानों को खाद मिलती है या नहीं, पानी मिलता है या नहीं, उनको बीज मिलता है या नहीं। मुझे जानकारी है कि विकासखंड के लोग किसानों को मिलने वाले अनुदानों पर हिस्सा लेते हैं। उनको कृषि यंत्रों की खरीद आदि के लिये जो अनुदान मिलता है, उस पर यह अधिकारी अपना कीमत कमीशन लेते हैं और किसानों की सही मदद नहीं करते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यदि आज कृषि सुधारों को ठीक लागू न किया जाए, जोत सीधा लागू करने वाले हैं, उस पर अमल किया जाए और राष्ट्रीय आजादी के समय दिये गये आश्वासनों को पूरा किया जाय तो हमारी खाद्य समस्या हल हो सकती है, तभी हम अपने मुल्क की आजादी और प्रतिष्ठा की रक्षा कर सकते हैं। इस तरह अन्त में मैं आशा करता हूं कि सरकार कुछ करने को तैयार होगी।

श्री गोबिन्द सिंह मेहरा (जिला अल्मोड़ा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण अनुदान पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, मैं मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस अनुदान के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और कटौती का जो प्रस्ताव है, उसका विरोध करता हूं। मान्यवर, कृषि का अपना महत्व है, इसमें दो राय नहीं हो सकती। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। मैं इस सारे सदन को आपके माध्यम से पहाड़ों पर ले जाना चाहता हूं, जैसा कि विरोधी सदस्य कह चुके हैं कि सारा बजट पहाड़ों पर चढ़ चुका है। इसलिये सदन को भी पहाड़ों पर जाना चाहिये।

मान्यवर, कृषि योग्य भूमि का तीन मर्तबा पहाड़ों पर बन्दोबस्त हुआ। पहला बन्दोबस्त जो हुआ विकट बंदोबस्त के नाम से मशहूर है। दूसरा बन्दोबस्त परमानन्द बन्दोबस्त के नाम से मशहूर है। तीसरा बन्दोबस्त उस वक्त हुआ जिस वक्त नेता विरोधी दल चौधरी चरण सिंह रेवेन्यू मिनिस्टर थे। उस वक्त जो बन्दोबस्त हुआ, उसमें खास तौर से पहाड़ों पर बड़ी कृपा की गयीं। वह कृपा इस प्रकार से की गयी जो सर्वे हुआ वह प्लान्टेबिल मेजर मेन्ट्स से हुआ। छोटे-छोटे खेतों की तीन फीट से लेकर १०–१२ फीट तक जो दीवालें हैं उनको भी नापा गया। इस प्रकार से जो हम को एक्सटेंशन का, जो भूमि तीन साल के अन्दर बीस नाली तक भूमि बढ़ाने का हक था उसको समाप्त कर दिया गया और हमारे छोटे-छोटे सीढ़ीदार खेतों को प्लांटेबिल मेजर मेंट करके तंग कर दिया गया।

मान्यवर, अल्मोड़ा जनपद में इस वक्त एक योजना चली है इगाडा की, इंडो-जर्मन द्वारा उसके द्वारा हरितक्रान्ति लाने की बात कही जाती है। लेकिन मेरा अपना मत है कि इंगाडा से पर्वतीय अंचल को लाभ नहीं है। इससे मार्जिनल फार्मिग बेहतर है उसके वास्ते इगाडा का जो भी प्रयोग होता है वह रासायनिक खाद होता है। उसमें जो प्रयोग किया जाता है उसमें पिछला अनुभव बताता है कि पहाड़ों पर सिंचाई की योजनायें है वह योजनायें अभी तक सफल नहीं हुई है, चाहे विभाग ने अधिक ध्यान नहीं दिया इसलिये नहीं हुई हैं या वहां पर ऐसी दिक्कतें आती हैं।

दूसरी ओर लिफ्ट इरीगेशन की बात कही जाती है, वह भी कुछ डार्क हो गयी। इस वक्त भुवाली, अल्मोड़ा या कर्णप्रयाग की तरफ जो ग्रिड लाइन जा रही थी चौथी पंचवर्षीय योजना में जिसका प्राविधान था, पांचवी योजना में समाप्त कर दी गयी है। मैं कुछ आंकड़े आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। इस वक्त रुड़की डिवीजन को २० लाख रुपया, मुरादाबाद को १० लाख और कानपुर डिवीजन को ११ लाख रुपया दिया गया। चूंकि हमारी बिजली की कटौती कर दी गयी है इसलिये केवल ७५ हजार रुपया हिल डिवीजन को दिया गया है। इसलिये लिफ्ट इरीगेशन का स्वप्न भी हमारे दिमागों से हट गया है।

अब पशुपालन की ओर आऊंगा। इसमें चार हजार से छः हजार फीट तक की जलवायु जरसी और सिंधी गाय के लिये आयडियल क्लाइमेट है। लेकिन पर्वतों में ७० फीसदी भूमि पर वहां बन हैं।

हर विकास की योजना में वन विभाग आड़े आता है। इसलिए जहां तक अच्छी जलवायु है, पाश्चर्स की बात है वन विभाग आड़े आता है और अच्छे चरागाह न होने से पशुधन की समृद्धि उचित मात्रा में नहीं हो पाती है।

जहां तक बागबानी का प्रश्न है इसमें आशातीत उन्नति नहीं हुई है। अगर आप हिमांचल प्रदेश के निवासी से बात करेंगे तो वह बताता है कि हमारे यहां बागबानी या आर-चरर्ड्स जो बने हैं वह उत्तर प्रदेश की देन हैं। लेकिन आप मार्केट में देखेंगे कि हमारे यहां के फल जो चौपटियां, रानीखेत, अल्मोड़ा और गढ़वाल में पैदा होते हैं उनको वह भाव नहीं मिलता है जो काश्मीर या हिमांचल प्रदेश वाले फलों को मिलता है। हम अभी तक अपने फलों में वह रंग नहीं ला पाये हैं, वह चिकनाहट नहीं ला पाये हैं जो उन फलों में होता है और हमारे फलों में खुरदरापन रहता है। देखने में भी हमारे फल भद्दे लगते हैं। मैं नहीं समझ पाया कि इतनी बड़ी रिसर्च के बावजूद भी हम अपने फलों की क्वालिटी क्यों नहीं सुधार पाये।

दूसरी बात यह है कि जो बागबान हैं उनकी आदत खराब कर दी है। पहले पांच आने का एक प्लांट सेब, खूबानी और आड़ू वगैरा का घर पर देते थे। लेकिन आज वह १२ आने और एक रुपया कर दिया गया है और सब्सिडी समाप्त हो गई है। यह प्लांट भी ब्लाक के हेड क्वार्टर पर मिलता है। बागवान जब तक रुपए का इन्तजाम करते हैं और प्लान्ट ले जाते हैं उस समय तक वह सूख जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सब्सिडी फिर से चालू की जाय।

दूसरे ट्रीटमेंट में पहले अनुदान दिया जाता था लेकिन वह बन्द कर दिया गया है। लेकिन फिर से ५० परसेंट अनुदान जो पेड़ में बीमारी लग जाती है उसके लिए देना शुरू किया है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। एग्रो के सिवाय और कोई फलोद्योग चालू नहीं किया गया है और न कोई मार्केट ही तलाश किया जा सका है। कहा जाता है हम कम्पीट नहीं कर पायेंगे। खाली सेब और आड़ू वगैरा का ही सवाल नहीं है बल्कि जो पहाड़ों पर वैलीज हैं उनमें इतना अधिक आम पैदा होता है कि जब मैदानी इलाके में आम नहीं होता तो वह उसकी पूर्ति करता है। लेकिन न हम कैच-अप बनाते हैं और न सौस ही बनता है और कह दिया जाता है कि हम कम्पीट नहीं कर पायेंगे। यह बात कहां तक सच है मैं समझ नहीं पाया।

[श्री गोबिन्द सिंह मेहरा]

दूसरी बात यह है कि डायरेक्टर जो पहले रानीखेत में था वह आज सारे प्रदेश को देखता है। फल की पट्टियों के लिए वन काटा जाता है। फल की पट्टियां वहां निकाली जायें जहां वन न हों। लेकिन जहां वन है उसमें जब तक उप वन न लगायें जायं तब तक ठीक नहीं रहता। चाहे आम लगाये जायें या सेब लगाया जाय। एक बड़ी भारी समस्या हरिजनों (भूमिहीनों) की भी है। उसको हम पूरा नहीं कर पाते क्योंकि एलाटमेंट नहीं हो पा रहा है। हमारा ध्यान इधर जाना चाहिए। फल की पट्टियां सड़क के दोनों तरफ बननी चाहिए और हरिजन भूमिहीन लोगों से जो जमीन की मांग कर हैं उनसे कहा जाय कि बागबानी करें और इस प्रकार से फलों को भी प्रोत्साहन मिलेगा और भूमिहीनों की जो समस्या है उसका भी समाधान होगा। इन शब्दों के साथ मैं अनुदान का पुरजोर समर्थन करता हूं।

श्री धर्मवीर सिंह (जिला मेरठ)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं दिल से यह चाहता था कि कृषि का जो बजट माननीय मुख्य मन्त्री जी ने रखा है और यह आशा करता था कि उसमें इस तरह के सुझाव माननीय मन्त्री जी रखेंगे कि अपोजीशन को कटौती का प्रस्ताव रखने की आवश्यकता न पड़ती। आज जो हमारे प्रदेश में खाद्यान्नों की स्थिति है वह किसी से छिपी नहीं है। २७ वर्षों के बाद आज यह उपलब्धि हुई है कि हमारा देश एक-एक दाने के लिए तरस रहा है। यही नहीं दूसरे मुल्कों में अनाज मंगाया गया और उसके बाद बीच में हरित क्रांति में आये। इससे कुछ प्रगति कृषि क्षेत्र में हुई, परन्तु दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार की नीतियां इस तरह की रहीं कि वह भी कार्य ज्यादा दिन तक नहीं चल सका और कृषि की पैदावार नीचे की ओर जाने लगी।

एक्सटेंसिव कल्टीवेशन की बात कही गई। वह ठीक है। हमारे प्रदेश में जो सीलिंग के लिए जमीन लटी है उसका वितरण भूमिहीनों को किया गया है। जापान में भी छोटे-छोटे किसान हैं, लेकिन उनकी पैदावार ज्यादा है यह ठीक है, लेकिन और आंकड़े देखें तो मालूम होगा कि जापान में सन् १९५३ में ४३ प्रतिशत लोग खेती में लगे हुए थे लेकिन आज १४ प्रतिशत हैं और हमारे यहां देखें तो मालूम होगा कि कृषि में लगे लोगों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। अमरीका ने अपने यहां खेती में लगे हुए लोगों की संख्या को घटाकर ४ प्रतिशत कर दिया है। यहां पर विशेष रूप से डिस्पैरिटी बढ़ती जा रही है और दूसरे कार्य करने वाले लोगों में व कृषि करने वालों में एक बड़ी जबरदस्त डिस्पैरिटी बढ़ती जा रही है।

पहली सीलिंग हुई थी तो उसमें २,४२,५०० एकड़ जमीन सरकार को मिली थी लेकिन सरकार १,३७,५०० एकड़ जमीन का ही वितरण कर सकी। दूसरी सीलिंग की गयी है उस के रिजल्ट अभी कुछ दिनों में सामने आ जायेंगे। मेरा सुझाव है कि वह जमीन ऐसे लोगों को दी जाय जिनके पास अनएकोनामिक होल्डिंग हैं। नये-नये आदमियों को एक-एक बीघा जमीन देकर उनको बेकार बना देना ठीक नहीं है। न तो खेती कर पायेंगे और न दूसरा काम कर सकेंगे। इस तरह से नये-नये आदमियों को बहुत थोड़ी थोड़ी जमीन देने के कारण हम अनइम्प्लायड लोगों की तादाद को बढ़ा रहे हैं। लिहाजा मेरा सुझाव है कि उनको ही भूमि दिया जाय जिनके पास अनइकोनामिक होल्डिंग्स हैं। उनको इतनी जमीन दी जाय जिससे वह इकोनामिक कर सके। दूसरा उसी सिलसिले में सी०एल०आर०सी० की रिपोर्ट निकली है उसके बारे में कहना चाहता हूं। सी० एल० आर० सी० की रिपोर्ट में है---

"If surplus lands were to be given to the landless. it would only aggraavte the problem of the economic holdings affecting the out put as a whole."

मतलब यह हुआ कि अगर सीलिंग से छटी हुई जमीन यदि उनको दी जायगी जो भूमिहीन हैं, तो हमारी पैदावार को बहुत जबर्दस्त हानि होगी। दूसरी राज कमेटी की रिपोर्ट है—

'The ceiling on land holdings has greatly reduced the scope of progressing taxation in Agriculture."

मतलब यह कि सीलिंग की वजह से जो हमारे कृषि के वितरण की व्यवस्था इस तरह से हो गई है हम उस पर टैक्सेशन वगैरह नहीं लगा सकेंगे। हम अपनी योजनाओं के बारे में कह देना चाहते हैं कि पहली योजना में हमारे देहात में रहने वाले लोगों की आमदनी शहर के रहने वालों के मुकाबले में २७ प्रतिशत थी। दूसरी योजना में २४ प्रतिशत थी, तीसरी योजना में २० प्रतिशत घट कर हो गई और आज १८.५ प्रतिशत रह गई है। यह कहा जाता है कि एग्रीकल्चर पर हमारी आमदनी ४५ प्रतिशत है और दूसरी चीजों से ५५ प्रतिशत है। लेकिन कृषि पर निर्भर लोग टैक्स नहीं देते हैं। इसकी पुष्टि बी० आर० शिनाय ने की है—

"B. R. Shenoy, eminent economist — Average Rural Income is 18.5 per cent of the average urban income."

इसका मतलब शहर में रहने वाले या दूसरा काम करने वालों की आमदनी जो है कृषि पर आधारित लोगों की आमदनी के मुकाबिले में केवल १८.५ प्रतिशत रह गई है। जहां तक यह बात कही जाती है कि कृषि में लगे हुए लोगों पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है जबकि उनको ४५ प्रतिशत आमदनी कृषि से होती है और दूसरे चीजों से ५५ प्रतिशत होती है। लेकिन इसी के साथ हमको सोचना पड़ेगा कि जहां ४५ प्रतिशत आमदनी कृषि से होती है, ८० प्रतिशत आमदनी जो गांव में रहने वाले हैं, चाहे वह खेती पेशा करने वाले हों, मजदूर लोग हों, जो खेती में काम करता हो वह सारे के सारे लोगों की आमदनी ४५ प्रतिशत होती है। अगर आप ५५ प्रतिशत आमदनी को २० आदमियों में बांटें तो आपको अन्दाजा पड़ेगा कि दूसरे कार्य करने वाले लोगों की आमदनी कृषि में या कृषि करने में लगभग तिगुनी के लगभग पड़ती है। यह बहुत बड़ा अन्याय लोगों के साथ हो रहा है, जैसा कि समाचार पत्रों में यह खबर निकली थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कृषि पर टैक्स लगाना चाहती है। मैं अब और प्वाइंट्स को छोड़ देता हू मान्यवर क्योंकि समय बहुत कम रह गया है।

प्रदेश में अनाज व अन्य चीजों की पैदावार कम होती जा रही है। इस वर्ष २५४ लाख टन से घट कर २०० लाख हो गई और यह अनुमान भी लगता है। इसका कारण कृषि मूल्य एग्रीकल्चर प्राइस नीति है। १९६६-६७ में जीटर ट्रैक्टर का दाम १३४४४ रु० था, यूरिया का दाम ६८० रुपया टन था। १९७२-७३ में ट्रैक्टर का दाम २५,१६६ रुपया था यानी ८७ फीसदी दाम उस पर बढ़ गया और यूरिया का दाम १९७२-७३ में था ९५९ रुपए पर टन यानी ४० प्रतिशत बढ़ गया। ५ हार्स पावर ट्यूबल चलाने के लिए ४८० रुपए लगता था सन् १९६६-६७ में और १९७२-७३ में ८८५ रुपए हो गया। ६,००० गैलन ट्यूबवेल पानी पर १९६६-६७ में ४.१२ पैसे खर्च होते थे और १९७२ ७३ में ११.०० रुपए खर्च होने लगे यानी कीमत १६७ प्रतिशत बढ़ गयी। अगर हार्स में जो ट्रैक्टर की जो कीमतें बढ़ी हैं वह २५ हजार से ३० हजार हो गई हैं। यूरिया की कीमत १८० रुपए हो गई है।

[श्री धर्मवीर सिंह]

नेशनल कौंसिल आफ अप्लाइड इकोनामिक्स रिसर्च की रिपोर्ट है कि देश में ५८ जिले ऐसे हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं और उनमें से २२ जिले उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। जहां तक इर्रीगेशन का ताल्लुक है जिस वक्त हमारा देश आजाद हुआ था तब ७२ प्रतिशत भूमि भगवान के ऊपर मुनहसिर थी लेकिन अब वह ६८ प्रतिशत रह गई है। तो जहां तक इर्रीगेशन फैसिलिटीज का ताल्लुक है, उसमें केवल ४ प्रतिशत की ही उन्नति हो पाई है। दूसरे हमारी जो लैंड अरेलेबिल है उसमें से केवल १२ प्रतिशत कल्टीवेशन के योग्य २० साल में हो पायी है तो इस प्रकार से अगर अनुमान लगाया जाय तो जो खेती योग्य भूमि है, उसे कल्टीवेशन में लेने के लिए हमें १०० वर्ष लगेंगे।

जहां तक फर्टीलाइजर का सम्बन्ध है हम इस बात को मान कर चलते हैं कि इसकी बहुत कमी है। इसलिए गोबर की खाद की ओर इस सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ५६ मिलियन टन गोबर की खाद जोकि २८० मिलियन टन भीगे (वेट) गोबर के बराबर है और जो हर वर्ष जलायी जाती है। इसमें ५६० करोड़ रुपए का नाइट्रोजन होता है, ८४ करोड़ रुपए का सुपर फास्फेट होती है और १४५ करोड़ रुपए की पोटास पायी जाती है। लिहाजा मेरी प्रार्थना है कि सरकार का विशेष ध्यान गोबर की खाद की ओर जाना चाहिए। इसके साथ-साथ खाना बनाने के लिए गोबर गैस प्लान्ट को भी सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए।

जहां तक वर्षा की बात है वह भी देश में भविष्य में भी अच्छी नहीं हो पायेगी क्योंकि दुनियां में जो फारेस्ट का एवरेज है, उतना भी हमारे यहां नहीं रह गया है। दुनियां का औसत जंगल का एरिया ३० प्रतिशत है जबकि हमारे यहां २३ प्रतिशत, जापान में ६८ प्रतिशत, अमेरिका में ३४ प्रतिशत, रशा में ४० प्रतिशत है। फारेस्ट एरिया की ओर भी इस सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि कृषक लोग और अधिक बागात लगा सकें।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राम दुलारे (जिला रायबरेली)--

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा प्रस्तुत कृषि के अनुदान का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस डिमांड पर जो बहस चल रही है उसको मैं बड़े ध्यान से सुनता रहा हूं। जितने दिनों यहां पर जनरल बजट पर डिस्कशन हुआ है, उसको भी बड़े ध्यान से सुना है। उसमें एक कन्ट्राडिक्टरी प्रश्न यह पैदा हुआ है जब यह कहा गया कि खेती को ही प्राथमिकता दी जाय। बजट का सारा धन कृषि की ओर ही मोड़ दिया जाय। यदि ऐसा किया गया तो हमारे प्रदेश की तरक्की कैसे हो सकती है? एक तरफ तो यह कहा जाता है कि खेती पर भार अधिक है, इसलिए हमारे प्रदेश की आमदनी बहुत कम है और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि खेती पर ही सारे रिसोर्सेज लगा दिये जायं तो बहुत तरक्की हो सकती है। लेकिन जितने भी देशों ने तरक्की की है वहां पर खेती के अतिरिक्त और दूसरे सेक्टरों में भी ज्यादा प्रगति हुई है। इसकी सपोर्ट में मैं डाक्टर बलजीत सिंह द्वारा लिखित 'फैड्रल फाइनेंस ऐंड अन्डर डेवलप्ड एकोनामी" पुस्तक का उद्धरण पढ़ देना चाहता हूं जो इस प्रकार है--

"To recapitulate, when the rate of growth of an economy as a whole is lower than the rate of development of its primary sector, the changes in the terms of trade constantly retard its growth and push it back to a lower level of equilibrium as it seeks to move up."

इसके आगे और भी कहा गया है—

'A generalisation of major importance that is often neglected follows, viz., that development of primary industries requires for its sustenance a much higher rate of development in other sectors of economy than its own."

इन्होंने एक चीज इस तरीके से कही है कि जब ऐग्रीकल्चर में पापुलेशन ज्यादा होता है तो पर-कैपिटा इनकम कम होती चली जाती है और जब दूसरे सेक्टर्स की ज्यादा तरक्की होती है तो वहां पर जो ज्यादा लेबर है वह दूसरी इण्डस्ट्री में लग जाती है और वह दूसरी चीजें पैदा करते हैं। जैसाकि कहा जाता है कि अच्छी खेती के लिए बिजली और पानी नहीं है और मैंने यह भी सुना है सदन में कि पं० जवाहरलाल जी ने देश की जो तरक्की की है, उन्होंने खेती की तरफ ध्यान न देकर बड़े-बड़े बांध और कारखाने स्थापित किये परन्तु यदि उन्होंने बड़े-बड़े बांध और कारखाने न स्थापित किये होते तो आज हम वहां पर खेती में जो ट्यूबवेल लगाते हैं, तो बिजली कैसे ले सकते थे। हम जो आज बातें करते हैं कि प्रदेश के अन्दर छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज कायम की जांय अगर हमारे पास पावर, बिजली नहीं होगी तो उसको कैसे कायम कर सकते हैं? इस तरीके से खेती की तरक्की के लिए अन्य दूसरे सेक्टर्स से भी हमें अपनी इकोनामी डेवलप करनी होगी और इसके बहुत पहले ही, मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं कि—

'The last Famine Enquiry Commission in India records that "to increase agricultural production and improvement the National diet simultaneous industrial development to augment the total wealth of the country is essential".

यानी देश और प्रदेश की तरक्की के लिए और दूसरी चीजों की तरक्की होना आवश्यक है और मैं समझता हूं कि हमारी सरकार जो इस समय कर रही है वह जैसा कि अभी माननीय बहुगुणा जी ने कहा कि तमाम सिंचाई की योजनाओं को चालू करने जा रहे हैं।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, आपसे नम्र निवेदन है कि माननीय सदस्य अंग्रेजी में कुछ बोल रहे हैं, कृपया उसका अनुवाद कर दिया करें।

श्री अधिष्ठाता—

उसका अनुवाद करेंगे वह।

श्री राम दुलारे—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पहले जो मैंने बात कही है उसका अर्थ—उन्होंने यह कहा है कि किसी भी प्रदेश की इकोनामी के लिए सब सेक्टर्स की तरक्की की जरूरत है। प्रायमरी, सेकेंडरी और टर्श्यरी, तीन तरह का इंडस्ट्रीज हैं। तो प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर को लिया है। अगर ऐग्रीकल्चर से पूरा डेवलपमेंट कम होता है तो आप कम तरक्की कर पाते हैं और आखिर वाले का अर्थ यह है कि उन्होंने कहा है, फैमिन इंक्वायरी कमीशन ने यह लिखा है कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए दूसरी चीजों का ज्यादा डेवलपमेंट होना आवश्यक है।

[श्री राम दुलारे]

(इस समय ४ बजकर १८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से यह कह रहा था कि खेती की तरक्की के लिए और भी डेवलपमेंट का होना जरूरी है। जैसा कि बहुगुणा जी ने कहा कि हम इस तरफ ध्यान दे रहे हैं और किसानों की तरक्की करने के साधन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं।

मैं आपकी आज्ञा से एक समस्या छोटे किसानों की रखना चाहता हूं। इस समय जो लघुकृषक योजना चलती है उसके अन्दर जो हमारे जिले में खास कर मैं देखता हूं, दूसरे जिलों की नहीं जानता, किसानों को जो पम्पिंग सेट या ट्यूबवेल लगाने के लिए लोन दिये जाते हैं, उनको यह निर्देश दिया जाता है कि फलां कम्पनी से कृषि यन्त्र खरीदो जा कर। उसका नतीजा यह होता है कि कम्पनी वाले तो अपनी एक एजेंसी के रूप में काम किया करते हैं और मार्केट प्राइस से उसी यन्त्र की बनिस्बत दूसरी एजेंसीज के बहुत ज्यादा होती है। इस तरीके से किसान को जो सब्सिडी मिलनी होती है उतने ही अधिक दाम पे करना होता है तो मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे और किसान को खाद, पैसा या चेक दे दे, चाहे सरकार खुद अपना कोई आदमी डिप्यूट कर दे ताकि वह उस चीज को खरीद ले और लगा सके।

मान्यवर, अभी यह कहा गया है कि पशु पालन और मर्गी पालन आदि की भी तरक्की आवश्यक है। मैं यह समझता हूं कि कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों में जहां पशुओं को गर्भ धारण कराया जाता है, इंजेक्शनों के द्वारा उनमें जो वीर्य इकट्ठा किया जाता है वह बहुत दिनों का होता है और इससे एक नुकसान यह होता है कि जानवरों का गर्भाधान ठीक नहीं हो पाता नतीजा यह होता है कि किसान एक ही जानवर को वहां बार-बार ले जाते हैं और कभी-कभी यह होता है कि सारा समय खत्म हो जाता है और बीज उनमें जम नहीं पाता। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि इन केन्द्रों पर सांड़ भी रखे जायं और उनसे वीर्य उसी समय निकाल कर तब इन्सेमिनेशन किया जावे।

दूसरी बात यह है कि खेती का जो मैकेनाइजेशन हो रहा है उसमें हम खेती में तरक्की करते जावेंगे और उससे हमारा फूडक्राप्स का एरिया घटता जावेगा क्योंकि हम अच्छे बीज, अच्छी खाद, अच्छे यंत्र और अच्छे सिंचाई के साधनों का प्रयोग करके अच्छी पैदावार और ज्यादा पैदावार पर एकड़ कर सकेंगे, जैसा हमारी सरकार कर रही है और जितना गल्ला जितनी एरिया में हम इस समय पैदा करते हैं उससे कम एरिया में पैदा किया जा सकेगा और जो एरिया बचेगा उससे कामर्शियल क्राप्स जैसे आलू और गन्ना की फसल है वह बढ़ावेंगे। आलू की खेती तो ऐसी कामर्शल फसल होगी कि जिससे एक एकड़ में जितनी खाद्य सामग्री पैदा होगी उतना दूसरे अनाज से नहीं पैदा होती।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त।

श्री राम दुलारे—

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं।

*श्री प्यार लाल वर्मा (जिला एटा)—

अध्यक्ष जी, आपके द्वारा समय दिये जाने के लिये मैं आपको आभारी हूं। जो कृषि और पशुपालन आदि की कटौती पर के प्रस्ताव हैं उनका मैं समर्थन करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बहुत से आदरणीय सदस्यों ने कृषि के सम्बन्ध में अपने-अपने विचार दिये। सभी इस पर सहमत हैं कि खेती में तरक्की हो, लेकिन आज २७ सालों के बाद भी खाद्यानों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई। हमारी सरकार भी उन कारणों को समझने लग गई है जिसके कारण खाद्यानों की कमी है। खाद, बीज, सिंचाई आदि समय पर किसानों को नही मिल पाते जिनके कारण यह सब कमियां हैं। अगर किसानों को समय पर ये चीजें मिल जाती तो खाद्यानों की कमी नहीं होती। जो बीज आदि किसानों को दिये जाते हैं वह समय पर नही दिय जाते हैं। काश्तकार जब बीज के लिये इधर उधर आहि-आहि करके भागता फिरता है तो विभाग के लोग बीज उसको नहीं देते हैं और व्यापारी लोग खराब बीजों को इकट्ठा रखते हैं और पंतनगर के थैले लाकर उसमें बीज भरकर किसानों को गलत बीज देते हैं। उस समय उसको दुगनी कीमत भी देनी होती है और बीज भी उसके खेत में अच्छा नहीं पड़ता है और उसके कारण पैदावार घटती जाती है।

यह बीज अगर समय पर हमारी सरकार दे और समय पर उनको पानी और खाद दे तो हमारे काश्तकारों की समस्या हल हो सकती है। मैंने देखा है कि जो खाद ब्लाकों में बंटती है वह ग्रामसेवक समय से नहीं दे पाते हैं और बीच में किसानों को कुछ लेन देन की बात भी करते रहते हैं। जो काश्तकार उनसे मिले-जुले होते हैं उनको पहले दिलवा देते हैं। हमारी सरकार को यह खाद के बारे में सारी बातें मालूम होती रहती हैं लेकिन वह कुछ नहीं करती। मेरा सुझाव है कि जैसे राशन कार्ड बनाया जाता उसी तरह से इनका खाद का कार्ड बनाया जाय और जैसी जिसकी जमीन है, जितनी खाद उसके हिस्से में पड़ती है वह उसको समय पर दे दी जाय। मैंने देखा है कि काश्तकार बीज को इधर-उधर ढूंढ कर जब परेशान हो जाता है तो जैसा भी बीज उसको मिलता है वह खेत में डाल देता है और उसकी पैदावार ठीक नहीं हो पाती। साथ ही साथ सरकार भी जो किसान को फायदा देती है वह उसको पूरा मिल नहीं पाता। खाद जो ब्लाकों से दी जाती है वहां के सुपरवाइजर बोरियां खोलकर खाद निकाल लेते हैं और बीच में मिट्टी भर देते हैं। खाद का कट्टा ५० किलो का होता है लेकिन उसमें ४०–४२ किलो ही निकलती है। यह मैंने आंखों से देखा है। एक ब्लाक में मैंने देखा कि वहां खाद का ढेर लगा हुआ था और ४०–४२ किलो भरकर बोरी तैयार की जा रही थी। मैंने कहा कि ऐसा क्यों करते हो, उन्होंने कहा कि ये बोरियां सड़ गयीं थीं इसलिये हम दोबारा भर रहे हैं। लेकिन वह खाद जब उठायी गई तो किसी की ४० किलो निकली, किसी की ४२ किलो निकली। इस तरह से किसान को पूरी खाद नही मिल पाती और बाजार से खरीदने पर उसको दूने, ड्योढ़े दाम देने पड़ते हैं। मैंने यहां तक देखा है कि जो खाद गोदाम में होती है वह ब्लाक से उन काश्तकारों को दूने दाम पर मिलती है। ऐसी शिकायतें सरकार के पास हमेशा आती रहती हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जाती।

इसके साथ ही साथ सिंचाई के लिये हर सदस्य कोशिश करता रहता है लेकिन यह सरकार अंधी और बहरी हो गयीं है। उसके बारे में बजट तो पेश हो जाता है लेकिन इसका इंतजाम कुछ नहीं किया जाता। बल्कि मैं यहां तक कहता हूं कि मंत्री लोग सो जाते हैं या इधर उधर की बातें करते रहते हैं। वह जो चाहें शो करें लेकिन हमारी बात सुन तो लें। हमारी बात किसानों के हित की होती है लेकिन वह नहीं सुनते। म यहां पर देख रहा हूं कि

[श्री प्यारे लाल]

सरकार विपक्षी लोगों की कोई बात नहीं सुनना चाहती । हम सब यहां जनता के प्रतिनिधि होकर आये हैं । हमें जनता के हित में सोचना और करना है लेकिन यह नहीं होता । यहां पर सरकारी पार्टी विपक्ष की बात बिल्कुल सुनने के लिये तैयार नहीं है। इससे हमारी जनता का बड़ा अहित होता है । यहां बैठकर अगर हम सही सुझाव देते हैं तो सरकार को उसे मानना चाहिये ।

सिंचाई के बारे में सभी जानते है, जिस प्रकार हमारे जीवन के लिये पानी जरूरी है, उसी प्रकार जमीन के लिये पानी बहुत जरूरी है । आज जब अनाज की जरूरत होती है तो किसान को पकड़ा जाता है, मगर जब सहूलियतें देने की बात आती है तो वह सब शहरों को दी जाती हैं । देहात वालों को आज ६ माह में आधा किलो शकर भी नहीं मिलती, शहर में एक आदमी को एक माह में एक किलो शकर मिलती है । मिट्टी का तेल आज देहात में नहीं मिलता है । आज जबरियां किसानों के घरों से गेहूं तो निकाला जा रहा है, मगर उनको कोई सुविधा नहीं दी जा रही है । शहरों में गेहूं २००रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है, देहात में किसानों को आप अधिक दाम नही देना चाहते । जब तक आप किसानों की परेशानियों को कम नही करेंगे, उनको सुविधायें नहीं देंगे पैदावार नहीं बढ़ेगी । बरतानिया के राज्य में १९३७--३८ में एक रुपया का २० सेर गेहूं बिकता था, ३० सेर की मक्का बिकती थी, आज २ रुपये किलो गेहूं बिकता है ।

एटा में गंगा के करीब एक-एक हजार बीघा का ऐसा क्षेत्र है जहां बांध बनना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---

आपका समय समाप्त ।

श्री अम्बिका प्रसाद सिंह (जिला सुलतानपुर)---

मान्यवर, मैं इस अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इस उत्तर प्रदेश की आमदनी का ५४ प्रतिशत भाग खेती पर निर्भर है,८६ प्रतिशत जनता कृषि पर आधारित है । यह विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभाग है । इस विभाग के बारे में बोलते समय मझे एक बात याद आती है । जब इस सदन के विरोधी दल के नेता चौधरी चरण सिंह कृषि मंत्री थे । उस समय फैजाबाद के सेमिनार में उन्होंने एक बात कही थी । आज भी वह बात मुझे याद है । उन्होंने कहा था कि इस प्रान्त के कृषि मंत्री के हाथ में किसान की जरूरत की सब चीजें नही हैं । पानी किसी के हाथ में है, खाद किसी के हाथ में है । उन्होंने कहा था कि यह सब मुख्य मंत्री के हाथ में होना चाहिये । मेरी भी यही राय है, क्योंकि यह बड़े महत्वपूर्ण विभाग हैं इसलिये यह मुख्य मंत्री के हाथ में होना चाहिये जिससे इनको अच्छी तरह से चलाया जा सके । हमारे मौजूदा मुख्य मंत्री इस के लिये कारगर हैं ।

मान्यवर, यह विभाग महत्वपूर्ण विभाग है । मैं एक बात प्रकाश में लाना चाहता हूं, प्रथम जर्मन युद्ध की बात है । छोटी सी घटना है । उस समय अंग्रेजों नें बहुत नियंत्रण कर लिया था । जर्मनों ने देखा कि हमारे यहां शकर नही है । शकर न होने के कारण वहां के प्रशासकों ने वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों को बुलाया और कहा कि शकर हमें जर्मन में चाहिये वैज्ञानिकों ने कहा कि हम इसकी कमी पूरी करेंगे और आज काफी अच्छा बीज (सुपरबीज) चुकन्दर वहां पैदा होता है । कहने का मतलब यह है कि जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसके लिये संरक्षण मिलना चाहिये । कृषि को भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिये, इनके बगैर काम नहीं चलेगा । अगर कृषि को प्रोटेक्शन न दिया गया तो उत्पादन घट जायेगा ।

मान्यवर, बड़ी बुनियादी बातों के सम्बन्ध में जो आलोचना हमारे विरोधी दल ने की और सुझाव जो हमारे दल से आये हैं महत्वपूर्ण हैं हम छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान दिलाना चाहते हैं, क्योंकि इनका फल किसान को भोगना पड़ता है। किसान के लिये जो बहुत जरूरी चीज है, वह सिंचाई है, जब भगवान नही बरसते हैं तो हम लोग सिंचाई मंत्री की ओर उसी तरह से देखा करते हैं जैसे कि वरुण देवता की ओर ।

लेकिन मान्यवर, जब नहर चलती है तो वह ठीक समय से नही चलती है। पानी जरूरत के समय नहीं दिया जाता है । जब गन्ना बो दिया जाता है तो २-२ महीने तक नहर नहीं आती है। फसल सूख जाती है मान्यवर, बड़ी विकट समस्या है। नतीजा होता है कि किसान बरबाद हो जाता है । दूसरी तरफ श्रीमन्, उनका गन्ना तो सूख ही जाता है साथ-साथ पूरे सीजन भर की सिंचाई उनसे, गरीब किसानों से वसूल की जाती है। यह एक मौलिक प्रश्न है । इसकी तरफ हमको सोचना चाहिये । अगर आप उनसे सिंचाई लेते हैं तो किसान को पानी मिलने की गारंटी होनी चाहिये। अगर आप उनको पानी नही दे सकते हैं तो उनको आपको कम्पन्सेट करना चाहिये, मुआवजा मिलना चाहिये।

मान्यवर, नलकूप विभाग है। उसका भी हाल ठीक नहीं है। पानी किसान के लिये चलाया जाता है, बिजली ६ घंटे तक आती है, पानी कभी-कभी खेत तक पहुंचता नहीं है पूरी सिंचाई भी नही होती है, लेकिन यूनिटों को उनके नाम लिख लिया जाता है और जब उनसे पैसा वसूला जाता है तो वह आपरेटर्स के पास, इंजीनियर्स के पास भागते हैं कि ये पैसा हमें नहीं पड़ना चाहिये । तो उस समय वह यह कह देते हैं कि ये तो हाइडिल विभाग जाने। वह बेजुबान किसान जो फरियाद करता है उस सरकार से करता है जिसके सभी विभाग हैं। इसलिये मैं सिंचाई मंत्री जी से कहूंगा कि जो उनकी छोटी-छोटी दिक्कतें हैं, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिये ।

इस प्रदेश में कृषि उत्पादन के लिये सिंचाई के बड़े-बड़े साधन दिये गये हैं, और काफी तरीके के साधन उपलब्ध किये गये हैं, इसको मैं मानता हूं, इससे इनकार कैसे किया जा सकता है लेकिन जो छोटी-छोटी दिक्कतें हैं उनको भी दूर करें तो किसान का भला होगा।

उस समय की बात है, जिस समय श्री राम मूर्ति जी सिंचाई मंत्री थे।

मेरे जिला सुल्तानपुर, हम लोगों द्वारा एक आन्दोलन चला कि नालियां खराब हैं। मंत्री जी दौरे पर गये तो देखा कि खराब थी। ठीक करने का आर्डर दिया लेकिन वह ठीक नहीं हुयी। काफी पैसा भी शायद विभाग ने खर्च कर दिया लेकिन नालियां वैसी ही रह गयीं इसी तरह से मेरे जिले में मौजूदा समय में एक ट्यूबवेल ५०० एकड़ कमान्ड का बना लेकिन एक बीघा ही सिंचाई हो सकी। एक जगह नालियां बन गयीं लेकिन बोरिंग फेल हो गयी । सारा पैसा बरबाद समझें ।

दुधारू पशु किसान के लिये जरूरी है । आप उसके लिये प्रोत्साहन देंगे तो किसान की हालत सुधरेगी। आजकल गांवों में लोग कहने लगे हैं कि सरकार में दो तरह के लोग बैठते हैं। एक वह लोग हैं जो गल्ला पैदा करते हैं और दूसरे वह लोग हैं जो खाने वाले हैं। अंग्रेजी सरकार के जमाने में जब जमीदार का जोर था तो ऐसा कानून बन जाता था कि किसान की बेदखली हो जाती थी। जमींदार अपने हित का कानून बनाता था।

[श्री अम्बिका प्रसाद सिंह]

इसी प्रकार शासन में गेहूं खाने वाले ही लोग हैं और वह उत्पादन नहीं करते हैं इसलिये ऐसी राय दे देते हैं कि किसान का हित नहीं होता है । किसान की समस्याओं का समाधान नही होता है । इससे उत्पादन पर असर पड़ेगा ।

मैं एक बात और कह दूं । चकबन्दी जो चल रही उसमें गोमती के किनारे कटाव की जमीन चकबन्दी में छोड़ दी जाती है । यह ठीक नहीं है । इससे कटाव रुकता नहीं है उसकी भी अगर चकबन्दी हो जाय तो किसान स्वावलम्बी हो सकता है । बहुत सी ग्राम सभाओं में तालाब हैं । उनको अगर खुदा दिया जाय तो उनमें मछली पालन हो सकता है, इससे ग्राम सभाओं की आमदनी बढ़ेगी । तो इस प्रकार की कोई योजना सोची जानी चाहिये ।

मान्यवर, एक चीज और है कि किसान खेती क साथ-साथ कुछ फलदार वृक्ष लगायें तो उससे लाभ हो सकता है । बागों के लिये बैंक से ऋण नहीं मिलता है । मेरे विचार से कलमी बाग और दूसरे फलों के पेड़ों के लिये ऋण मिलना चाहिये । इसी तरह से किसान को खाद के मामले में संरक्षण मिलना चाहिये । अगर ऐसा हो जाय तो वह उत्पादन में पीछे नहीं रहेगा ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब मैंने कृषि विभाग को नजदीक से देखा तो कोआपरेटिव विभाग जिसकी गबन में बहुत शोहरत है उसी तरह पाया है । इसमें 2,००० लोग निलिम्बत हैं । तो उनको या तो बरखास्त कर दिया जाय दस-दस वर्ष तक लटकाया न जाय, इस पर तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिये । मैं चाहता हूं कि कृषि विभाग किसानों को अधिक सुविधायें दे तो इस प्रदेश में अनाज की कमी नहीं रहेगी, उत्पादन बढ़ेगा और यह प्रदेश सारे देश को अन्न सप्लाई करेगा । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री काली चरण यादव (जिला गाजीपुर)--

माननीय अध्यक्ष जी, श्री कल्याण सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिए और मुख्य मन्त्री जी द्वारा जो अनुदान की मांगें रखी गई हैं उनका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

मान्यवर, देश की आजादी के २७ साल बीत गये और यह सब जानते हैं कि हमारे प्रदेश का लगभग ८६ प्रतिशत आदमी गांव में रहता है और उसमें से लगभग ८० प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनका निर्वाह खेती से होता है । मान्यवर, हमारी इस सरकार ने खेती और खेतिहरों की बड़ी दुर्दशा कर दी है । किसान की सारी मेहनत की कमाई लुट जाती है । दिन में वह काम करते हुए थक जाता है और जब रात होती है तो घर का मालिक या मालिकन को चिन्ता होती है कि मालगुजारी देनी है, तकावी का पैसा देना है, लड़के की फीस देनी है और अगर लड़की सयानी है तो उसकी शादी करनी है और वह आज समाज में जहां कि दहेज प्रथा का चलन है । चिन्ताओं में उसकी रात का आधा समय बीत जाता है और शेष जो रात बचती है उसमें वह बुरे-बुरे स्वप्न देखता है और जब वह सुबह उठता है तो दिन भर टूटा-टूटा सा रहता है ।

भोजन की हालत यह है कि गांव में रहने वालों में 30 प्रतिशत ऐसे हैं जिनको एक वक्त का खाने को मिल पाता है । बहुत सी मातायें ऐसी हैं कि दो-तीन दिन अपने बच्चों को भूखे ही सुला देती हैं । आपने मान्यवर, अखबारों में भी पढ़ा होगा कि कितनी ही मातायें अपने बच्चों को भोजन न दे पाने के कारण लाचार होकर कुयें में कूद कर या रेलगाड़ी से कट कर आत्म हत्या कर लेती हैं । यह हालत हमारे गांव में रहने वालों की है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

संख्या ४४–कृषि अनुदान संख्या ४६–भूमि तथा जल संरक्षण, अनुदान संख्या ४७–क्षेत्र विकास, अनुदान संख्या ४९–पशुपालन, अनुदान, संख्या ५१–मत्स्य उद्योग, अनुदान संख्या ८०–पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या ९३–ऋण और अग्रिम कृषि तथा अनुदान संख्या ७७–कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

महोदय, कृषि के लिए एक बजट पेश किया गया है। नारा दिया गया था हरित क्रांति और श्वेत क्रांति का और यह कहा गया था कि देश खुशहाल हो जायगा, लेकिन अपने बजट भाषण में स्वतः तिवारी जी ने स्वीकार किया है कि खेती से होने वाली आमदनी पिछले साल की अपेक्षा कम हुई है। माननीय कल्याण सिंह जी ने बताया कि पैदावार का क्रम क्रमशः प्रति वर्ष घटता जा रहा है। नयी तकनीक और नये बीजों के बावजूद हमारे प्रदेश की पैदावार प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर घटती जा रही है। लोग कहते हैं सूखा पड़ जाता है बाढ़ आ जाती है दूसरी दैवी आपदायें आ जाती हैं। इसलिए पैदावार घट जाती है। यह कह कर सरकार के लोग अपना पिंड छुड़ा लेते हैं।

मन्त्रिमंडल के जितने सदस्य हैं, उनकी जो उम्र है तो अगर उन्होंने दर्जा ५ भी पास किया होगा तो उस समय दर्जा ५ के भूगोल में जलवायु के बारे में पढ़ाया गया होगा। मान्यवर, उसमें बताया गया होगा कि मानसून में अस्थिरता है कि कब बाढ़ आयेगी, कब ओले पड़ेंगे। यह कहा नहीं जा सकता। कोई भी सरकार प्रकृति और दैवी आपदाओं पर भरोसा कर अपने को छुटकारा पा ले, यह ठीक नहीं है। हमारे देश और प्रदेश में जलवायु की क्या स्थिति है, उसको देखकर सरकार को अपनी योजनायें बनानी चाहिए। तभी दैवी आपदाओं का मुकाबिला किया जा सकता है। इसको नजरन्दाज कर अगर ये योजनायें बनायी जायेंगी, तो फिर इस देश और प्रदेश की जनता को अकाल में झोंक दिया जायगा और जिसकी जिम्मेदार यह सरकार होगी।

कृषि के बजट पर थोड़ी सी बातें कहूंगा। बजट में वित्त मन्त्री जी ने जो विवरण दिया है उसमें कृषि के विभाग में 'ख से छ' तक बीज, खाद, उर्वरक आदि आइटम्स पर सभी अन्य मदों के लिए १,३७,३०,९०० बजट में रखा है, जिसमें ११,७७,६०० रुपए केवल प्रशासनिक व्यय, वेतन, महंगाई भत्ता गाड़ी के लिए पेट्रोल आदि के लिए रखा गया है। केवल १ करोड़ ९६ लाख बचता है जो उत्पादन कार्य के लिए खर्च होगा। इस प्रकार तीन चौथाई बेतन, महंगाई भत्ता, गाड़ी के लिए पेट्रोल, गाड़ियों के रख-रखाव और कार्यालय व्यय में खर्च होगा और केवल एक-चौथाई किसान और कृषि के उत्पादन के रूप में खर्च होगा। यही बात हर विभाग के बजट को देखने से स्पष्ट होती है। अगर इस ढंग से यह खर्च किया जायगा तो कृषि का विकास, मान्यवर सम्भव नहीं है।

एक बात मान्यवर में सरकार के कृषि निदेशालय के बारे में कहना चाहता हूं। उस निदेशालय में कोई चला जाय तो वहां पर कितने अधिकारी बैठते हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है और इन अधिकारियों में, मान्यवर, कोई भी कोआर्डिनेशन नहीं है। अगर इन अफसरों को किसी फाइल की जरूरत होती है तो बाबू की खोज होती है। बाबू टेबिल पर मिलता नहीं। अभी परसों दिल्ली से एक टीम कृषि पर आने वाली थी। उस समय सारा दफ्तर कृषि निदेशालय का इस प्रतीक्षा में था कि उस टीम के द्वारा क्या-क्या चीजें मांगी जायेंगी। इस तरह से जब कोई मैटर इस विभाग से मांगा जाता है तो निदेशालय में बैठकर उसकी प्रतीक्षा करते हैं और फर्जी आंकड़े दे देते हैं। प्रदेश को इस कृषि निदेशालय से कोई लाभ नहीं है। यह निदेशालय ऐसा है कि आज तक यहां कोई मैनुअल ही नहीं बन सका। न कोई पदोन्नति का तरीका है न कोई ज्येष्ठता की कोई सूची है। जिले में जिला कृषि अधिकारी रखे गए हैं। इसी तरह से भूमि संरक्षण अधिकारी हैं। इसी तरह से सम्बाकू अधिकारी दलहन अधिकारी, मूंगफली अधिकारी, सोयाबीन अधिकारी।

[श्री अम्बिका प्रसाद सिंह]

इस तरह के अधिकारी रखे गय हैं। सभी का समान स्तर है। सबको समान अधिकार मिले हैं। किसी का किसी से सम्बन्ध नहीं, किसी का किसी पर कोई नियन्त्रण नहीं। परिणाम यह होता है कि अपने-अपने अधिकारों को लेकर ये अधिकारी रात-दिन लड़ते रहते हैं और निदेशालय के लिए सरदर्द बने हैं।

मान्यवर, एक बात और बता दूं। अभी ८ जुलाई को मुख्य मन्त्री जी ने आदेश दिये कि इस समय कोई भी स्थानान्तरण नहीं होगा। लेकिन यह निदेशालय ऐसा है जहां ट्रांसफर जल्दी कर दिया जाता है।

एक ओर तो यह कहा जाता है कि भूमि संरक्षण के कार्यकर्ता जो हैं उनका बांड भरा हुआ है कि वे पहाड़ पर तीन साल कार्य करेंगे। मिर्जापुर के पहाड़ पर उनको रखा गया लेकिन १ साल ६ महीने नहीं बीते लेकिन मुख्य मन्त्री के आदेश के बावजूद उनको अल्मोड़ा भेजा जा रहा है और जिनकी पहुंच है वह मैदान में ठाठ से पड़े रहते हैं। इसके अलावा जिस जगह खाद की व्यवस्था नहीं होती है वहां कृषि निदेशालय के अधिकारी को अगर भेजा जाता है तो वह समझता है कि उसको सजा हो गयी। आखिर ऐसा वह क्यों समझता है, उस जगह वह क्यों नहीं जाना चाहता इसके पीछे क्या कारण है इस सरकार को देखना होगा।

किसानों को तकावी दी जाती है लेकिन किसान नहीं लेता उसका नाम फर्जी चढ़ा दिया जाता है। जब वसूली आती है तो किसान जानता है कि उसका नाम फर्जी चढ़ा हुआ है। भूमि संरक्षण में किसान के खेत की मेंड़ बन्दी की जाती है। लेकिन होता यह है कि एक खेत की मेढ़े बना दी गयी और चार नहीं बनाई गई और कह दिया कि सबकी मेढ़ बना दी गयी। किसान के पास वसूली आती है तो वह दौड़ता है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती और जब जांच होती भी है तो कह दिया जाता है कि मेड़ बनवाई थी, लेकिन पानी आया और उसमें वह बह गयी। ये सब दिक्कतें किसान के सामने आती हैं जिन पर विचार करके सरकार को उनका समाधान करना चाहिए।

श्री महाबीर प्रसाद (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, यह जो कृषि का बजट है इस पर दो पहलुओं से बिचार करना चाहता हूं। पहला यह कि कृषि का उत्पादन ठीक तरह से हो। दूसरे कृषि सम्बन्धित जो भूमि है उसमें उत्पादन बढ़ाया जा सके। मान्यवर, हम यह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है जहां पर कि ८६ प्रतिशत जनता कृषि पर आधारित है और आय का ५० प्रतिशत श्रोत कृषि पर आधारित है। हम जब तृतीय, चतुर्थ तथा १९७४–७५ की योजना को देखते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में ६७८.१० लाख टन पैदावार हुई थी जब कि उसका वार्षिक औसत केवल १३५.७८ लाख टन था ....

श्री अध्यक्ष—

अब आप अपना भाषण कल जारी रखेंगे।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम ५१ के अन्तर्गत आज ७ सूचनायें प्राप्त हुई थीं। नियमानुसार उनम से एक श्री राम सेवक यादव की सूचना को केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है।

यह कालाकांकड़ गांव जिला प्रतापगढ़ में हत्या कांड के बारे में है। नियमानुसार एक ही स्वीकार किया जा सकता है। लिहाजा शेष अस्वीकृत कर दिये गये।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मेरे वाले का क्या हुआ। पूर्वी जिले में खाद के वितरण का सवाल बड़ा अहम है।

श्री अध्यक्ष—

नियमानुसार एक स्वीकार किया गया है। आप अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न कर लीजियेगा।

श्री त्रिवेणी सहाय—

उस पर वक्तव्य दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

यह तो खाद्य की बहस में आपको कहने का मौका मिला होगा नियमानुसार हम एक दिन में एक ही स्वीकार कर सकते हैं।...

(व्यवधान)

एक सदस्य—

मैंने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है...

श्री अध्यक्ष—

आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर लें।

सूत के भाव में वृद्धि के कारण बुनकरों में व्याप्त संकट के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

लघु उद्योग मन्त्री (श्री इस्तफा हुसैन)—

इस राज्य के बुनकरों के लिए लगभग १०० लाख किलोग्राम मासिक सूत की आवश्यकता है। जबकि उत्तर प्रदेश की मिलों में केवल २० लाख किलोग्राम सूत का उत्पादन होता है जो कि राज्य की आवश्यकताओं का केवल लगभग २० प्रतिशत है। शेष सूत के लिए राज्य के बुनकरों को बाहर की मिलों के उत्पादन पर निर्भर करना होता है।

सूत के उत्पादन में कमी के कारण भारत सरकार ने समस्त सूत के वितरण तथा मूल्यों पर १३ मार्च, १९७३ को नियन्त्रण लागू किया। नियन्त्रण लागू होने के पश्चात ३१ अक्तूबर, १९७१ तक उत्तर प्रदेश को वस्त्रायुक्त तथा काटन कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा लगभग ९.८२ लाख किलोग्राम सूत आवंटित किया गया, इसमें से केवल ६४.७५ लाख किलोग्राम सूत प्राप्त हुआ।

भारत सरकार द्वारा १७ नवम्बर तक के सूत पर २१ जून, १९७३,३५ नम्बर तक के सूत पर १८ जुलाई, १९७३,४० नम्बर तक के सूत पर ४ अगस्त, १९७३ और ८० नम्बर तक के सूत पर से २१ अक्तूबर, १९७३ को वितरण पर नियन्त्रण हटा लिया गया परन्तु मूल्यों पर नियन्त्रण नहीं हटाया गया। १८ फरवरी, १९७४ से सभी प्रकार/नम्बर के सूती धागों पर से मूल्य नियन्त्रण भी हटा लिया गया है। ८१ नम्बर तथा उससे ऊपर के नम्बरों के सूती धागों पर आज कल वितरण नियन्त्रण है, परन्तु मूल्य नियन्त्रण नहीं है।

नियन्त्रणहटाये जाने के बाद विभिन्न प्रकारके सूती धागे के मूल्य बढ़ने आरम्भ हो गये, जिसके कारण हथकरघा एवं शक्ति चालित करघा उद्योग को बहुत कठिनाई का सामना करना

[श्री इस्तफा हुसैन]

पड़ रहा है। प्रदेश के बुनकरों को सूती धागा उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने हेतु मुख्य मन्त्री जी ने वाणिज्य मन्त्री, भारत सरकार को लिखा। एक प्रतिनिधि मंडल भी केन्द्रीय वाणिज्य मन्त्री से इस विषय में मिला। भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

उक्त आश्वासन के सन्दर्भ में वस्त्रायुक्त, भारत सरकार ने इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन से परामर्श करके सूत के मूल्यों में वृद्धि को रोकने और उसकी उपलब्धता बनाये रखने हेतु एक योजना बनाई। उक्त योजना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा मनोनीत उपभोक्ता संघों, अपेक्स संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं को मिलों द्वारा सीधे ही २८ मार्च, १९७४ को चालू दरों पर सूती धागा उपलब्ध कराया जायेगा। यह योजना उन मांगों ( ) के लिए लागू थी जोकि मिलों के पास संस्थाओं द्वारा ३१ मई, १९७४ तक भेज दी जायेगी। वस्त्रायुक्त से इन योजना को अभी तक आगे चलते रहने के विषय में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। योजना के अन्तर्गत तुरन्त कार्यवाही की गयी और वस्त्रायुक्त बम्बई एवं इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन से तार द्वारा निवेदन किया गया कि वे विभिन्न मिलों में २८-३-७४ को प्रचलित सूची धागों के भाव सूचित करें परन्तु यह सूचना काफी प्रयास के बाद भी उपलब्ध नहीं हो सकी। कुछ दक्षिण की सूती मिलों से भाव प्राप्त हुए जिनको देखने से ज्ञात हुआ कि उन मिलों के २८ मार्च, १९७४ के भाव स्थानीय बाजारों में या तो प्रचलित भाव के बराबर थे या उससे भी अधिक थे जिसके कारण वस्त्रायुक्त की उपरोक्त योजना के अन्तर्गत किसी भी संस्था द्वारा लाभ नहीं उठाया जा सका।

इसी योजना के अन्तर्गत यह भी प्रस्तावित था कि मिलों द्वारा बुनाई के विख्यात केन्द्रों/स्थानों पर विक्रय-डिपो स्थापित किये जायेंगे। वस्त्रायुक्त को उत्तर प्रदेश में ३५ स्थानों पर सेल-डिपो खोलने हेतु सूची ३ मई, १९७४ को प्रेषित कर दी गयी थी। इस सूची में माननीय श्री राम सेवक यादव द्वारा निर्दिष्ट सात स्थानों में से चार स्थान--मेरठ, पिलखुआ, खलीलाबाद व आजमगढ़ शामिल हैं। वस्त्रायुक्त से अनुरोध किया गया कि जिन-जिन स्थानों में किसी/किन्हीं मिल/मिलों के सूत का प्रयोग प्रचलित व पापुलर है, वहां उन्हीं मिल/मिलों के डिपो खोले जावें तो उपयुक्त होगा।

उत्तर प्रदेश में सूती धागे की कमी को पूरा करने के लिए ३० कताई मिलों की स्थापना का प्रस्ताव है। २० मिलों की स्थापना हेतु अनुज्ञा-पत्र भारत सरकार से प्राप्त किये जा चुके हैं और उनमें से ८ सूती मिलें--रायबरेली, अकबरपुर (फैजाबाद), बाराबंकी, झांसी, काशीपुर (नैनीताल), मऊ (आजमगढ़), संडीला (हरदोई) एवं मेरठ में लगाये जाने हेतु उत्तर प्रदेश वस्त्र निगम द्वारा कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है।

बाराबंकी, पिलखुआ, सरधना, हापुड़, मेरठ, खलीलाबाद, आजमगढ़ आदि नगरों/स्थानों में स्थित हथ-करघा तथा विद्युत् करघा कारखानों के समक्ष सूत के भावों (दरों) में अचानक वृद्धि तथा चोरबाजारी के कारण भीषण संकट उत्पन्न होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। १८ फरवरी, १९७४ से सभी नम्बरों के सूती धागों के मूल्य नियन्त्रण समाप्त हो जाने से अब सूती धागे के मूल्य पर नियन्त्रण नहीं है। अतः सूत मिल मालिकान द्वारा २५० से ५०० रु० तक अधिक दाम लिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। सूती मिल मालिक मूल्य नियन्त्रण समाप्त हो जाने के पश्चात् बाजार भाव पर सूती धागों को बेचने के लिए स्वतन्त्र हैं। जहां तक मिल मालिकों द्वारा ४०० रु० से ५०० रु० प्रति गांठ अधिक मूल्य लेकर बिल कम रुपए के बनाये जाने का प्रश्न है, इस प्रकार की कोई सूचना मूल्य नियन्त्रण समाप्त हो जाने के पश्चात् प्राप्त नहीं हुई है और न ही इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई है कि चोर-बाजारी का धन अलग से लिया जाता है। यह आरोप कतई निराधार है कि मिल मालिकों ने सरकार

के अनेक खंडों में करोड़ों रुपए दिये हैं। मूल्य नियन्त्रण समाप्त होने के पश्चात् मिल मालिकों के विरुद्ध मूल्य अधिक लेने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

इस प्रकार हथ-करघा से बने कपड़ों व उनमें लगे मजदूरों के सामने किसी भी भीषण संकट उत्पन्न हो जाने की न तो कोई सूचना है और न ही इस प्रकार के संकट उत्पन्न होने की सम्भावना है।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)--

इस वक्तव्य का जो पैरा २ है, उसमें मन्त्री जी ने कहा है कि २१ जून, १९७३, १८ जुलाई, १९७३, ४ अगस्त, १९७३ और २१ अक्तूबर, १९७३ को नियन्त्रण का जो प्रतिबन्ध था वह हटा दिया गया, फिर आगे बताया है कि १८ फरवरी, १९७४ से मूल्यों का नियन्त्रण भी खत्म हो गया है। मान्यवर, आप देखें, यह महीने बहुत महत्वपूर्ण हैं, यह चुनाव के आस-पास के साल का समय रहा है। एक तरफ तो उन पर नियन्त्रण लगाकर डरावो और उसके बाद में कुछ मामला तय हो जाय तो उनको सब छूट दी जाये, यहां तक कि बिक्री-कर, बंटवारे पर नियन्त्रण और कीमतों पर के नियन्त्रण को भी खत्म कर दिया जाये तो मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि १०० लाख किलोग्राम मासिक की जो सूत की आवश्यकता है और उन्होंने कहा हम सिर्फ २० लाख दे पा रहे हैं।

एक तो प्रश्न यह है कि आपकी क्षमता बढ़ी या नहीं? भारत सरकार ने आपको दिया था २३ अक्तूबर, १९७३ को ६४.७५ लाख किलोग्राम, आपकी कोई क्षमता बढ़ी या नहीं, अगर बढ़ी तो कितनी बढ़ी?

श्री इस्तफा हुसैन--

इस समय चूंकि नियन्त्रण नहीं है। मिल मालिकान अपने सौदागरों के जरिये से बेंचते हैं। उनसे लोग खरीदते हैं।

श्री रामसेवक यादव-

दूसरा प्रश्न यह है कि २३ अक्तूबर, १९७३ को सूती धागे का मूल्य क्या था और २८ मार्च, १९७४ को क्या मूल्य था?

श्री इस्तफा हुसैन--

मान्यवर, २८ मार्च, १९७४ को दाम जो थे कम थे नवम्बर के भाव से।

श्री रामसेवक यादव--

मैं निश्चित दाम जानना चाहता हूं। मन्त्री बोल रहे हैं, कोई विरोधी दल का सदस्य या सत्तारूढ़ दल का माम्मली सदस्य नहीं बोल रहा है। मैं निश्चित जानना चाहता हूं कि २३ अक्तूबर, १९७३ को सूती धागे का क्या भाव था और २८ मार्च, १९७४ को, नियन्त्रण खत्म हो गया तो क्या भाव था?

श्री इस्तफा हुसैन--

मान्यवर, सूत दो शक्लों में उपलब्ध होते हैं। एक तो कोन ओर दूसरे हक्स। दोनों के अलग-अलग भाव हैं।

(व्यवधान)

जहां तक हैंक्स का ताल्लुक है ३० अक्तूबर, १९७३ को छः नम्बर का सूत का भाव ३९ रुपए था और १३ जुलाई, १९७४ को ४६.५० रुपए थे। ६ रुपए ५० पैसे बढ़ा, १६.६६

[श्री इस्तफा हुसैन]

परसेंट बढ़ा। लेकिन भाव कुछ कम भी हुए। २/४० नम्बर का भाव ३०-१०-७३ को ११२.५० रुपए था और १३ जुलाई, १९७४ को १०५.५० रुपए था। ६.२२ प्रतिशत कम हो गया। २/६० नम्बर का भाव ३० अक्तूबर, १९७३ को १६० रुपए था और १३ जुलाई, १९७४ को १४७ रुपए हो गया। ८.०१ प्रतिशत कम हो गया। यह हैंक्स के भाव हैं। कौन के भाव में बहुत ज्यादा बढ़ोत्तरी नहीं हुई। १६ नम्बर का भाव ३० अक्तूबर, १९७३ को १४.१२ रुपए था और १३ जुलाई, १९७४ को १५.८७ रुपए हो गया। २० नम्बर का भाव १६.५० था जो १६.७५ हो गया। और जो घटे हैं उनका भाव इस प्रकार है। ४४ नम्बर का भाव १४२.५० रुपए था, जो १३५.०० रुपए हो गया। इसी तरह से ६० नम्बर का भाव १९३.५० रु० था, जो १०८.५० रु० हो गया। ८० नम्बर का भाव २३२.५० था जो २१४.५० हो गया। १०० नम्बर का भाव २५५.०० था जो २१४.५० हो गया। कोन्स के भाव ज्यादा नहीं बढ़े-घटे थे। लेकिन हैंक्स के भाव कुछ बढ़े लेकिन सब नम्बरों पर नहीं।

एक सदस्य--

१० और ८० नम्बर।

श्री इस्तफा हुसैन--

१० नम्बर की जो मेरे पास सूचना है, हैंक्स का भाव ३० अक्तूबर, १९७३ को ४९ रुपये ५० पैसे था और १३ जुलाई, १९७४ को भी ४९ रुपए ५० पैसे था।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह (जिला बाराबंकी)--

वक्तव्य में तस्लीम किया गया है कि जरूरत का २० प्रतिशत सूत ही यहां पैदा होता है और नियन्त्रण अब हटा लिया गया है तो क्या सरकार भारत सरकार से सिफारिश करेगी कि सभी नम्बर के सूत पर वितरण और मूल्य पर नियन्त्रण कर दे ताकि सस्ते मूल्य पर सूत मिल सके ?

श्री इस्तफा हुसैन--

मान्यवर, हमारी बराबर कोशिश रही है कि भारत सरकार को अपनी परेशानियों से अवगत करायें। हमारे मुख्य मन्त्री जी ने ९ अप्रैल को पत्र लिखा था और मैं १० अप्रैल को कामर्स मिनिस्टर से मिला था। उस वक्त हमने अपनी बात रखी थी और सुझाव भी रखे थे। मेरा ख्याल है कि टैरिफ कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जो नई टैक्सटाईल पालिसी होगी उसमें इस पर भी कुछ न कुछ होगा और साथ ही कन्ट्रोल पर भी कुछ होगा।

श्री ऊबल (जिला वाराणसी)--

जब २० प्रतिशत ही सूत मिल रहा है तो ८० प्रतिशत की कमी को पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री इस्तफा हुसैन--

मान्यवर, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि इस कमी को दूर करने के लिए अपने प्रदेश में सूती मिलों की स्थापना के लिए कदम उठा चुके हैं। जब तक हम अपने प्रदेश में सूत तैयार नहीं कर पायेंगे तब तक बुनकरों की शरायें रूप से सेवा नहीं कर पायेंगे। तामिलनाडु में सब से ज्यादा मिलें हैं वहां पर भी कमी की शिकायत है।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, वक्तव्य में कहा गया है कि कई मिलों की स्थापना की जायगी तो मैं यह जानना चाहूंगा कि जहां सूती मिलें खुलेंगी वहां के बुनकरों को सूत मिलेगा या नहीं? जैसे आजमगढ़ मऊनाथ भंजन में स्वदेशी काटन मिल है उसमें जो सूत बनता है वह कलकत्ता भेज दिया जाता है और वहां के लोकल बुनकरों को नहीं दिया जाता है।

कलकत्ता से उनके पास आता है जो काफी महंगा पड़ता है। क्या ऐसा प्रबन्ध होगा कि जहां सूती मिलें खुलें वहां के लोकल लोगों को सूत मिल सके ?

श्री इस्तफा हुसैन--

किसी जमाने में मऊ जो स्वदेशी काटन मिल थी जो कोन की शक्ल में सूत तैयार करती थी वह कलकत्ता ले जाते थे। लेकिन अब जैसा कि मैंने बताया कि इसके भाव नहीं बढ़े तो बाहर भेजने की जरूरत नहीं होती।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जब सूत पर कन्ट्रोल नहीं है तो जो भाव उन्होंने बताये हैं उसका उनका क्या सोर्स है ? क्या यह व्यवस्था है कि जिन मिलों में सूत तैयार होता है वहां उनकी डिपो खोलकर वितरण की व्यवस्था की गई है ?

श्री इस्तफा हुसैन--

ऐसी कोई मेरे पास सूचना नहीं है।

मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि किस आधार पर सूचना सरकार को मिली। उन्होंने कहा कि सूचना नहीं मिली तो यह कीमत कहां से ली ?

श्री अध्यक्ष--

जो आंकड़े आपको मिले हैं उसका आधार क्या है ?

श्री इस्तफा हुसैन--

माननीय सदस्य अपना प्रश्न दुहरा दें।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

जो आंकड़े दिये हैं वह आपको किस जरिये से मिले है कि यह कीमत उस दिन थी ?

श्री इस्तफा हुसैन--

तमाम जरिये से मिली।

श्री राम सेवक यादव--

सूत के काम को पूरा करने के लिए ८ जिलों में सूती कारखाने खोलने की बात है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं, कि बाराबंकी, अकबरपुर, फैजाबाद में क्या सूत का उत्पादन शुरू हो गया है ?

श्री इस्तफा हुसैन--

जमीन का नक्शा बन गया है कुछ टेण्डर की बात चल रही है।

श्री मधुकर दिघे--

सूती मिल गोरखपुर में भी खोलने की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री इस्तफा हुसैन--

माननीय, जगह-जगह जहां बुनकरों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है यह मांग आती है तो वहां पर स्थापना की जाती है हम इन सब मांगों पर विचार करते हैं और जब भारत सरकार से कोई लाइसेन्स मिलता है तो करते हैं।

श्री अध्यक्ष--

अब हम कल ११ बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २३ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
२२ जुलाई, १९७४।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९४८ पर)

स्थान	उद्योग
१—गोंडा	(१) राइस मिल
	(२) दाल मिल
	(३) बेकरी
	(४) गुड़ उद्योग
	(५) तेल उद्योग
	(६) कोल्ड स्टोरेज
	(७) चर्मकला
	(८) आरा मशीन
	(९) प्रिंटिग प्रेस
	(१०) साबुन
	(११) मोमबत्ती
	(१२) स्टील बाक्सेज
	(१३) कटलरी
	(१४) कृषि यन्त्र
	(१५) जनरल इंजीनियरिंग
	(१६) प्लाई वुड
	(१७) लेस ग्राइंडिग मिनरल प्रोडेक्ट्स
२—बलरामपुर	(१) राइस मिल
	(२) चर्म कला
	(३) जनरल इंजीनियरिंग
३—नवाबगंज	(१) आरा मशीन
	(२) जनरल इंजीनियरिंग
४—कर्नलगंज	(१) दाल मिल
	(२) चर्म कला
	(३) आरा मशीन
५—तुलसीपुर	(१) स्टील बाक्सेज
	(२) रबर उद्योग
६—बजीरगंज	(१) तेल उद्योग
	(२) काष्ठ फर्नीचर
७—मोरसा	(१) तेल उद्योग
	(२) आरा मशीन
८—पारर पुर	(१) तेल उद्योग
	(२) आरा मशीन
	(३) काष्ठ फर्नीचर
	(४) मिनरल प्रोडेक्ट्स

स्थान	उद्योग
९—उतरौला	(१) काष्ठ फर्नीचर
१०—मनकापुर	(१) तेल उद्योग (२) आरा मशीन (३) काष्ठ फर्नीचर (४) इंजीनियरिंग
११—कोड़िया	(१) तेल उद्योग
१२—खरगपुर	(१) तेल उद्योग (२) आरा मशीन (३) जनरल इंजीनियरिंग
१३—तरगपुर	(१) गुड़ उद्योग (२) तेल उद्योग
१४—कुकुरमुकवा	(१) तेल उद्योग
१५—मसकन्वा	(१) आरा मशीन ।

नत्थी "ख"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९५१ पर)

चाका ब्लाक, जिला इलाहाबाद तथा नगरमहापालिका वार्ड नम्बर २७ नैनी, इलाहाबाद के सस्ते गल्ले के दूकानदारों के नाम, कार्य का स्थान तथा एक दिसम्बर, १९७३ से ३१ मार्च, १९७४ तक उन्हें दिये गये बनस्पति घी, चीनी एवं गल्ले का विवरण :—

क्र०-सं०	दुकानदार का नाम	कार्य का स्थान	१ दिसम्बर, १९७३ से ३१ मार्च, १९७४ तक बनस्पति घी, चीनी, गल्ला जो आबंटन किया गया					
			बनस्पति घी किलो	चीनी कुन्टल	गेंहूं कुन्टल	चावल कुन्टल	मोटा अनाज कुन्टल	अभ्युक्ति
१	२	३	४	५	६	७	८	९
	ब्लाक चाका							
१—श्री मो० नसीम	..	रामपुर	..	५२	..	..	..	
२—श्री वंकटेश्वर नारायण राम दुलारे		रामपुर	..	१०	..	..	..	
३—सी० सी० एस० धनुआ	..	चक गरीब दास	..	५८	..	..	..	
४—श्री जगदीश सिंह	..	बगौना	..	५६	..	..	..	
५—श्री गुलाब सिंह	..	बहुबारी	..	५६	..	..	..	
६—श्री मो० अली	..	चक बबुराज सीमावाद	..	६२	..	..	..	
७—श्री पुरुषोत्तम लाल		,,						
८—श्री भारत	..	हथशिन	..	५६	..	..	..	
९—श्री बनवारी लाल सिंह	..	घूरपुर	..	५६	..	..	..	
१०—श्री राम बली पाल		,,						
११—श्री प्यारे लाल	..	देवरा	..	५६	..	..	..	

अतारांकित प्रश्नों के उत्तर सभा

१२—श्री लाल बहादुर अग्रवाल	..	हल्द्वानी	..	५३	..	..	..	
१३—पूरपुर समिति	..	सारनपुर	..	५०	..	..	..	
		योग ..	..	५६५	..	..	..	

२—कक्ष नं० २७—नैनी

१४—श्री रतन लाल अग्रवाल	..	नैनी (पी० ए० सी०)	१३६७	१६०	५६३	२५१	१७०
१५—श्री नवजीवन लाल	..	नैनी	१,०५८	११२	४३४	१७०	१८५
१६—श्री जगत बहादुर	..	,,	१,१४३	१६०	५८३	२६७	१७९
१७—श्री अनुरुद्ध नारायण सिंह	..	,,	१,४८६	१५९	६११	२८३	२१०
१८—सी० ओ० डी०, छिवकी सी० सी० एस०, छिवकी			१,३९०	१२१	४४४	२०४	४०
१९—टी० एस० एल०	..	नैनी	७०३	२१	८४	३८	..
२०—श्रीमती राम दुलारी देवी	..	नैनी	१,१९१	१६१	६३८	२९४	२१०
२१—श्री इन्द्र किशोर	..	नैनी	१,३७५	१९२	७५०	३४५	२४०
२२—सी० सी० एस०, नैनी		नैनी	१,४७४	१४९	४८२	१९७	३०
२३—हीरा लाल एण्ड संन्स	..	छिवकी	१,२९६	१३०	४७७	२२७	१८२
२४—श्री भोला नाथ वर्मा	..	नैनी	१,३६२	१४०	५२८	२५०	२१०
२५—श्री इन्तेजार अहमद	..	,, ..	१,५६८	२४०	९१०	४२५	३०२
२६—श्री राधे श्याम गुप्ता	..	,, ..	१,३६२	१५२	६३२	२९०	२१०
२७—श्री लाल जी शाह	..	,, ..	१,४२३	२३०	८४८	३८९	३३५
२८—हेड पोस्ट आफिस, सी० सी० एस०		,, ..	१,३२६	१४१	५१७	२४१	२३५
२९—श्री राम चन्द्र सोनकर	..	,, ..	१,३७५	१५३	५७२	२६७	१९७
३०—रेलवे सी० सी० एस०	..	,, ..	१,३१९	१२२	४७५	२२४	१२०
३१—त्रिवेणी इन्जीनियरिंग	..	,, ..	..	..	..	..	..
		योग ..	२२,२१८	२,५४३	९,५४८	४,३६४	३,०५५

नोट्स

२७—५—७४ से निलम्बित

दूकान मई, १९७४ से चालू हुई।

नत्थी "ग"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९५५ पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र १९७४ के ६वे सोमवार के लिये निर्धारित श्री श्याम मिश्रा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३३ के उत्तर से सम्बन्धित सूचना ।

गत तीन महीनों (अप्रैल, मई या जून, १९७४) में शहर कानपुर में वनस्पति विक्रेताओं के यहां मारे गये छापों से सम्बन्धित सूचना

क्र०-सं०	वनस्पति विक्रेताओं के नाम जिनके यहां छापे मारे गये	वनस्पति की कुल मात्रा जो बरामद की गई	कितने गोदाम सील किये गये	कितने व्यापारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई	क्या कार्यवाही की गई
१	२	३	४	५	६
१	मे० राजाराम किशन चन्द्र ५२/२५, शकर-पट्टी, कानपुर (थोक व्यापारी)	३६८८ टिन १६.५ किलो ग्राम के ११६४ डिब्बे, ४ किलो ग्राम के और ९०३ डिब्बे २ किलो ग्राम के।	४ फर्मों के गोदाम सील किये गये ।	दोषी पाये गये सभी व्यापारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ।	फर्म के पार्टनर श्री किशन चन्द्र को आवश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५ की धारा ३/७ तथा भारत सुरक्षा नियम, १९७१ के खंड ११४/२ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया । श्री किशन चन्द्र इस समय जमानत पर रिहा हैं । इनके विरुद्ध न्यायालय में मकदमा चल रहा है । फर्म का लाइसेंस निलम्बित कर दिया गया है । पकड़ी गई वनस्पति को उचित उपभोक्ताओं में वितरित कर करा दिया गया ।

२	मे० ब्रज बनस्पति भंडार ७०/३१, शक्कर-पट्टी, कानपुर (थोक व्यापारी) ।	आवश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५ की धारा ३/७ के अन्तर्गत फर्म पर मुकदमा चलाया जा रहा है और इनका लाइसेंस निलम्बित करा दिया गया है। फर्म के श्री कन्हैया लाल गुप्त को गिरफ्तार कर लिया गया था जो अब जमानत पर हैं। पकड़ी गई बनस्पति को उपभोक्ताओं में वितरित कर दिया गया।
३	मे० इंडियन आयल ट्रेडर्स, ५१/५५, शक्कर-पट्टी, कानपुर (फुटकर विक्रेता) ।	फर्म के विरुद्ध ई० सी० ऐक्ट की धारा ३/७ के अन्तर्गत न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। फर्म का लाइसेंस निलम्बित कर दिया गया है। और फर्म के श्री कन्हैया लाल को गिरफ्तार कर लिया गया था जो अब जमानत पर छूटे हैं। पकड़ी गई वनस्पति को उचित उपभोक्ताओं में वितरित करा दिया गया है।
४	मे० मुन्नू लाल केदार नाथ ७४/२७६, कलेक्टर-गंज, कानपुर (थोक व्यापारी) ।	फर्म के विरुद्ध ई० सी० ऐक्ट की धारा ३/७ के अन्तर्गत न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। फर्म के पार्टनर श्री रामेश्वर प्रसाद की गिरफ्तारी के आदेश जारी हुए थे परन्तु फरार होने के कारण वे गिरफ्तार न हो सके। फर्म का व्यापार बन्द करा दिया गया है। फर्म द्वारा हाई-कोर्ट के स्थगन आदेश लेने के कारण पकड़ी गई वनस्पति का वितरण नहीं कराया जा सका है।
५	मे० हरी किशन चिरंजी लाल, ५२/६, शक्कर-पट्टी, कानपुर (थोक व्यापारी) ।	फर्म के पार्टनर श्री सत्यनारायण को गिरफ्तार किया गया था जो उच्च न्यायालय के आदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५	६
					से जमानत पर छूटे हुए हैं। फर्म के विरुद्ध ई० सी० ऐक्ट की धारा ३/७ के अन्तर्गत मुकदमा विचाराधीन है। न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण पकड़ी गई वनस्पति का वितरण नहीं कराया जा सका है। लाइसेंस निलम्बित कर दिया गया है।
६	मे० वनस्पति ट्रेडर्स ५४/१, नयागंज, कानपुर (थोक व्यापारी)।				फर्म के पार्टनर श्री शिव बसन्त लाल को गिरफ्तार कर लिया गया था उनकी जमानत जिला जज के यहां से हो गयी है। फर्म के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। लाइसेंस निलम्बित कर दिया गया है। पकड़ी गयी वनस्पति को न्यायालय के आदेश प्राप्त कर उचित उपभोक्ताओं में वितरित करा दिया गया है।
७	मे० रामजी दास गोपाल दास ५२/१०, शकरपट्टी, कानपुर (फुटकर बिक्रेता)।				फर्म के पार्टनर श्री रामजी दास को गिरफ्तार कर लिया गया था जो अब जमानत पर रिहा हो गये हैं। फर्म के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है तथा लाइसेंस निलम्बित कर दिया गया है। न्यायालय का आदेश प्राप्त कर पकड़ी गई वनस्पति को उचित उपभोक्ताओं में वितरित करा दिया गया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

८	मे० श्रीकृष्ण गुप्ता ७५/९९, रनजीतपुरवा, कानपुर (फुटकर विक्रेता) एवं फर्म मदन लाल जय गोपाल, कलेक्टरगंज, कानपुर ।	वाहन पर १६.५ किलो के २१ टिन के बदले के विरुद्ध २५ टिन अर्थात् ४ टिन अधिक वनस्पति ले जाने के आरोप में सारा माल जब्त कर लिया गया और न्यायालय का आदेश प्राप्त कर उचित उपभोक्ताओं में वितरित करा दिया गया है। फर्म के विरुद्ध ई० सी० ऐक्ट की धारा ३/७ के अन्तर्गत मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है ।
९	श्रीमती राम देवी पत्नी राधाकिशन, ४२/१७५, मिश्री बाजार, कानपुर (बिना लाइसेंसी) ।	श्रीमती राम देवी को गिरफ्तार करा कर थाना कोतवाली में बन्द करा दिया गया और उनके विरुद्ध ई० सी० ऐक्ट की धारा ३/७ के अन्तर्गत न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है । पकड़ी गई वनस्पति थाना कोतवाली में जमा करा दी गई है ।
१०	श्री ब्रज मोहन तथा श्री बोधीलाल, ८२/८४, जी०, घनकुट्टी, कानपुर (बिना लाइसेंसी) ।	श्री ब्रज मोहन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया मुलजिम की अभी जमानत नहीं हुई है वह पुलिस की हिरासत में है । मलजिम के विरुद्ध ई० सी० ऐक्ट और डी० आई० आर० के अन्तर्गत थाना अनवरगंज के माध्यम से चलाया गया मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है । पकड़ी गई वनस्पति के निस्तारण हेतु न्यायालय से आदेश मांगे गये हैं ।

खाद्य मंत्री,

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ९५६ पर)

पेंशनर्स द्वारा प्रस्तुत मांगों का विवरण

१—सेवारत कर्मचारियों की भांति मंहगाई भत्ता दिया जाय।

२—चिकित्सा सुविधा दी जाय।

३—पेंशन के राशिकृत मूल्य को उस अवधि को समाप्ति के उपरान्त जिसके आधार पर राशीकरण किया गया है, पेंशनर के जीवित रहने की दशा में पुनः स्थापित कर दिया जाय।

४—पेंशनर्स को भी आवास की सुविधा दी जाय।

५—पेंशनर्स के बच्चों को शिक्षा सुविधायें दी जायं।

६—लिबर लाइज्ड फेमिली पेंशन रूल्स की सुविधायें दी जायें, तथा

७—न्यूनतम पेंशन ७५ रु० प्रति मास की जाये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६५७ पर)

संलग्नक-'क'

नई प्रस्तावित सहकारी चीनी मिलों से सम्बन्धित स्थानों एवं जनपदों की सूची

क्रम संख्या	नाम स्थान	नाम जनपद (जिला)
	सहकारी क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली मिलें--	
१	रसड़ा	बलिया
२	कायमगंज	फर्रुखाबाद
३	हरदुआगंज	अलीगढ़
४	सठियांव	आजमगढ़
५	चन्दौली	वाराणसी
६	बसोढ़ी	सुल्तानपुर
७	अनूपशहर	बुलन्दशहर
८	बदायूं	बदायूं
९	अकबरपुर	फैजाबाद
१०	बेलरायां	लखीमपुर
११	बीसलपुर	पीलीभीत
१२	भोगांव	मैनपुरी
१३	घोसी	आजमगढ़
१४	ननौता	सहारनपुर
१५	बुढ़पुर-रमाला	मेरठ
१६	हसनपुर	मुरादाबाद
१७	तिलहर	शाहजहांपुर
१८	महमूदाबाद	सीतापुर
१९	नादेही	नैनीताल
२०	विलासपुर	रामपुर
२१	नानपारा	बहराईच
	उत्तर प्रदेश चीनी निगम द्वारा स्थापित की जाने वाली मिलें --	
१	नन्दगंज	गाजीपुर
२	छाता	मथुरा
३	दरियापुर	रायबरेली
४	चांदपुर	बिजनौर
	भारत सरकार के विचाराधीन प्रस्ताव	
१	लखीमपुर	लखीमपुर-खीरी

[नत्थी 'च']

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९५९ पर)

तालिका

क्रम-संख्या	उप अरण्यपाल द्वारा नियुक्त सरकारी एजेंट का नाम	एजेन्ट द्वारा वित-रण हेतु उठाई गई मात्रा (कुन्तल में)
	सर्वश्री—	
१	अख्तर महमूद खां	२०
२	हरवंश प्रसाद	१००
३	रामनाथ गुप्ता	१००
४	जयराम दुबे	५०
५	व्यंकटेश दास	१००
६	मुहम्मद हबीब	७५
७	राम नाथ गुप्ता	५०
८	ओम प्रकाश सक्सेना	५०
९	संतोष कुमार चौबे	६
१०	अमर नाथ पाण्डे	७५
११	त्रिलोक चंद	१००
१२	अख्तर महमूद खां	२५
१३	अवधेश नारायण	७०
१४	मुहम्मद हबीब	७०
१५	व्यंकटेश दास	१००
१६	अमर देव	१०
१७	राम नारायण	१००
१८	जयन्ती भाई पटेल	२००
१९	भगवानदास	२००
२०	चन्द्र मुक्तेश्वर	५०
२१	अमर नाथ पाण्डेय	१००
२२	त्रिलोक चन्द्र	१००
२३	अमर देव सिंह	१००
२४	आनन्द किशोर	१००
२५	अरविन्द भाई पटेल	१००
२६	कुंजबिहारी जायसवाल	१००
२७	समसुल हक	५०
२८	राम लखन पाण्डेय	४०
	योग ..	२,२४४

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ९७० पर।)

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, १९७४

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, १९७४ कहलायेगा ।

(२) यह ८ जून, १९७३ से प्रवृत्त समझा जायगा ।

घोषणा

२--एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद ३९ के खड (ख) और (ग) में निर्दिष्ट सिद्धान्तों को सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य की नीति को कार्यान्वित करने के लिये है ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९६१ की धारा ३ का संशोधन

३--उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, १९६०, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ३ में,--

(क)खण्ड ११ में, शब्द "नियत रीति से" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा ४-क में निर्धारित रीति से" रख दिये जायें ।

(ख) खण्ड (११) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्--

"(११-क) "अवस्यक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी आयु १८ वर्ष की न हो गयी हो",

(ग) खण्ड (१८) में, शब्द "सिंचित भूमि या बाग भूमि" के स्थान पर शब्द "सिंचित भूमि, बाग भूमि या ऊसर भूमि" रख दिये जायें ।

धारा ४ का संशोधन

४--मूल अधिनियम की धारा ४ में, खंड (२) में,

(क) शब्द "किसी असिंचित भूमि की ढाई हैक्टर भूमि" के स्थान पर शब्द "किसी एकल फसल वाली भूमि की डेढ़ हेक्टर अथवा किसी अन्य सिंचित भूमि की ढाई हेक्टर भूमि" रख दिये जायें ।

(ख) अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:--

"स्पष्टीकरण--खंड (२) के प्रयोजनार्थ पद "एकल फसल वाली भूमि" का तात्पर्य किसी ऐसी असिंचित भूमि से है जिसमें किसी राजकीय सिंचन संकर्म अथवा निजी सिंचन संकर्म से आश्वासित सिंचाई के परिमाणस्वरूप किसी कृषि वर्ष में केवल एक फसल उगाई जा सके ।"

नयी धारा ४-क का बढ़ाया जाना

५.—मूल अधिनियम की धारा ४ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

सिंचित भूमि का अवधारण

"४-क.—नियत प्राधिकारी वर्ष १३७८ फसली, १३७९ फसली और १३८० फसली के संगत खसरों, गांव के नवीनतम तथा ऐसे अन्य नक्शों अभिलेखों की, जिन्हें वह आवश्यक समझे, जांच करेगा और जहां वह आवश्यक समझे स्थानीय निरीक्षण भी कर सकता है, और तदुपरान्त यदि नियत प्राधिकारी की यह राय हो कि—

प्रथमतः—(क) उपर्युक्त वर्षों में से किसी एक वर्ष में किसी फसल के संबंध में—

(१) समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्या १५७९-डब्लू/२३-६२-डब्लू-१९४६, दिनांक ३१ मार्च, १९५३ में अधिसूचित सिंचाई दरों की अनुसूची संख्या 1 में सम्मिलित किसी नहर द्वारा, या

(२) किसी लिफ्ट सिंचन नहर द्वारा, या

(३) किसी राजकीय नलकूप या किसी निजी सिंचन संकर्म द्वारा, किसी भूमि के लिये सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी, और

(ख) उपर्युक्त वर्षों में से किसी एक वर्ष में ऐसी भूमि में कम से कम दो फसलें उगायी गयी थीं, या

द्वितीयतः—उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, १९७२ के प्रवृत्त होने के पश्चात् परिचालित होने वाले राजकीय सिंचन संकर्म द्वारा किसी भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो गयी और ऐसे संकर्म के परिचालित होने के दिनांक तथा धारा १० के अधीन नोटिस जारी किये जाने के दिनांक के बीच किसी कृषि वर्ष में ऐसी भूमि में कम से कम दो फसल उगायी गयी थीं, या

तृतीयतः—(क) कोई भूमि किसी लिफ्ट सिंचन नहर या राजकीय नलकूप अथवा निजी सिंचन संकर्म के प्रभावकारी कमाण्ड क्षेत्र में स्थित है, और

(ख) उसकी मिट्टी का वर्ग, तथा गुण ऐसा है कि उसमें किसी कृषि वर्ग में कम से कम दो फसलें उगायी जा सकती हैं, या

चतुर्थतः—वर्ष १३७८ फसली, १३७९ फसली और १३८० फसली में से किसी वर्ष में किसी भूमि में गन्ने की फसल उगाई गई थी;

तो नियत प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये ऐसी भूमि को सिंचित भूमि अवधारित करेगा ।

स्पष्टीकरण १.—इस धारा के प्रयोजनार्थ पद "प्रभावकारी कमांड क्षेत्र" का तात्पर्य किसी ऐसे क्षेत्र से है जिसका किसी भी दिशा में सबसे दूर का खेत:—

(क) वर्ष १३७८ फसली, १३७९ और १३८० फसली में से किसी वर्ष में, या

(ख) खंड "द्वितीयतः" में अभिदिष्ट कृषि वर्ष में, सिंचित किया गया हो ।

स्पष्टीकरण २—किसी निजी सिंचन संकर्म का स्वामित्व तथा उसका अवस्थान इस धारा के प्रयोजनार्थ संगत न होगा ।

धारा ५ का संशोधन

६—मूल अधिनियम की धारा ५ में,—

(क) उपधारा (२) में, खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात् :—

"(ग) कोई इंटरमीडिएट या डिग्री कालेज जो कृषि विषयक शिक्षा देता हो या स्नातकोत्तर कालेज";

(ख) उपधारा (३) में—

(१) प्रारम्भिक पैरा में शब्द, अंक तथा कोष्ठक "उपधारा (४), (५) और (६) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए" के स्थान पर शब्द, अंक तथा कोष्ठक "उपधारा (४), (५), (६) और (७) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए" रख दिय जायें ।

(२) खंड (ग) और (घ) निकाल दिये जायें ।

(३) स्पष्टीकरण में, खंड (त) में शब्द, अक्षर तथा कोष्ठक "खंड (क)" के स्थान पर शब्द, अक्षर तथा कोष्ठक" इस उपधारा के खंड (क) या खंड (ख)" रख दिये जायें ।

(ग) उपधारा (५) में खंड (ख) में, शब्द, अक्षर तथा कोष्ठक "खंड (घ)" के स्थान पर शब्द, अक्षर तथा कोष्ठक "खंड (ङ)" रख दिये जायें ।

(घ) उपधारा (६) में, वर्तमान स्पष्टीकरण को पुनः संख्यांकित करके उसका स्पष्टीकरण २ कर दिया जाय, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित स्पष्टीकरण २ के पहले निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनार्थ पदावली "दिनांक २४ जनवरी १९७२ के पश्चात् ऐसी भूमि के किसी अन्तरण" के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है —

(क) किसी वाद में, २४ जनवरी, १९७१ के पश्चात् किसी व्यक्ति की सह-खातेदार के रूप में घोषणा, भल ही ऐसा वाद २४ जनवरी, १९७१ को विचाराधीन था अथवा उसके पश्चात् संस्थित किया गया था;

(ख) किसी अन्य विलेख या संलेख में अथवा किसी अन्य रीति से किसी व्यक्ति के पक्ष में की गयी सम्प्रभावी कोई स्वीकृति, अभिस्वीकृति या त्याग अथवा घोषणा।

(ङ) उपधारा (७) में वर्तमान स्पष्टीकरण को पुनः संख्यांकित करके उसका स्पष्टीकरण २ कर दिया जाय और इस प्रकार पुनः संख्यांकित स्पष्टीकरण २के पहलेनिम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय, अर्थात् —

"स्पष्टीकरण १—यदि उक्त तिथि के पश्चात् कोई बाद इस घोषणा के लिये संस्थित किया जाय कि उक्त तिथि को या उससे पूर्व किसी भूमि का बटवारा हो चुका है तो ऐसी घोषणा की उपेक्षा की जायगी और उस पर विचार नहीं किया

जायेगा और यह समझा जायगा कि उक्त तिथि को या उसके पूर्व बटवारा नहीं हुआ है।"

धारा ६ का संशोधन

७—मूल अधिनियम की धारा ६ में—

(क) खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात्—

"(छ) वह भूमि जो नियत सीमा तक, उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, १९६४ के अधीन रजिस्ट्रीकृत सार्वजनिक प्रकार की गोशाला द्वारा ८ जून, १९७३ के पहले से धृत हो;"

(ख) खंड (ज) निकाल दिया जाय।

धारा ८ का संशोधन

८—मूल अधिनियम की धारा ८ में, शब्द, अक्षर तथा कोष्ठक 'खंड (क)' के स्थान पर शब्द, अक्षर तथा कोष्ठक 'खंड (क) या खंड (ख)' रख दिये जायें।

उद्देश्य और कारण

जुलाई, १९७२ में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में अधिकतम भूमि सीमा अवधारित करन के लिये राष्ट्रीय मार्ग-दर्शक सिद्धांत तय किये गये थे, और उन्हीं के आधार पर सरकार ने उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, १९७२ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १८, १९७३) अधिनियमित किया था। अधिनियम के कतिपय उपबन्धों में और सुधार करने के लिये यह संशोधन विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है।

२—यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि राज्य में अधिकतम जोत-सीमा को राष्ट्रीय मार्ग-दर्शक सिद्धांतों में बताई गई सीमाओं के अन्दर ही रखा जाय, अधिनियम की धारा ४ (२) को इस प्रकार संशोधित करने की प्रस्थापना है कि उस धारा में, प्रगणित भू-भागों के लिये "एकल फसली भूमि" का एक सुभिन्न वर्ग हो जाय। ऐसे अवर भू-भागों में अधिकतम सीमा क्षेत्र अवधारित करने के प्रयोजनार्थ एकल फसली भूमि के १ १/२ हेक्टर को सिंचित भूमि के एक हेक्टर के बराबर मान लिया जायगा।

३—अधिकतम सीमा क्षेत्र का अवधारण सिंचित भूमि, जिसे नियमों में परिभाषित कर दिया गया था, के आधार पर किया जाना है। जटिलताओं से बचने के उद्देश्य से प्रस्थापना यह है कि सिंचित भूमि के अवधारण के मानदण्ड स्वयं अधिनियम में नयी धारा ४-क को बढ़ाकर अधिकथित कर दिये जायें।

४—अधिनियम की धारा ५ में कुछ संशोधन करने की प्रस्थापना है जिससे यह व्यवस्था हो जाय कि इस दृष्टि से कि कृषि महाविद्यालय संतोषजनक रूप से प्रशिक्षण दे सकें, वे अधिकतम सीमा से मुक्त रहें। इसके अतिरिक्त इस बात की आशंका है कि कुछ व्यक्तियों ने अधिकतम सीमा अधिनियम के प्रयोजन को व्यर्थ करने के उद्देश्य से सहखातेदारों को अपनी जोत में सम्मिलित कर लिया हो। धारा ५ में इस आशय का संशोधन किया जा रहा है कि अधिकतम सीमा क्षेत्र का अवधारण करने के प्रयोजनार्थ २४ जनवरी, १९७१ के पश्चात् किये गये ऐसे सभी अन्तरणों, प्रवेशनों की उपेक्षा की जाय।

५—यह भी अधिकथित करने की प्रस्थापना है कि अधिनियम की धारा ६ (छ) में, गोशालाओं के पक्ष में परिकल्पित विमुक्ति केवल सार्वजनिक प्रकार की उन्हीं गोशालाओं को दी जायेगी जो कि पुनरीक्षित अधिकतम सीमा विधि के प्रख्यापन के दिनांक को, अर्थात् ८ जून, १९७३ को विद्यमान थीं। यह भी प्रस्थापना है कि धारा ६ (ज) के अधीन सरकारी पट्टेदारों को दी गई विमुक्ति वापस ली जाय, क्योंकि उसका दुरुपयोग होने की आशंका है।

६—इस अवसर का लाभ औपचारिक प्रकार के कुछ शाब्दिक संशोधन करने के लिये भी उठाया जा रहा है ।

७—इस दृष्टि से कि राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुसार विधि का कार्यान्वयन सुनिश्चित हो जाये, विधेयक को ८ जून, १९७३ से, अर्थात् उस तारीख से जिसको कि संशोधित अधिकतम सीमा विधि प्रख्यापित की गयी थी, भूतलक्षी प्रभाव दिया जाना है ।

८—तदनुसार उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, १९७४ पुर : स्थापित किया जाता है ।

स्वामी प्रसाद सिंह,
राजस्व मंत्री ।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, १९७४ द्वारा मूल अधिनियम की उन संगत धाराओं का उद्धरण जिनका संशोधन होना है ।

उत्तर प्रदेश जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960

विधेयक का खंड जिसके द्वारा संशोधन किया जाना प्रस्तावित है	अधिनियम की धारा जिसे संशोधित किया जाना प्रस्तावित है	संशोधन के लिये प्रस्तावित धारा का वर्तमान प्राविधान
१	२	३
३	३ (११)	'सिंचित भूमि' का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जिसे नियत रीति से किसी कृषि वर्ष में किसी राजकीय सिंचन संकर्म या निजी सिंचन संकर्म द्वारा आश्वस्त सिंचाई से कम से कम दो फसलें उगाने के लिये सक्षम अवधारित किया जाय,
	३ (१८)	'असिंचित भूमि' का तात्पर्य सिंचित भूमि या बाग-भूमि से भिन्न किसी भूमि से है,
४	४ (२)	निम्नलिखित क्षेत्रों में, अर्थात्— (क) बुन्देलखंड ; (ख) इलाहाबाद, इटावा, मथुरा तथा आगरा जिलों के यमुनापारी भाग ; (ग) यमुना की गहरी धारा से १६ किलोमीटर तक इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, मथुरा और आगरा जिलों के यमुना के इस पार के भाग; (घ) मिर्जापुर जिले का वह भाग जो कैमूर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है; (ङ) मिर्जापुर जिले के तहसील सदर के टप्पा उपरोध और तप्पा चौरासी (बलाये पहाड़) ; (च) मिर्जापुर जिले में राबर्ट्सगंज तहसील का वह भाग जो कैमूर पर्वत श्रेणी के उत्तर में है ;

१	२	३
		(छ) मिर्जापुर जिले में परगना सकटेशगढ़ और तहसील चुनार के परगना अहरोरा और भागवत की पहाड़ी पट्टियों के गांव जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० ई० की अनुसूची ६ की सूची 'क' और 'ख' में उल्लिखित हैं ।
		(ज) वाराणसी जिले में तहसील चकिया के भूतपूर्व नौगढ़ तालुका का क्षेत्र ;
		(झ) कुमायूं तथा गढ़वाल मण्डलों के पहाड़ी और भावर क्षेत्र एवं देहरादून जिले का जौनसार बावर परगना;
		किसी असिंचित भूमि की ढाई हेक्टर भूमि को सिंचित भूमि के एक हेक्टर के रूप में गिना जायगा ।
६	१	(२) उपधारा (१) की कोई बात निम्नलिखित वर्गों के व्यक्तियों द्वारा धृत भूमि पर लागू न होगी, अर्थात्—
		(क) केन्द्रीय सरकार , राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी कम्पनी या निगम,
		(ख) विश्वविद्यालय;
		(ग) स्नातकोत्तर कालेज;
		(घ) बैंकिंग कम्पनी या सहकारी बैंक अथवा सहकारी भूमि विकास बैंक;
		(ङ) उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम, १९५२ के अधीन संघटित भू-दान यज्ञ समिति ।
		(३) उपधारा (४), (५) और (६) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, उपधारा (१) के प्रयोजनार्थ अधिकतम क्षेत्र निम्नलिखित होगा—
		(क) किसी ऐसे खातेदार की दशा में जिसका ५ से अनधिक सदस्यों का परिवार हो, सिंचित भूमि के ७.३० हेक्टर (जिसके अन्तर्गत उसके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा धृत भूमि भी है) और उसके साथ उसके प्रत्येक ऐसे वयस्क पुत्र के लिये जो या तो स्वयं खातेदार न हो अथवा जिसके द्वारा धृत सिंचित भूमि का क्षेत्रफल २ हेक्टर से कम हो, सिंचित भूमि के २ अतिरिक्त हेक्टर अथवा उतना अतिरिक्त क्षेत्रफल जिसमें उनके द्वारा धृत क्षेत्र को मिलाकर २ हेक्टर होता हो, किन्तु ऐसी अतिरिक्त भूमि ६ हेक्टर से अधिक न होगी;
		(ख) ऐसे खातेदार की दशा में जिसका ५ से अधिक सदस्यों का परिवार हो, सिंचित भूमि के ७.३० हेक्टर (जिसके अन्तर्गत उसके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा धृत

1	2	3

भूमि भी है) और उसके साथ परिवार के प्रत्येक ऐसे सदस्य के लिये जो ५ से अधिक हों तथा प्रत्येक ऐसे वयस्क पुत्र के लिये जो या तो स्वयं खातेदार न हों या जिसके द्वारा धृत भूमि का क्षेत्रफल २ हेक्टर से कम हो, सिंचित भूमि के २ अतिरिक्त हेक्टर अथवा उतना अतिरिक्त क्षेत्रफल जिसमें ऐसे वयस्क पुत्र द्वारा धृत क्षेत्रफल को मिलाकर २ हेक्टर होता हो, किन्तु ऐसी अतिरिक्त भूमि ६ हेक्टर से अधिक न होगी ।

स्पष्टीकरण––खण्ड (क) तथा (ख) में, पद "वयस्क पुत्र" के अन्तर्गत ऐसा वयस्क पुत्र भी है, जो मृत हो और अपने पीछे अवयस्क पुत्र अथवा (विवाहित पुत्रियों से भिन्न) अवयस्क पुत्रियां छोड़ गया हो, जो या तो स्वयं खातेदार न हो अथवा जिनके द्वारा धृत सिंचित भूमि का क्षेत्रफल २ हेक्टर से कम हो ।

(ग) ऐसे खातेदार की दशा में जो कृषि शिक्षा देने वाला डिग्री कालेज हो–सिंचित भूमि के २० हेक्टर;

(घ) ऐसे खातेदार की दशा में जो कृषि में शिक्षा देने वाला इन्टरमिडियेट कालेज हो, सिंचित भूमि के १२ हेक्टर;

(ङ) किसी अन्य खातेदार की दशा में सिंचित भूमि का ७.३० हेक्टर ।

स्पष्टीकरण––उपधारा (६) तथा (७) के अधीन उपेक्षणीय भूमि के किसी अंतरण या विभाजन को उपेक्षा निम्नलिखित के लिये भी की जायेगी––

(त) इस बात के अवधारण के प्रयोजनार्थ कि किसी खातेदार का कोई वयस्क पुत्र खंड (क) के अन्तर्गत स्वयं खातेदार है या नहीं;

(थ) धारा ९ के अधीन नोटिस तामील करने के प्रयोजनार्थ ।

(५) किसी असार्वजनिक न्यास द्वारा धृत किसी जोत के सम्बन्ध में––

(क) यदि ऐसे न्यास की आय में उनके लाभार्थियों का अंशज्ञात अथवा अवधार्य हो, तो इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उस जोत में लाभार्थियों का अंश उसी अनुपात में समझा जायगा जिस अनुपात में ऐसे न्यास को आय में उनका अलग-अलग अंश हो;

(ख) किसी अन्य दशा में यह उपधारा (३) के खंड (घ) द्वारा नियंत्रित होगा ।

(ख) किसी खातेदार के सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र का अवधारण करने में, दिनांक २४ जनवरी, १९७१ के पश्चात् ऐसी भूमि के किसी अंतरण की जो ऐसा अंतरण न होने की दशा में इस अधिनियम के

१	२	३

अधीन अतिरिक्त भूमि घोषित की गई होती, उपेक्षा की जायगी और उसकी गणना नहीं की जायगी:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात निम्नलिखित पर लागू न होगी—

(क) उपधारा (२) में अभिदिष्ट किसी व्यक्ति (जिसके अन्तर्गत सरकार भी है) के पक्ष में कोई अंतरण;

(ख) कोई अंतरण जो नियत प्राधिकारी के संतोषानुसार सद्भावना से और पर्याप्त प्रतिफल के लिये किया गया सिद्ध हो तथा ऐसे अप्रतिसंहरणीय संलेख के अधीन हो, जो बेनामी अंतरण न हो या खातेदार अथवा उसके परिवार के सदस्यों के तात्कालिक या आस्थगित लाभ के लिये न हो।

स्पष्टीकरण—यह सिद्ध करने का भार कि कोई मामला प्रतिबन्धात्मक खंड के खंड (ख) के अन्तर्गत आता है, उसके लाभ का दावा करने वाले पक्ष पर होगा।

७ ६ **अधिकतम सीमा के आरोपण से कतिपय भूमि की विमुक्ति।**

इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, निम्नलिखित किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली भूमि पर किसी खातेदार के सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र का और उसकी अतिरिक्त भूमि का अवधारण करने के प्रयोजनार्थ, विचार नहीं किया जायगा, अर्थात्—

(छ) वह भूमि जो नियत सीमा तक (उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, १९६४ के अधीन रजिस्ट्रीकृत) गोशाला द्वारा धृत हो,

(ज) वह भूमि जो अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् सरकारी पट्टेदार को भूमि सुधार तथा खेती के लिये अथवा ऐसी विशिष्ट फसल की खेती के लिये अथवा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये जो नियत किये जायं, पट्टे पर दी गयी हों।

८ ८ **अधिकतम सीमा क्षेत्र में धृत भूमि में खातेदार और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के अधिकार।**

यदि खातेदार की पत्नी या अवस्यक पुत्र अथवा पुत्री द्वारा धृत भूमि को धारा ५ की उपधारा (३) के खंड (क) के अधीन खातेदार के परिवार द्वारा धृत भूमि में सम्मिलित कर लिया गया है तो उसके पास बची भूमि का, उनके द्वारा संयुक्त रूप से, इस अधिनियम के अधीन अतिरिक्त भूमि घोषित किये जाने के पुर्व उनके द्वारा क्रमशः धृत भूमि के बाजार मूल्य के अनुपात में धृत भूमि समझा जायगा।

पी० ए० यू० पी०—ए० पी० ११५ विधान सभा—(१५३७)-१९७५-८४५ (हि०)।